

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

30 अक्टूबर, 2002

खण्ड-3, अंक-1

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बुधवार, 30 अक्टूबर, 2002

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)11
नियम 45 (1) के अधीन सदन की भेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के तिथित उत्तर	(1)29
स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	(1)33
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(1)35
अल्प अवधि चर्चा की सूचनाएं	(1)36
इडगन प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)	
वाक आचट्स	(1)45
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
राज्य में विशेषकर जिला फरीदाबाद में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान न खरीदने संबंधी	(1)50

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्य मंत्री द्वारा
वाक आउट

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्य मंत्री द्वारा (पुनरारम्भ)
वाक आउट

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

घोषणाएं—

(क) उपाध्यक्ष द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूचि

(ii) याचिका समिति

(ख) सचिव द्वारा

(i) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

सदन ली मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक

प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री जय प्रकाश बरवाला एम०एल०ए० के विरुद्ध

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम०एल०ए० के विरुद्ध

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह तथा

श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

(iv) श्री रघुवीर सिंह कादयान एम०एल०ए० के विरुद्ध

विधान कार्य—

(1)81

(1) दि हरियाणा म्युनिसिपल (थर्ड अर्मेंडमैंट) बिल, 2002

(1)83

(2) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अर्मेंडमैंट)

बिल, 2002

(3) दि पंजाब पेरेंजर्ज एंड गुडज टेक्सेशन (हरियाणा सैकिण्ड अर्मेंडमैंट)

(1)87

बिल, 2002

(4) दि हरियाणा सिविल सर्विसिज (एजैकिटव ब्रांच) एंड

(1)88

अलाइड सर्विसिज एंड अदर सर्विसिज कौमन/कंबाइंड एज्जामिनेशन

(अर्मेंडमैंट) बिल, 2002

(5) दि हरियाणा अर्बन लिवेल्पमैंट अथोरिटी (अर्मेंडमैंट)

(1)90

बिल, 2002

(6) दि पब्लिक गैम्बलिंग (हरियाणा अर्मेंडमैंट)

(1)92

बिल, 2002

(7) दि हरियाणा कैसिनो (लाईसेंस एंड कंट्रोल)

(1)94

बिल, 2002

100/16/7/82604

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 30 अक्टूबर, 2002

विधान सभा की बैठक, विधान सभा हाल, विधान भवन, सैकटर-1, थण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मानवीय सदस्यगण, अब ऑबिचुरी रैफैरेसिज होंगे।

मुख्य मंत्री (श्री औम प्रकाश चौटाला) : आदर शीघ्र अध्यक्ष महोदय और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच के असें में हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी, कुछ देशभक्त और कुछ विद्यायकों के रिश्तेदार इत्यादि इस संसार से चले गए। उन लोगों की आत्मा की शान्ति के लिए यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन उन स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री बलवारी लाल, गांव खरावड, ज़िला रोहतक
2. श्री दीवानचन्द भाटिया, पानीपत
3. श्री भंताराम, गांव दमदमा, ज़िला गुडगांव
4. श्री भूरा सिंह, गांव नवादा फतेह, ज़िला गुडगांव
5. श्री शुभराम, गांव नाहरपुर रुपा, ज़िला गुडगांव
6. श्री फूलाराम श्योकेंद, गांव झूमरखां कलां, ज़िला जींद
7. चौ० श्योकरण जाखड़, गांव फुझारिया, ज़िला फतेहाबाद
8. कामरेड चानन दास, फतेहाबाद
9. श्री प्रभु दयाल, गांव तुला अहीर, ज़िला रिवाड़ी
10. श्री भीत सिंह, गांव भृष्ट भाजरा, ज़िला कुरुक्षेत्र

यह सदन इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतान परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उम्र वीर सैनिकों को अपना अशुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अद्यत्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इन भवान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मेजर शजीव दहिया, जींद
2. मेजर विनोद कुमार राणा, गांव बजधेड़ा, ज़िला गुडगांव
3. सब-इंसपीक्टर भगत सिंह, गांव बावल, ज़िला रिवाड़ी
4. सूबेदार अनूप सिंह, गांव जाटवास, ज़िला महेन्द्रगढ़
5. सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, ज़िला महेन्द्रगढ़
6. हथक्षेत्र महावीर सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, ज़िला भिवानी
7. हवलदार इन्ड्र सिंह, गांव पुरखास धीरान, ज़िला सोनीपत
8. नायक राजकुमार, गांव रामलवास, ज़िला भिवानी
9. लास नायक प्रभोद कुमार, गांव रिवाड़ी खेड़ा, ज़िला झज्जर
10. राईफल मैन जयवीर सिंह, गांव बामनौली, ज़िला झज्जर
11. सिपाही अफल सिंह, गांव खरकड़वास, ज़िला महेन्द्रगढ़
12. ग्रेनेडियर सुरेन्द्र सिंह, गांव झाड़ली, ज़िला झज्जर
13. सिपाही हरदीप सिंह, गांव खाणडा खेड़ी, ज़िला करनाल
14. सिपाही रमेश कुमार, गांव लोहानी, ज़िला भिवानी
15. सिपाही अवण कुमार, गांव संदौल, ज़िला हिसार
16. सिपाही सुरेश कुमार यादव, गांव पाली, ज़िला रिवाड़ी
17. सिपाही मदन सिंह, गांव खुंगाई, ज़िला झज्जर
18. सिपाही जयपाल, गांव खेड़का गुज्जर, ज़िला झज्जर
19. सिपाही रामफल, गांव जखाला, ज़िला रिवाड़ी

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शल-शल नगन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

दुलीना में उग्र भीड़ द्वारा मारे गये लोग

यह सदन 15 अक्टूबर, 2002 को झज्जर ज़िला के दुलीना गांव में उग्र भीड़ द्वारा मारे गये पांच व्यक्तियों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है ।

यह सदन शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में आतंकवादी हमले में मारे गए लोग

यह सदन गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में 24 सितम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले में भारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

जम्मू-कश्मीर और असम में आतंकवादी हमलों में मारे गये लोग

यह सदन जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों के दौरान और असम में 27 अक्टूबर, 2002 को आतंकवादी हमलों में भारे गये निर्दोष लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

लखनऊ में भगदड़ में मारे गए लोग

यह सदन 28 सितम्बर, 2002 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

रेल दुर्घटना (बिहार)

यह सदन 9 सितम्बर, 2002 को बिहार में रफीगंज स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गये यात्रियों के दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इण्डोनेशिया और रूस में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोग

यह सदन 12 अक्टूबर, 2002 को बाली, इण्डोनेशिया में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों और अक्टूबर, 2002 के चौथे सप्ताह में लूस में मास्को के एक थियेटर में उग्रवादियों द्वारा मारे गये निर्दोष बन्दकों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

शामान्य-श्रीमती गोमती देवी पत्नी श्री दरियाव सिंह एम०एल०ए०

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह रजौरा की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

શ્રી મુપેન્દ્ર સિંહ હુરુડા : (કિલોડી) અધ્યક્ષ મહોદય, આજ જો હમ સ્વતંત્રતા સેનાનિયોં કો શ્રદ્ધાજંલી દે રહે હોય, યડ પીઢી એક-એક કરકે હમારે સે જા રહી હૈ, જિન્હોને હમેં સ્વતંત્ર કરવાયા। આજ હમારે બીજુ મેં 10 સ્વતંત્રતા સેનાની ભી જઈ રહે હોંગે। મેં અપની તરફ સે ઔર અપની પાર્ટી કી તરફ સે ઇન સ્વતંત્રતા સેનાનિયોં કે નિધન પર ગહરા શોક પ્રકટ કરતા હું જિન્હોને દેશ કી આજાદી કે સંખ્યા મેં અપના બદ્ધમૂલ્ય યોગદાન દિયા। ઇન મહાન् સ્વતંત્રતા સેનાનિયોં કે નામ ઇસ પ્રકાર હું- શ્રી બનગારી લાલ, ગાંબ ખરાંડ જિલા રોકટક, શ્રી દીવાનચંદ્ર ભાડિયા, પાનીપટ, શ્રી મેતરામ, ગાંબ દભદમા, જિલા ભુડગાંથ, શ્રી ભૂરા સિંહ, ગાંબ નવાદા ફલોહ, જિલા ગુડગાંવ; શ્રી શુભ રામ, ગાંબ નાડરપુર રૂપા, જિલા ગુડગાંવ; શ્રી ફુલારામ સયોકંદ, ગાંબ ઝુમરેખો કલા, જિલા, જીદ; ચૌધરી શ્વાકરણ જાખંડ, ગાંબ કુમદારિયા, જિલા ફલોહાબાદ, કાસરેઠ જ્ઞાનનદાસ, ફલોહાબાદ; શ્રી પ્રભુ દ્વાપાલ, ગાંબ લુલા અહીર, જિલા રિથાડી ઔર શ્રી મીત સિંહ, ગાંબ અહુ માજશા, જિલા કુરુક્ષેત્ર। અધ્યક્ષ મહોદય, મેં અપની તરફ સે ઔર અપની પાર્ટી કી તરફ સે ઇન મહાન् સ્વતંત્રતા સેનાનિયોં કો શાસ-શત નમન કરતા હું ઔર ઇનકે શોક સંતપ્ત પરિવારોં કે સદસ્યોં કે પ્રતિ અપની ડાર્દિક સંવેદના પ્રકટ કરતા હું।

અધ્યક્ષ મહોદય, મેં અપની તરફ સે ઔર અપની પાર્ટી કી તરફ સે ઉન વીર સૈનિકોં કો અપના અશૂરૂણ નમન કરતા હું જિન્હોને માતૃભૂમિ કી એકત્ર ઔર અખ્યાંધકી કી રક્ષા કે લિએ આવ્ય સાહસ ઔર વીરતા સે લડતે હુએ અપને જીવન કા સર્વોચ્ચ બલિદાન દિયા।

ઉન મહાની વીર સૈનિકોં કે નામ ઇસ પ્રકાર હું - મેજાર રાજીવ દહિણા, જીદ; મેજાર વિનોદ કુમાર રાણા, ગાંબ બડઘેડા, જિલા ગુડગાંવ; સબ ઇસ્પેક્ટર ભગત સિંહ, ગાંબ બાવલ, જિલા રિવાડી; સૂરેદાર અનુપ સિંહ ગાંબ જાટવાસ, જિલા મહેન્દ્રગઢ, સૂરેદાર રામકુમાર, ગાંબ પાલભી ધનિષાસ, જિલા મહેન્દ્રગઢ; હવલદાર મહાબીર સિંહ, ગાંબ રિથાડી ખેડા, જિલા ભિથાની, હવલદાર ફંદ્ર સિંહ, ગાંબ પુરખાસ ધીરાન, જિલા સોનીપટ, નાયક રાજકુમાર, ગાંબ રામલવાસ, જિલા મિવાની; લાંસ નાયક પ્રમોદ કુમાર, ગાંબ રિથાડી ખેડા, જિલા ઝાજ્જર; રાઈફલ મેન જયવીર સિંહ, ગાંબ વામનોલી, જિલા ઝાજ્જર, સિપાહી અફલ સિંહ, ગાંબ ખરકઢાવાસ, જિલા મહેન્દ્રગઢ, ગ્રેનેલ્ડિયર સુરેન્દ્ર સિંહ, ગાંબ ઝાંલી, જિલા ઝાજ્જર; સિપાહી વર્દીપ સિંહ, ગાંબ ખાણઢા ખેડી, જિલા કરણાલ સિપાહી રમેશ કુમાર, ગાંબ લોહાની, જિલા મિવાની, સિપાહી શ્રવણ કુમાર, ગાંબ સંદૌલ, જિલા હિસાર, સિપાહી સુરેશ કુમાર બાદવ, ગાંબ પાલી, જિલા રિવાડી, સિપાહી મદન સિંહ, ગાંબ ખુંગાઈ, જિલા ઝાજ્જર, સિપાહી જયપાલ ગાંબ ખેડુકા ગુજરાત; જિલા ઝાજ્જર; સિપાહી રામફલ, ગાંબ જરખલા, જિલા રિવાડી। ઇસકે અતિરિક્ત જો સૈનિક શાહીદ હો ગયે ઔર ઉનકે બારે મેં ધાર્દ મેં પતા ચલા હો ઉનકે નામ મી ઇસ સુધી મેં શામિલ કર લિએ જાએં। અધ્યક્ષ મહોદય, મેં અપની તરફ સે ઔર અપની પાર્ટી કી તરફ સે ઇન મહાની ધીરોની શાહાದત પર ફળ્યે શાત-શત નમન કરતા હું ઔર ઇનકે શોક-સંતપ્ત પરિવારોં કે સદસ્યોં કે પ્રતિ અપની ડાર્દિક સંવેદના પ્રકટ કરતા હું।

અધ્યક્ષ મહોદય, મેં અપની તરફ સે ઔર અપની પાર્ટી કી તરફ સે 15 અક્ટૂબર, 2002 કો ઝાજ્જર જિલા કે દુલીના ગાંબ મેં ઉગ્ર ભીડ દ્વારા મારે ગણ પાંચ વ્યક્તિયોં કે દુઃખદ નિધન પર ગહરા શોક પ્રકટ કરતા હું। મેં અપની તરફ સે ઔર અપની પાર્ટી કી તરફ સે શોક સંતપ્ત પરિવારોં કે સદસ્યોં કે પ્રતિ અપની ડાર્દિક સંવેદના પ્રકટ કરતા હું।

અધ્યક્ષ મહોદય, મેં અપની તરફ સે ઔર અપની પાર્ટી કી તરફ સે ગુજરાત કે પ્રસિદ્ધ આકારધ્યામ મન્દિર મેં 24 સિલાબર, 2002 કો આતંકવાદી હમલે મેં મારે ગણ નિર્વાણ લોગોની કે દુઃખદ

व असामियिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से भानवता के विषय आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, जम्बू कश्मीर में हाल ही में हुए घुनावों के दौरान और असम में 27 अक्टूबर, 2002 को आतंकवादी हमलों में मारे गये निर्दोष लोगों के दुःखद व असामियिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। हम भानवता के विषय आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार 28 सितम्बर, 2002 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के दुःखद व असामियिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से 9 सितम्बर, 2002 को बिहार में रफीगंज स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त छोने के कारण मारे गये यात्रियों के दुःखद व असामियिक निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से 12 अक्टूबर, 2002 को बाली, इण्डोनेशिया में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों और अक्टूबर, 2002 के बौथे सप्ताह में रुस में भास्कों के एक थियेटर में उग्रवादियों द्वारा मारे गये निर्दोष व्यक्तियों के दुःखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह रजीरा की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी के दुःखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (भेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं अपनी पार्टी को सामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन खतन्त्रिता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संवर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन महान् खतन्त्रिता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं— श्री बश्यारी लाल, गांव खरावड जिला रोहतक; श्री दीक्षानन्द भाटिया, पानीपत; श्री मताराम, गांव दमदमा, जिला गुडगांव; श्री भूशंसिंह, गांव नवादा फतेह, जिला गुडगांव; श्री चुम राम, गांव नाहरपुर लापा, जिला गुडगांव; श्री फूलाराम श्योकंद, गांव झूमरखां कलां, जिला जीर्ध, थौधरी श्योकरण जाखड़, गांव कुहारिया, फतेहाबाद, कामरेड चानलदास, फतेहाबाद; श्री प्रभु दयाल, गांव लुला अहीर, जिला रिवाङी; श्री मीत सिंह, गांव शह भाजरा, जिला कुरुक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से रवतन्त्रिता सेनानियों को शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

[श्री कृष्णपाल गुर्जर]

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन दीर सेनिकों को अपना अशुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

उन महान् दीर सेनिकों के नाम इस प्रकार हैं- मेजर राजीव दहिया, जींद; मेजर विनोद कुमार राणा, गांव बजाड़ा, जिला गुडगांव; सब इस्पैक्टर भगत सिंह, गांव थावल, जिला रियाड़ी; सूबेदार अनूप सिंह, गांव जाटवास, जिला भेन्नगढ़; सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी पनिहार, जिला महेन्नगढ़; हथलदार भहावीर सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी; हथलदार इन्द्र सिंह, गांव पुरखास धीशन, जिला सोनीपत; नाथक राजकुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी; लॉस नाथक प्रसोद कुमार, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर; राईफल भैन जयवीर सिंह, गांव बामनौली, जिला झज्जर; सिपाही अफल सिंह, गांव खरकड़ावास; जिला भेन्नगढ़; ग्रेनेडियर सुरेन्द्र सिंह, गांव झाड़ी, जिला झज्जर, सिपाही हश्वीप सिंह, गांव खाण्डा खेड़ी, जिला करनाल; सिपाही रमेश कुमार, गांव लोहानी, जिला भिवानी, सिपाही श्रवण कुमार, गांव संदौला, जिला हिसार, सिपाही सुरेश कुमार यादव, गांव धाली, जिला रियाड़ी; सिपाही भदन सिंह, गांव खुणाई, जिला झज्जर; सिपाही जयपाल; गांव खेड़का गुज्जर, जिला झज्जर; सिपाही रामफल, गांव जखाला, जिला रियाड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् दीरों की शाहदत पर इन्हें शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से 15 अक्टूबर, 2002 को झज्जर जिला के दुलीना गांव में उग्र भीड़ द्वारा मारे गए पांच ध्यक्तियों के दुःखद निघन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मन्दिर में 24 सितम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद व असामियिक निघन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, जाम्सु कश्मीर में हाल ही में हुए युनाईटेड के दौरान और असम में 27 अक्टूबर, 2002 को आतंकवादी हमलों में मारे गये निर्दोष लोगों के दुःखद व असामियिक निघन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं। हम मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार 28 सितम्बर, 2002 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के दुःखद व असामियिक निघन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी तरफ से ९ सितम्बर, २००२ को बिहार में एकीगंज स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भारे गये थाक्रियों के दुःखद व असामिक निधन पर में गहरा शोक प्रकट करता हूँ और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी प्रकार से १२ अक्टूबर, २००२ को बाली, इण्डोनेशिया में आलंकवादी हमले में भारे गए निर्दोष लोगों और अक्टूबर, २००२ के चौथे सप्ताह में लस में मास्को के एक थियेटर में उग्रवादियों द्वारा भारे गये निर्दोष बच्चों के दुःखद निधन पर में गहरा शोक प्रकट करता हूँ और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी तरह से हरियाणा विद्यान सभा के सदस्य श्री दरियाव सिंह रजौरा की धर्मपत्नी श्रीमति गोमती देवी के दुःखद निधन पर में गहरा शोक प्रकट करता हूँ और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

चौंठ बंसी लाल (भिवानी) : अच्युक महोदय, सदन के नेता ने जो शोक-प्रस्ताव रखा है में उसका अनुमोदन करता हूँ। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एक एक करके जा रहे हैं और कुछ सालों में एक भी न रहे। इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं- श्री बनवारी लाल, गांव खरावड, जिला रोहतक; श्री दीवानचन्द्र माटिमा, पानीपत, श्री मंताराम, गांव दमदमा, जिला गुडगांव; श्री भूरा सिंह, गांव नवादा कतेह, जिला गुडगांव; श्री शुभ राम, गांव नाहरपुर लपा, जिला गुडगांव; श्री फुलाशाम झेकेद, गांव झूमरख्या कलो, जिला जीद, चौधरी श्योकरण जाखड़, गांव कुम्हारिया, जिला फतेहाबाद, कामरेड चाननदास, फतेहाबाद; श्री प्रमु दयाल, गांव लुला आहीर, जिला रिवाड़ी; श्री भीत सिंह, गांव भट्ठ माजरा, जिला कुरुक्षेत्र। मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन महान् स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता हूँ और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अच्युक महोदय, हरियाणा के सेनानी जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आलंकवादियों द्वारा भारे गए। छर हफ्ते प्रदेश में एक लाश आ जाती है इसमें भेजर राजीव अहिया, जीष्ठ; भेजर विनोद कुमार राणा, गांव बजधेड़ा, जिला गुडगांव; सब इंस्पेक्टर भगत सिंह, गांव बावल, जिला रिवाड़ी, सूबेदार अनुप सिंह, गांव जाटवास, जिला महेन्द्रगढ़; सूबेदार रामकुमार, गांव पालड़ी धनिहार, जिला महेन्द्रगढ़; हवलदार महाबीर सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी, हवलदार इन्द्र सिंह, गांव पुरखास धीरान, जिला सोनीपत; नायक राजकुमार, गांव रामलवास, जिला भिवानी; लांस नायक प्रमोद कुमार, गांव रिवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर; साईफल मैन जयवीर सिंह, गांव बामनौली, जिला झज्जर, सिपाही अफल सिंह, गांव खरकड़वास, जिला महेन्द्रगढ़; ग्रेनेडियर सुरेन्द्र सिंह, गांव झांडली, जिला झज्जर; सिपाही हरदीप सिंह, गांव खाणड़ा खेड़ी, जिला करनाल, सिपाही रमेश कुमार, गांव लोहानी, जिला भिवानी; सिपाही श्रवण कुमार, गांव संदील, जिला हिसार; सिपाही शुरेश कुमार यादव, गांव पाली, जिला रिवाड़ी; सिपाही मदन सिंह, गांव खुंगाई, जिला झज्जर; सिपाही जयपाल, गांव खेड़का गुज्जर, जिला झज्जर, सिपाही रामफल, गांव जखला, जिला रिवाड़ी।

[थौ० बंसी लाल]

अध्यक्ष महोदय, शोक प्रस्ताव संख्या तीन में दुलीना में उग्र भीड़ द्वारा मारे गए यांव लोगों की दर्दनाक हत्या। अब वे भीड़ ने मारे हैं या किसी और ने मारे हैं यह तो आगे जाकर बात साफ होगी। इससे हमारा प्रदेश बदनाम होता है, पूरे देश में इसका बुरा असर पड़ता है। इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री जी, मैं यह कहूँगा कि इसमें फौरी तौर से कार्रवाही होनी चाहिए। खाली कमिशनर की इन्क्वायरी से काम नहीं थलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अक्षरधाम मन्दिर में आतंकवादी हमले में मारे गए लोग, जम्मू कश्मीर और असम में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोग, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों और यिहार में रफीरोज टेंटेशन के निकट राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भारे गए लोग, इण्डोनेशिया और रूस में आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष लोग, इन सब के प्रति मैं अपनी कार्यक्रम संवेदना प्रकट करता हूँ और मुख्यमंत्री जी जो शोक प्रस्ताव लाए हैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक नाम नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इन शोक प्रस्तावों में एक और नाम नहीं आया है जिसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अभी आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी इस बारे में बता रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इन शोक प्रस्तावों में एक और नाम ऐड कर लिया जाए। हैड कांस्टेबल अधिराज, गांव, सौन्ध, जिला फरीदाबाद जोकि राजीरी क्षेत्र में तैनात था, उसको आतंकवादियों की दिनांक दो अक्टूबर को आठ गोलियां लगीं और 9 अक्टूबर को उसका देहावसान हो गया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह नाम भी शोक प्रस्तावों में जोड़ लिया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, वह शाहीद हरिजन परिवार का था। मैं आपके माध्यम से एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : शाहीद तो शाहीद होता है इसमें हरिजन की कोई बात नहीं है। आप बैठिए। आपको बोलने का बाद मैं भौका मिलेगा। अब डिप्टी स्पीकर शाहीद बोलेंगे।

उपाध्यक्ष (श्री गोपीचन्द गहलौल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता से जो आज हाउस में शोक प्रस्ताव रखा है उसमें सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों को शास्त्रांजलि दी गयी है। मैं भी अपनी भावनाएं इनके साथ जोड़ते हुए केवल यहीं कहूँगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के शोक प्रस्ताव नं० 5 पर श्री शुभराम के गांव का जो नाम नाहरपुर रूपका दिया गया है वह सही नहीं है इनके गांव का नाम नाहरपुर रूपा है इसलिए मैं चाहूँगा कि यह गांव का नाम करैवट कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एक-एक करके यह पीढ़ी हमारे बीच से जा रही है उससे ऐसा लगता है कि कुछ दिन के बाद इस तरह की भावन आत्माएं हमारे बीच में रहेंगी ही नहीं। यह

आज का जो दिन है वह उन्हीं की देन है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मां भारती की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में जो महान् शहीद अपना बलिदान दे रहे हैं वह भी कोई कभ आत नहीं है कोई दिन ही ऐसा जाता होगा जब हिंदियाणा के किसी सपूत्र का नाम आत न आता हो। ऐसे तो इस तरह के सभी नाम ज्ञात हैं लेकिन अगर किसी शहीद का नाम ज्ञात न हो तो उनको भी मैं अपनी संवेदना देना चाहूँगा। इसके बाद मैं शोक प्रस्ताव नं० ३ के बारे में कहना चाहूँगा। इसमें जो पांच व्यक्तियों का दुखद निधन हुआ वास्तव में यह किसी की हत्या नहीं है बल्कि यह मानवता की हत्या है इसलिए इसकी सभी को बड़ी सख्त निन्दा करते हुए संवेदना प्रकट करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही साथ गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरघास मन्दिर में आतंकवादियों द्वारा मारे गये निर्दोष लोगों को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। जो यह हत्याकांड २४ सितम्बर, २००२ को हुआ इसका चारों तरफ बड़ा असर पड़ा और सभी ने इसके प्रति अपना दुख प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि अक्षरघास मन्दिर में आतंकवादियों को मारने के लिए बाद में वहां पर मानेसर से एन०एस०सी० के कमांडो में जे गये थे। इन कमांडो में से दो कमांडो जो वीरगति की प्राप्त हुए थे उनमें से एक सुरेश यादव था जो कि कोटपुतली का रहने वाला था तथा मानेसर में कार्यरत था। हमें उनको भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है यह नाम भी शोक प्रस्ताव में जोड़ लिए जाएं।

श्री गोपी चन्द गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक कमांडो तो आज भी नौत से लाल रहा है। हमें उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जल्दी ठीक होकर देश की सेवा करे। इनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जम्मू कश्मीर एवं असम में आतंकवादी हमलों में जो भी लोग मारे गये हैं उनको भी यह हाउस संवेदना प्रकट करता है। इसी प्रकार से लखनऊ में भगदड़ में जो लोग मारे गये हैं उसका भी हम सबको बहुत दुख हुआ है। यह सदन भी इस शोक में शामिल है। इसी तरह से ९ सितम्बर, २००२ को बिहार के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर जो दुखद दुर्घटना हुई उसमें काफी यात्रियों का निधन हुआ। इनके प्रति भी हाउस गहरा शोक प्रकट करता है। इसी प्रकार से शोक प्रस्ताव संख्या ४ में झंडोनेशिया एवं रस में आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों का जिक्र किया गया है। इससे यह साबित होता है कि आतंकवाद कहीं पर अपना भयानक रूप दिखा सकता है। भारत तो इस बारे में पहले से ही कहता रहा है। आतंकवाद ने अमरीका और रस जैसे देशों को भी नहीं बरखा है। इसकी पूरा विश्व जितने सख्त शब्दों में निन्दा करे उतना ही कम है। जो निर्दोष बन्धक मारे गये हैं उनके प्रति भी पूरे हाउस की हमदर्दी है। हम सब उन मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करते हैं। इसी प्रकार शोक प्रस्ताव संख्या ४ की बात है। इसमें हमारे माननीय अदरश दरियाव सिंह की धर्मपत्नी के अक्सात निधन के बारे में कहा गया है। अध्यक्ष महोदय, होस्पीटल में डॉक्टर पूरी तरह से उनका इलाज भी नहीं कर पाए थे कि उससे पहले उनको दिल का दौरा पड़ा और उनके प्राण निकल गए। यह सारा हाउस श्रीभूति गोमति देवी के निधन पर शोक प्रकट करता है। हमारे हाउस के सम्मानित सदस्य और हमारे कैबिनेट के मंत्री श्री गौहम्मद इलियास जी के समर्थी चौधरी सरदार मौहम्मद जी हमारे क्षेत्र के असरदार व्यक्ति थे। उनका भी निधन हुआ है मैं यह चाहूँगा कि उनके निधन पर भी यह हाउस शोक प्रकट करे और उनका जाम इसमें शामिल कर लें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है यह नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव हाउस में रखे हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने

[श्री अध्यक्ष]

जो विचार प्रकट किए हैं, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच मैं इस संसार से हमारे बीच में से बहुत से लोग चले गए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करना थार्ड्ग्रा जिनका देश की आजादी की लड़ाई में दिये गये बहुमूल्य योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के अनथक परिश्रम का ही कल था कि हमें आजादी मिली। मैं इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और परम्परागत से प्रार्थना करता हूं कि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को अपने चरणों में स्थान दें।

हरियाणा के बीर सैनिकों के शहीद होने पर मुझे गहरा दुख है। इन बीर सैनिकों के बलिदान से ही हमारी स्वतंत्रता कायम है और कोई भी देश बीर सैनिकों के बलिदान को भुला नहीं सकता। इन सभी बीर सैनिकों जिनके नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिये हैं, की शाहादत पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सभी बीर सैनिकों के परिवारों के साथ मुझे गहरी सहानुभूति है।

बुलीना गांव में उम्र भीड़ छारा पांच दलित वर्ग के लोगों के दुखद निधन पर मुझे गहरा शोक है। यह घृणित कार्य कुछ लोगों की नासमझी का ही नतीजा है और ऐसे लोगों के कार्य से समाज में एकता और अखण्डता को किसी भी हालत में कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इन मारे गये पांच लोगों के परिवारों के साथ मुझे गहरी सहानुभूति है और इन लोगों के निधन पर मुझे गहरा शोक है।

गुजरात के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमले में, जम्मू कश्मीर में हाल ही में मारे गये लोगों और असम में 27 अक्टूबर, 2002 को आतंकवादी हमलों में मारे गये निर्दोष लोगों व इश्कोनेशिया और लास में आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के दुखद व असामरिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। आतंकवाद की जितनी भी निन्दा की जाए, उतनी ही कम है। आतंकवाद में निर्दोष और असहाय लोग ही शिकार होते हैं। निसन्देह यह आतंकवाद मानवता के विरुद्ध एक घृणित कार्य है।

लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों और बिहार में रफीगंज रेलवे स्टेशन के निकट राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गए यात्रियों के दुखद व असामरिक निधन पर मुझे गहरा शोक है। अन्त में मैं हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री दरियाव रिंग राजीरा की धर्मपत्नी श्रीमती गोमती देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं परम्परित परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन ध्यारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करूंगा।

(इस समय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन ध्यारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, आब सवाल-जबाब होंगे ।

Sarkar Apke Dwar Programme-Phase-III

*1232. **Shri Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether the programme ‘Sarkar Apke Dwar’ Phase-III has been started; and

(b) if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) जी हों, श्रीमानजी।

(ख) सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद इस कार्यक्रम का तृतीय चरण 2 अक्टूबर 2002 से आरम्भ किया गया है। राज्य के सब्रह जिलों की एक-एक विधान सभा क्षेत्रों का दौरा किया गया है और जिला जीन्द एवं सिरसा में शीघ्र दौरा किया जायेगा। विभिन्न विकास कार्यों की स्थीरों से सम्बन्धित 3200 से अधिक घोषणायें की जा चुकी हैं।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गाजरा साहब से पूछना चाहूँगा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पहले चरण में कितनी घोषणाएं की गई, दूसरे चरण में कितनी घोषणाएं की गई और कितनी घोषणाओं पर कार्य पूरा हो चुका है और कितनी घोषणाएं अधूरी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अभी कार्य सुरु भी नहीं किया गया है। कृपा बतायें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में एक नये युग का सूत्रपात सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर क्षेत्र में जाकर गंव के लोगों से उनके गंव की कठिनाइयों के बारे में पूछा और मौके पर ही उन्हें दूर करने का एलान किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पड़ले चरण में 15355 अनाउंसमेंट हुई जिनमें से 12244 अनाउंसमेंट पूरी कर दी गई जो कि 80 प्रतिशत के बराबर हैं, 2010 अनाउंसमेंट पर कार्य प्रगति पर है जिन पर काम चालू है और 152 अनाउंसमेंट पैंडिंग हैं जिनके एस्टेमेट बगैरह बन रहे हैं। दूसरे चरण में 17840 अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं उनमें से 7099 पूरी कर दी गई हैं और 7333 पर काम चल रहा है और 2247 के एस्टेमेट बगैरह बन रहे हैं। इस प्रकार प्रथम और द्वितीय चरण में जो एनाउंसमेंट हुई हैं वे अपने आप में एक एतिहासिक अनाउंसमेंट हैं। कुल अनाउंसमेंट 32245 हुई जिनमें से 19343 पूरी कर ली गई है और 9343 पर काम जारी है जो कुल मिलाकर 88 से 89 प्रतिशत के लगभग हैं जो पूरा कर लिया गया है।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, मैं तो माननीय भुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहूँगा कि क्या तोशाम कान्सिट्यूरेंसी भी हरियाणा में है, अगर है तो वहां पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय चरण में क्या मुख्यमंत्री जी तोशाम की लरफ गये हैं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, तोशाम हल्के की बहुत सी पंचायतें माननीय मुख्यमंत्री जी से मुद्राल में आकर मिलीं और बहुत सी पंचायतें भियानी में आकर मिलीं और उन पंचायतों की डिमांड की अनाउंसमेंट वर्डी पर कर दी गई।

Construction of Railway Bridge

***1196. Shri Jai Parkash Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Railway Bridge on the Ram Nagar-Kachawa Road in Karnal; and
- if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) और (ख) इस रेलवे ऊपरी पुल की तकनीकी सम्भाव्यता एवम् आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

श्री जयप्रकाश गुप्ता : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय चीफ पार्लियार्मेंटरी सीक्रेटरी महोदय से जानना चाहूँगा कि जिस पुल के बारे में उन्होंने अमी-अभी अन्वेषा जाहिर किया है कि उसकी जांच पढ़ताल हो रही है। पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल में गये थे और वहां पर वे अनाउंसमेंट करके आये थे कि यह पुल जल्दी ही तैयार हो जायेगा और इस पुल का जो खर्च होगा उसका आधा खर्च रेलवे विभाग वहन करेगा और आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, क्या यह बात सही है? दूसरी बात क्या रेलवे विभाग ने इस बारे में अपनी सहमति आपको पहले प्रवान कर दी है इस बारे में क्या आपको उन्होंने कोई लैटर लिखा है इस बारे में बताने का कष्ट करें?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि यह ठीक है कि 1995 में इस पुल की एंडोमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल मिली थी लेकिन 1998 में उस एप्रूवल को निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार से ये पूछना चाहते हैं क्या रेलवे अथोरिटी ने इस पुल की मंजूरी दी थी तो ऐसको बताना चाहूँगा कि हर्दा, रेलवे ने वर्ष 2001-02 के अपने वर्क प्लान में इसको रखा था और जैसा मैंने इनको बताया इसके लिए हमने सर्वे किया। लेकिन इसके नजदीक आधे पौने किलोमीटर की दूरी पर एक पुल है और यदि हम इस रामनगर-काछवा रेलवे पुल को थी०ओ०टी० लैवल पर बनाएंगे तो लोग पथकर देने की बजाय मुफ्त बाले पुल पर जाना शुरू कर देंगे। ऐसे इस पुल के बारे में गहन अध्ययन किया जा रहा है।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०ए०८० महोदय के नोटिस में लाना चाहूँगा जब से डबल रेलवे लाइन बिछाई गई है और बिजली की ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं, यह फाटक 24 घण्टों में से 16 घण्टे बन्द रहता है। इस पुल से देहात का बहुत ज्यादा किसान आता जाता है और शहर का एक तिकोरी एरिया इस लाइन पार है। रोज इस फाटक पर कोई न कोई हादसा होता है और कोई न कोई मौत हो जाती है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री महोदय

से इस पुल के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने मान भी लिया था कि अगर रेलवे विभाग इस पर पैसा खर्च नहीं करेगा तो हम सारा पैसा खर्च करके इस पुल को बनाएंगे। एक बात में और कहना चाहूँगा कि जो रोड कैथल को जाता है उस पर जो पुल है उसकी कंडीवार्ज और हैं लेकिन यह पुल बहुत जरूरी है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इस पर विचार किया जाए।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इस पुल के लिए लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और उन्होंने सत्कार कार्यवाही करके इसके सर्वे के आदेश कर दिए थे इसलिए यह पुल जिचारार्थ है।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूँगा कि रेलवे विभाग के साथ सहयोग करके हरियाणा प्रदेश की सरकार कोन कौन से पुल बनाने जा रही है, क्या सी०पी०एस० महोदय उनका विवरण देंगे और बताएंगे कि उनमें पलबल का कोई पुल शामिल है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि फरीदबाद का बाटा पुल फाइनल हो गया है और कुरुक्षेत्र के पुल का काम टाई अप हो गया है और काम शुरू होने वाला है। 17 पुलों के ऊपर विचार किया जा रहा है जिनमें से 10 पुलों के ऊपर प्राथमिकता के आधार पर विचार चल रहा है। इन पुलों के लिए रेलवे विभाग के साथ टाई अप किया जा रहा है और ज्यों ही उनके साथ कार्यवाही ओपेंट हो जायेगी, इन पुलों के बारे में विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि 25 सितंबर को केन्द्रीय रेलवे मंत्री ने प्राविकली घोषणा की है कि जहां कहीं भी हरियाणा सरकार रेलवे पुल बनाने के लिए हमसे अनुरोध करेगी, हम उनको 50 परसेंट पैसा रेलवे विभाग की तरफ से देंगे। इसको आधार मानकर 17 प्रायदस उनके नोटिस में लाए गए हैं, बाकी का सर्वे कर रहे हैं। जो-जो पुल इस लायक होंगे, उन पर पूरी तरह से हम काम शुरू करवा देंगे।

तारंकित प्रश्न संख्या 1227

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री निशान सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।

Dental Chairs

***1203. Shri Bhag Singh Chhattar :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether the Government has given any contract to any Company/Institution for the maintenance of Dental Chairs provided in Government Hospitals and Primary Health Centres, in the State; if so, the details thereof together with the number of chairs amongst them are in working condition at present ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम०एल० रंगा) : जी नहीं।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि एट प्रैर्जेट हरियाणा में डैंटल चेयर्स कितनी हैं और उनमें से कितनी वर्किंग कंडीशन में हैं क्योंकि

[डॉ० सीता राम]

इसके बारे में मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिए मंत्री जी कृपया इसके बारे में बताएं। जैसा कि मंत्री जी ने प्रश्न का जवाब नहीं में दिया है तो इन डैंटल चेयर्स की मैटीनेंस किस लरह से की जाती है। सरकार इसके ऊपर विचार करे और भविष्य में इसकी मैटीनेंस के लिए कोई अलग से प्रावधान करने के थारे में क्या सरकार कोई विचार कर रही है?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके भाष्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि हरियाणा में केवल 242 डैंटल चेयर्ज हैं, जो कि PHC, CHC और सामान्य अस्पतालों में हैं जिनमें से 30 डैंटल चेयर्ज आउट-डेटिङ हैं जो कि 30-30 साल पहले से ही बीओड रिपेयर हैं और उन 242 में से 28 चेयर ऐसी हैं जो रिपेयर के लायक हैं जिन्हें एक महीने में रिपेयर कर दिया जायेगा तथा आकी की चेयर वालू वालत में हैं और ठीक तरह से कार्य कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डैंटल चेयर्ज की रिपेयर के लिए अलग से हैड का तात्सुक है इस बारे में माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहां डैंटल चेयर्ज की रिपेयर के लिए अलग से कोई हैड नहीं है। जो हैड “इक्वीपमेंट्स की रिपेयर” का है उसी हैड से डैंटल चेयर्ज की रिपेयर करवाई जाती है और सभी सिविल सर्जन इसी हैड से डैंटल चेयर्ज तथा कोई दूसरी मशीन रिपेयर करवानी हो तो रिपेयर करवाते हैं। पिछले वर्ष मार्च 2002 तक इस हैड से 35 लाख 5 हजार रुपये का खर्च इक्वीपमेंट्स की रिपेयर पर हुआ था। इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 40 लाख रुपये आये हैं जिसमें से एक-एक लाख रुपये एडवांस में प्रत्येक सिविल सर्जन के पास भेज दिया है। सिविल सर्जन जो इक्वीपमेंट रिपेयर करवायेंगे उसके लिए कोटेशन लेंगे या कन्ट्रैक्ट करके अपने लैंचल पर ही रिपेयर करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब हमने मार्च, 2002 में चार डैंटल चेयर खरीदी उस समय हमने संबंधित कंपनी से समझौता किया है कि अगले पांच साल तक वे मुफ्त में इन चार चेयर्ज की मुरम्मत करेंगे तथा इसी तरह से आगे भी जो चेयर्ज खरीदी जायेगी उनका भी इसी तरह समझौता किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जो 28 डैंटल चेयर्ज रिपेयर के लायक हैं वे एक महीने के अंदर-अंदर रिपेयर करवा ली जायेंगी और काम करने लगेंगी।

श्री जयप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1998 में इन्होंने 20 डैंटल चेयर्ज खरीदने का कोई टैंडर किया था और यह टैंडर किस कंपनी को अलाट किया था तथा जो डैंटल चेयर्ज खरीदी गई थी क्या वे 15 दिन में ही खराब हो गई थी?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि पिछले साल मार्च, 2002 में हमने चार डैंटल चेयर्ज खरीदी हैं जो विलकुल ठीक चल रही हैं और आगे वाले पांच साल तक इन चार चेयर्ज में से कोई चेयर खराब होने पर कंपनी आगे मुफ्त में रिपेयर करेंगे। जहां तक 1998 ली ये बात कर रहे हैं इस बारे में माननीय साथी अलग से प्रश्न दें, उसको चैक करदाकर जवाब दे दिया जायेगा।

Construction of Veterinary Hospitals

*1207. **Shri Balwant Singh Sadhaura :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state the details of the amount sanctioned for the construction of Veterinary Hospitals, Dispensaries and S.M.C. in the State during the period from 25-7-1999 to 31-8-2002?

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ० मोहम्मद इलियास): श्रीमान, दिनांक 25-7-1999 से 31-8-2002 तक पशु अस्पतालों, औषधालयों व पशुधन केन्द्रों के निर्माण के लिए 1417.57 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी।

श्री बलवंत सिंह सडोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पशु अस्पताल और डिस्पैसरी बनाने के क्या-क्या नाम्ज वाले साल में कहां-कहां पर भई अस्पताल और डिस्पैसरी बनाई जायेंगी ?

चौ० मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जो नीतियाँ और पालिसीज अस्पताल तथा डिस्पैसरी बनाने के लिए हैं वे इस प्रकार हैं कि पशु धन प्रजनन केन्द्र के लिए पशुओं की संख्या 2000 और इंसानों की संख्या 5000 होनी चाहिए तथा एक केन्द्र की दूसरे केन्द्र से कम से कम तीन किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इसी तरह से पशु औषधालय के लिए पशुओं की संख्या 1000 और इंसानों की 2000 होनी चाहिए। तथा एक औषधालय की दूसरे औषधालय से तीन किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिस्पैसरी को अपग्रेड करने का ताल्लुक है इस बारे में भी बताना चाहूँगा कि जिस किसी भी डिस्पैसरी को अपग्रेड करने के लिए एस्लीकेशन आती है उस इलाके में पशुओं की संख्या 2000 होनी चाहिए और इंसानों की संख्या 5000 होनी चाहिए, तभी सरकार डिस्पैसरी को अपग्रेड करने वारे धिमर करती है। दिचार-विमर्श करने के बाद ही अपग्रेड किया जाता है।

श्री रामबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि दूध उत्पादन योजना के तहत हरियाणा में जो गांव जिले में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, उन गांवों में एस०एम०सी० नहीं हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि दूध उत्पादन में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले गांवों में एस०एम०सी० खोले जाएंगे।

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके भाष्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि जहां तक दूध के उत्पादन का सम्बन्ध है, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पंजाब सूधा पहले नम्बर पर है और दूसरे नम्बर पर हरियाणा है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इस बारे में यह लिख कर दे दें कि जहां-जहां पर दूध उत्पादन संस्थाए हैं और वहां पर एस०एम०सी० नहीं हैं वहां पर ऐसे सेंटर्ज खोलने के बारे में जल्लर विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह विसला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारी सरकार ने कई जनहित के निर्णय लिये हुए हैं जिस प्रकार से भारे हरियाणा में एस०सी० तथा बी०सी० औषधालों की मुरम्मत और रख-रखाव किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय सदस्य भी आश्वासन देंगे और यह देखेंगे कि काफी जगहें पर पशु अस्पताल तथा डिस्पैसरियां हैं लैकिन भूक्ष पागहों पर उनकी विलिंगज बहुत ही खस्ता हालत में हैं वहां पर डॉकटर्ज तथा वैटरनरी स्टाफ बाहर बैठता है। मंत्री महोदय सारे प्रदेश का सर्वे करवाएं और इकड़ा निर्णय लें कि वैटरनरी अस्पताल तथा डिस्पैसरीज का रख-रखाव ठीक रहे और उनकी विलिंगज की मुरम्मत करवाई जाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के कई डिस्से आए हैं जहां-जहां पर नाम्ज पूरे हो जाएंगे उन गांवों में एस०एम०सी० खोल दिए जाएंगे। दूसरे जहां तक अस्पतालों की विलिंगज की मुरम्मत का ताल्लुक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी सम्पत्ति का रख-रखाव करे और जहां कहीं मुरम्मत की जरूरत है गांवों में जो पशु अस्पताल हैं

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

दूसरे जितने भी सरकारी अदायरे हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनकी बिल्डिंग की मुरम्मत करवाई जाती है। जहाँ कहाँ पर ऐसी कोई शिकायत मिलेगी सरकार उसको दूर करेगी।

Pay Scale of Ayurvedic Doctors

***1218. Dr. Bishan Lal Saini :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant pay scale to the Ayurvedic Doctors at par with the Allopathic Doctors in the State ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० एम० एल० रंगा) : नहीं श्रीमान् जी।

डा० विशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, एक सितम्बर, 2002 में छछरौली विधान सभा क्षेत्र में चौधरी देवी लाल जी के स्टैचु का अनावरण सी०एम० साहब ने किया था उस मौके पर आयुर्वेदिक डाक्टरों ने अपनी मार्गे उनके सामने रखी थी। उस मौके पर भानीय मुख्य मंत्री जी ने यह मांग भानी थी कि आयुर्वेदिक डाक्टरों को ऐलोपैथिक डाक्टरों के समान धेतन मिलेगा। वहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह अनाउटसमैट भी की थी और यह कहा था कि यह वेतनमान अप्रैल से लागू हो जाएगे। अध्यक्ष भद्रोदय, मैं भानीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सदस्य भी शायद आयुर्वेदिक डिग्री प्राप्त डाक्टर होंगे। यह ठीक है कि हमारे साथी ने सवाल पूछा है मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि लोगों की तरफ से इस प्रकार की जो भी डिमाण्ड रखी जाती है उस डिमाण्ड की असैसमैट करवाई जाती है और अगर डिमाण्ड ठीक बैठती है तो निश्चित रूप से उस पर अमल किया जाता है।

Construction of a Siphon

***1204. Shri Jasbir Mallor :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Siphon over the Narwana Branch and Satluj-Yamuna Link Canal at village Naggal (Ambala) to drain out the flood water; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल भाजपा) : नहीं, श्रीमान् जी। वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री जसबीर भलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे एक सर्वे करवाएं। मेरे हल्के नगगल के करीब 40 गांव ऐसे हैं जहाँ हर साल बाढ़ आती है। वहाँ पर उस बाढ़ से भारी और भयंकर तबाही होती है। हर साल लोगों रुपये लोगों को बसाने पर खर्च करना पड़ता है। बाढ़ की शोक थाम के बारे में पब्लिक कॉर्ट तरफ से मांग रखी गई थी और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका ऐस्टिमेट भी बनाया था। अध्यक्ष भद्रोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री भद्रोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कर्यवाही की गई है या नहीं यदि इस बारे में कोई कार्यवाही की जाती है तो क्या उस पर जल्दी विचार किया जाएगा ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि वहाँ पर सार्वजनिक बनाने के बारे में निचली तरफ बाईं और के जो गांव हैं खन्ना माजरा, बफनौर, निया माजरा, अलाउदीन माजरा, सोनपुर, सकेती, बिशनगढ़ इत्यादि गांव के लोगों ने विरोध किया और उनके विरोध के बायजूद भी 9 करोड़ 42 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर टी०४०८० की भीटिंग में ले जाया गया और उस कमेटी ने उसको टैक्नीकली ग्राउंड पर डैफर कर दिया था। इसलिए इसको बनाया जाना ठीक नहीं था। इसके अलावा दूसरी तरफ के लोग इस बारे में बहुत भारी एतराज करते हैं।

श्री जसवीर भलीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि उसमें दोनों सार्वजनिक पर बांध बनाकर पिंचिंग करके वहाँ के बाड़ के पानी को आगे टांगरी नदी में डाला जा सकता है उससे उन गांव के लोगों को नुकसान भी नहीं होगा जो इस बारे में एतराज करते हैं। उन गांव वालों को उस इधर वहाँ बात का है कि सार्वजनिक बनाने से उनको नुकसान न हो जाए। अध्यक्ष महोदय, टैक्नीकल अधिकारियों से ऐसा एस्टीमेट बनवाएं जिससे दोनों सार्वजनिक पर बांध बना करके पिंचिंग करके उस बाड़ के पानी को टांगरी नदी में पिरा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पैसे की बात है तो सुप्रीमकोर्ट ने पिछले दिनों एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में हरियाणा सरकार के हक में फैसला दिया है, अब एस०वाई०एल० की दोबारा से रिपेयर होगी तो उसमें इस काम का खर्च डाल सकते हैं ताकि वह भी आसानी से बन सके।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इसको लकनीकी आधार पर रिजैक्ट किया जा चुका है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर और नरवाना ब्रांच पहले ही बहुत ज्यादा भराई से ऊंची है। अध्यक्ष महोदय, जब टैक्नीकल एड्युइजरी कमेटी ने रिजैक्ट कर दिया है तो उसको दोबारा से कियान्वित नहीं किया जा सकता है।

Saraswati Feeder

*1201. **Shri Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- Whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Saraswati Feeder ; and
- if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) यह कार्य दिसम्बर, 2001 में पूरा हो चुका है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ में यह कहना चाहूंगा कि हमारे सरस्वती फैडर की समस्या है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से बारिश कम होने की वजह से हमारी सरस्वती फैडर नहर में कम पानी आता है क्योंकि पहले वहाँ पर भानी मुश्तवापुर झील में रोक लिया जाता है और वह पानी नहर के माध्यम से कैथल डल्के में दिया जाता था। मैंने मंत्री जी से भी कहा था कि कुरुक्षेत्र के गन्दे नाले का और सीधरेज का गन्दा पानी नहर में डाल दिया जाता है जिसकी वजह

[श्री लीला राम]

से उसमें जाला थन जाता है और पानी का बहाव पूरी तरह से उक जाता है। हमारे कैथल में विशेष तौर से चार माईनर्ज पड़ती हैं और ये आरो जिले कैथल में ही पड़ती हैं। ये शोरगढ़ माईनर, दुधरेड़ी, उलगड़न माईनर और शुना माईनर हैं। जाले की वजह से किसी भी माईनर के टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। ऐसी हरियाणा सरकार से अपील है कि उस सीवरेज के पानी को और गन्दे जाले के पानी को किसी और रास्ते से निकाला जाए और उसे और कहीं डालने की व्यवस्था करें क्योंकि यह बहुत ही भयकर समस्या है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भानीय साथी को कहना चाहूंगा कि जाले याली बाल को इन एग्जामिन करण से लैंगे क्योंकि यह सरकार किसानों को सर्वोपरि समझती है। अध्यक्ष महोदय, इस बाल को मध्यनजर रखते हुए इसी फीडर पर 86.82 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इनकी कपैस्टी 30 प्रतिशत बढ़ाई गई है। जहां तक बहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो मैं इनको थताना चाहूंगा कि पहले बीबीपुर इलाके में पानी जमा किया जाता था वहां पर किसानों ने इसका विरोध किया था। उसके बाद ही इसकी कपैसिटी बढ़ाई गई है ताकि कैथल के किसानों को पानी जो सरखती फीडर से फीड होता है वह उनको दिया जा सके। जहां तक जाले की बात है तो हम उन जालों को निकलवाएंगे।

Amount spent on Repair/Construction of Roads by H.S.A.M.B.

*1219. **Ch. Nafe Singh Rathi :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state, the Constituency wise amount spent on the repair and newly constructed roads of Jhajjar and Rohtak districts by the H.S.A.M.B. during the period from 15th May, 1991 to 22nd May, 1996 and from 23rd May, 1996 to 27th July, 1999 and from 1st August, 1999 to 31st August, 2002 separately?

कृषि भंडी (ल० जसदिन्द्र सिंह सन्दू) : जिला झज्जर व सोहलक में सड़कों की मुरम्मत व नव-निर्माण पर किये गये खर्च का विधानसभा क्षेत्रधार विवरण विधानसभा घटन पर रखा जाता है।

विधानसभा क्षेत्रधार सड़कों की मुरम्मत व निर्माण पर किये गये खर्च का विवरण :

ल० विधानसभा क्षेत्र आईटीम सं० का नाम	व्यय (रुपये लाखों में)			
	15-5-91 से 23-5-96 से 1-8-99 से	22-5-96 27-7-99 31-8-02		
1 2 3	4	5	6	
(क) जिला झज्जर				
(i) बहादुरगढ़	नई सड़कों का निर्माण 15.45 सड़कों की मुरम्मत शून्य 14.50	1.76	81.22 481.51	
(ii) झज्जर	नई सड़कों का निर्माण 4.19 सड़कों की मुरम्मत शून्य 4.11	2.57	116.32 47.36	

1	2	3	4	5	6
(iii)	सालहावास	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	46.53 शून्य	21.87 1.16	150.10 49.51
(iv)	धेरी	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	23.86 शून्य	20.42 शून्य	166.88 98.75
(v)	बादली	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	60.30 शून्य	शून्य 15.38	199.52 307.63
(ख) जिला रोहतक					
(i)	हस्तगढ़	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	24.23 शून्य	शून्य 25.21	419.68 636.07
(ii)	किलोई	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	113.26 1.01	31.71 48.29	283.40 65.99
(iii)	महम	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	44.61 2.18	9.76 16.10	581.07 814.70
(iv)	कलानौर	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	17.39 शून्य	शून्य 19.22	290.64 33.30
(v)	रोहतक	नई सड़कों का निर्माण सड़कों की मुरम्मत	2.36 शून्य	शून्य शून्य	24.30

स० जसविन्द्र सिंह संधू: सर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका विवरण पढ़कर सुना दूँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है सुनाईये।

स० जसविन्द्र सिंह संधू: सर, जिला झज्जर में बहादुरगढ़ की नयी सड़कों के निर्माण पर 15-6-1991 से 22-5-1996 तक 15 लाख 45 हजार रुपये खर्च किये गये और चौथी बंसीलाल जी के राज में 23-5-1996 से 27-7-1999 तक पौने दो लाख रुपये खर्च किये गये जबकि हमारी सरकार आने के बाद 1-8-1999 से 31-8-2002 तक 81 लाख 22 हजार रुपये खर्च हुए। बहादुरगढ़ में सड़कों की मुरम्मत के लिए पहली अवधि के दौरान एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया था। दूसरी अवधि के दौरान बंसी लाल जी की सरकार के भमद में सिर्फ 14.50 लाख रुपये खर्च किये गये और हमारी अवधि के दौरान 481.51 लाख रुपये बहादुरगढ़ में खर्च किये गये। इसी तरह से झज्जर में नयी सड़कों के निर्माण पर पहली अवधि के दौरान सिर्फ 4.19 लाख रुपये खर्च किये गये और दूसरी अवधि के दौरान सिर्फ 2.57 लाख रुपये खर्च किये गये और हमारी अवधि के दौरान 116.32 लाख रुपये खर्च किये गये। इसी तरह से झज्जर में सड़कों की मुरम्मत पर पहली अवधि के दौरान एक नया पैसा भी नहीं खर्च किया गया और दूसरी अवधि के दौरान सिर्फ 4.11 लाख रुपये खर्च किये गये और हमारी अवधि के दौरान 47,36,000 रुपये खर्च किये। इसी तरह से झालहावास में नयी सड़कों के निर्माण के लिए पहली अवधि में 46.53 लाख

[सं० जसविन्द्र सिंह संधु]

रुपए और दूसरी अवधि में सिर्फ 21.87 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान एक करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। सर, इसी तरीके से सङ्करों की मुरम्मत के लिए साल्हावास में पहली अवधि के दौरान शून्य और दूसरी अवधि के दौरान सिर्फ एक लाख 16 हजार रुपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान 49 लाख 51 हजार रुपये खर्च किये गये हैं। (विधान) सर, इसी तरह से बेरी में नयी सङ्करों के निर्माण पर पहली अवधि के दौरान 23.85 लाख रुपये और दूसरी अवधि के दौरान 20.42 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान एक करोड़ 66 लाख 88 हजार रुपए खर्च किये गये हैं। इसी तरह से बेरी में सङ्करों की मुरम्मत के लिए पहली अवधि के दौरान शून्य और चौधरी बंसीलाल जी के राज्य में भी शून्य जबकि हमारी अवधि के दौरान 98 लाख 75 हजार रुपये खर्च किये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामकिशन एवं रघुबीर कादियान जी, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुबीर सिंह कादियान : यह पैसा कहां चला गया है इसकी तहकीकत होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही सीरियस भाष्मला है।

श्री अध्यक्ष : आपके सामने चौधरी भजनलाल जी बैठे हैं। आप इनसे ही इस बारे में पूछिए।

सं० जसविन्द्र सिंह संधु : स्थीकर सर, इसी तरह से बादली में नयी सङ्करों के निर्माण पर पहली अवधि के दौरान सिर्फ 60.30 लाख रुपये और बंसीलाल जी के राज्य में शून्य जबकि हमारे राज में एक करोड़ 99 लाख 52 हजार रुपये यानी 48 हजार कम दो करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसी तरह से सङ्करों की मुरम्मत पर पहली अवधि में शून्य और दूसरी अवधि में चौधरी बंसीलाल जी के राज में 15.38 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि हमारे राज में 307.63 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इसी तरह से रोहतक जिले में हसनगढ़ में नयी सङ्करों के निर्माण पर पहली अवधि के दौरान सिर्फ 24.23 लाख रुपये और बंसीलाल जी के राज में शून्य जबकि हमारी सरकार के दौरान चार करोड़ 19 लाख और 68 हजार रुपये खर्च किये गये हैं। हसनगढ़ में सङ्करों की मुरम्मत के लिए भजनलाल जी के राज में शून्य और बंसीलाल जी के राज में 25.21 लाख रुपये खर्च किये गये जबकि हमारी अवधि के दौरान 6 करोड़ 36 लाख 7 हजार रुपये खर्च किये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से किलोई में नयी सङ्करों के निर्माण के बारे में मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूँगा कि पहली अवधि के दौरान 113.26 लाख रुपये और बंसीलाल जी के राज में सिर्फ 31.71 लाख रुपये खर्च किये गए हैं। मैंने मेहम में नयी सङ्करों के निर्माण में पहली अवधि के दौरान भजन लाल जी के राज में 44.61 लाख रुपये चौधरी बंसी लाल जी के राज में 48.29 लाख रुपये और हमारी अवधि में 10.10 लाख रुपये खर्च किये हैं। मैंने भजन लाल जी के राज में 2.18 लाख रुपये और बंसी लाल जी के राज में 16.10 लाख रुपये और हमारे राज की अवधि में 8 करोड़ 14 लाख 70 हजार रुपये खर्च किए जा चुके हैं। कलानौर में पहली अवधि के दौरान सङ्करों पर 17.39 लाख रुपये और बंसी लाल जी के राज में एक नया पैसा भी नहीं और हमारी अवधि के दौरान 2 करोड़ 90 लाख 64 हजार रुपये खर्च हुए हैं। इसी तरह से सङ्करों की मुरम्मत पर भजन लाल जी के राज में एक नया पैसा भी नहीं खर्च

किया और बंसी लाल जी के राज में 19.22 लाख रुपया और हमारे राज में कुल 33.30 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। रोहतक में पहली अवधि के दौरान नयी सड़कों पर 2 लाख 36 हजार रुपये खर्च हुए हैं। क्योंकि यह काम मार्किटिंग बोर्ड करता है हम शहरों की सड़कें नहीं बनाते। जो कोई रोहतक शहर की सड़क गांव के साथ लगती है वह हम बनाते हैं और उस पर हमने 24 लाख 30 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। यह दोनों जिलों का व्यौरा है (शोर एवं व्यवधान) चाहे भजन लाल जी की पांच साल की सरकार थी या चौधरी बंसी लाल जी की साढ़े तीन साल की सरकार थी जो खर्च कुल साढ़े आठ या 9 साल की अवधि में नहीं हुआ वह खर्च हमने अद्वाई तीन साल की अवधि में किया है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, आज मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के गदिशील नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार चल रही है और जैसा मंत्री जी ने बताया। इनके नेतृत्व में नयी सड़कों के निर्माण पर बहुत अधिक प्रशंसनीय कार्य किया गया है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि वे बताएं कि 1987 से 1991 की अवधि के दौरान बहीन से सेवली और नांगल जाट से अंधोप तक जो सड़क बनी थी उस पर पिछले दस सालों से कोई रिपेयर नहीं हुई है, यह रिपेयर कब तक करा दी जाएगी ? (विष्णु)

श्री अध्यक्ष : यह सर्वीमेंट्री सवाल से रिलेटेड नहीं है। आप थेठ जाएं।

चौ० नके सिंह राठी : स्पीकर सर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में चहुंमुखी दिकास के कार्य चल रहे हैं और हरियाणा में विपक्ष भी सरकार पर कोई व्येष नहीं लगा सकता कि हमारे हालों में काम नहीं हुआ। हुड़ा साहब, आपकी पार्टी की सरकार के सभय में आपके हालों में चौधरी भजन लाल जी ने नयी सड़कों बनाने के लिए पांच साल की अवधि में लगभग 1.14 लाख रुपये लगाए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार भें 3 करोड़ 49 लाख 39 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। वेरी में कांग्रेस की सरकार ने केवल 23 लाख 85 हजार रुपये खर्च किये थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने 2 करोड़ 65 लाख 63 हजार रुपये खर्च किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि दो अद्वाई साल पहले जो सड़कें मार्किटिंग बोर्ड से रिपेयर कराई गई थीं इनमें से कुछ सड़कें पी०डल्लू०डी० की थीं जो मार्किटिंग बोर्ड ने रिपेयर की थीं उसके बाद से तीन सीजन बारिश के चले गए हैं और कुछ जगहों से छोटी सोटी टूटनी शुरू हो गई हैं उनकी रिपेयर मार्किटिंग बोर्ड कराएगा या पी०डल्लू०डी० ने करानी हैं ? कौन सा डिपार्टमेंट इनकी रिपेयर करायेगा और कब से यह काम शुरू कर दिया जाएगा ?

स० जसविन्द्र सिंह सन्धू : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया कि जो पी०डल्लू०डी० की सड़कें हैं उनकी रिपेयर का काम मार्किटिंग बोर्ड करेगा और इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश की 3200 किलोमीटर लम्बी सड़कों की रिपेयर का काम करने के लिए मार्किटिंग बोर्ड को दिया है, जिन पर रिपेयर का काम चल रहा है।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अभी-अभी जो उन्होंने सदन के पटल पर व्यौरा प्रस्तुत किया है उस व्यौरे को प्रस्तुत करते हुए कहा कि शहरों की सड़कों की रिपेयर का काम मार्किटिंग बोर्ड नहीं करता। लेकिन जिन शहरों के बीचों

[श्री अनित विज]

वीच अनाज मण्डी हैं उन मण्डियों में अनाज लाने ले जाने से वहाँ की सड़कें दूट गई हैं, क्या उन सड़कों की रिपेयर का काम मार्किटिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष यहोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार के दिमाग में शहरों का और देहात का कोई प्रश्न नहीं है। मार्किट कमेटी का अपना दायरा है और नगर पालिका का अपना दायरा है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी सड़कों की मरम्मत करे। कौन से अदायरे कौन सी सड़क की मरम्मत कर सकते हैं इस बारे में बैठकर तय कर लिया जायेगा। लेकिन हमारा एक निर्णय है कि समय तो लग सकता है क्योंकि पैसा ज्यों-ज्यों आयेगा बजट के आधार पर उसी हिसाब से खर्च किया जायेगा लेकिन हम सभी सड़कों की भरम्मत का काम बार फूटिंग के आधार पर करेंगे। जड़ों-जहाँ पर सूचना मिलेगी कि सड़कों की मरम्मत होनी है वहाँ पर मरम्मत का कार्य किया जायेगा। हमारी सरकार, साथ लगते दूसरे प्रदेशों की जितनी भी उनकी बाउंडरी हमारे साथ लगती हैं, उन सक जो सड़कें जाती हैं, उनको ठेठ तक पक्का बनाने का काम करेगी।

Amount Released by HRDF

*1200. **Shri Balwant Singh Maina :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount released to the Panchayats by the HRDF for the execution of various development works in Jhajjar, Salhawas, Beri, Bahadurgarh, Badli, Kiloi, Hasangarh, Meham, Kalanaur, Rohat, Rai, Kailana and Julana Constituencies, during the period from 20th May, 1991 to 20th May, 1996 and from 22nd May, 1996 to 27th July, 1999 togetherwith the amount sanctioned and released during the period from 1st August, 1999 to 31st August, 2002 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन पटल पर रखी जाती है।

विवरण

ग्रामीण विकास कार्यों के लिए विधान सभा हल्कों में जैसे झज्जर, सालहाड़ास, बेरी, बहादुरगढ़ बादली, किलोई, हसनगढ़, महम, कलानीर, रोहट, राई, कैलाना तथा जुलाना में एच०आर०डी०एफ० स्कॉम के तहत स्वीकृत/जारी की गई राशि का विवरण :--

(राशि लाखों में)

हल्का	20-5-1991 से 20-6-1996		22-5-1996 से 27-7-1999		1-8-1999 से 31-8-2002	
	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7
झज्जर	29.96	29.96	249.93	230.51	297.87	280.34
सालहाड़ास	58.23	58.23	96.26	52.58	556.99	452.33
बेरी	282.36	282.36	33.32	26.26	461.94	337.25
बहादुरगढ़	44.40	44.40	24.79	17.89	568.73	535.92
बादली	22.80	22.80	17.08	17.08	564.86	528.67
किलोई	124.15	124.15	57.53	49.27	194.49	194.49

1	2	3	4	5	6	7
हसनगढ़	50.89	50.89	24.07	21.53	459.18	413.80
महम	117.35	117.35	36.73	33.00	466.41	433.86
कलानीर	42.75	42.75	5.99	5.99	432.58	359.29
रोहट	15.33	15.33	149.11	109.43	235.62	231.57
राई	25.18	25.18	13.31	13.31	354.53	331.62
कैलाना	37.32	37.32	167.38	158.24	456.87	433.87
चुलाना	20.57	20.57	191.33	161.73	225.41	225.41

श्री बलबन्त सिंह मायना : स्थीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने सूचना पटल पर रखी है उसमें एच०आर०डी०एफ० की मद में कितना पैसा है और ये पैसा कौन-कौन से विकास कार्यों के लिए लिया दिया जाता है। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि समय अवधि में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कौन-कौन से कार्यों के लिए कितना धन दिया गया है और 1991 से 1999 तक जो पैसा दिया गया उस समय किसकी सरकार थी और 1999 से 2002 तक इस सरकार के समय में कितना पैसा दिया गया है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, हरियाणा ऊरल डिवलैपमेंट फण्ड के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो “सरकार आपके द्वार” प्रोग्राम चलाया है उससे हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में, गली-गली में आज हरियाणा ऊरल डिवलैपमेंट फण्ड के बारे में सभी पंचायतें, सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, जिला परिषदों के मैम्बर जानने लग गये हैं। इस फण्ड के सहत गांव की गलियों की मरम्मत के लिए रस्कूलों के कमरों का निर्माण करने के लिए, रस्कूलों की धारदीवारी के लिए, आयुर्वेदिक डिस्पैसरी के लिए, पशु डिस्पैसरी के लिए, सी०एम०सी० के लिए, पशु औषधालयों के लिए, हरिजन चौपाल के लिए, बैकवर्ड बलास की चौपाल के लिए, हरिजन चौपाल की मरम्मत के लिए, बैकवर्ड की चौपाल की मरम्मत के लिए, हरिजन चौपाल और बैकवर्ड चौपाल की कम्पलीशन के लिए, हरिजन चौपाल की धारदीवारी के लिए, बैकवर्ड चौपाल की धारदीवारी के लिए और पंचायत घर की चार दीवारी बनाने के लिए, गंदे पानी की डिस्पोजल के लिए, भाले बनाने के लिए, शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को बनाने के लिए, शमशान घाट में शौल के निर्माण के लिए, हाड़ ऊर्ध्वी की चार दीवारी बनाने के लिए, जोड़ह में पानी भरने के लिए, नाले बनाने के लिए, खातों बनाने के लिए, बलास रुम और साईंस रुम बनाने के लिए, रिटेनिंग बाल के लिए, जल वितरण पानी की टैकी बनाने के लिए राशि वितरित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने यह भी जानना चाहा है कि इस समयावधि में जो इन्होंने प्रश्न में उद्घृत की है कि इनकी कौन-कौन सी कांस्टीट्युसी में कितना-कितना पैसा दिया गया है और उस बक्त कौन शासन चला रहा था, इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि 20-5-91 से 20-5-96 तक झज्जर में कितना पैसा दिया गया तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि 20-5-91 से 20-5-96 तक झज्जर में विकास कार्यों के लिए 42 लाख 75 हजार रुपये दिए गए और उस समय भजन लाल जी भूख्यमंत्री थे। माननीय छोटाला साहब के राज में झज्जर को विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 97 लाख रुपये दिए गए थे। भजन लाल जी, यह आपने आप में रिकार्ड की बात है और बंसीलाल जी के समय में कितना पैसा किस कांस्टीट्युसी को विभिन्न कार्यों के लिए दिया गया अगर माननीय साथी खालीं तो भी पढ़कर भुना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : भाजरा साहब, आप काम की बजाय कास्टीचुंसी वाइज बताएं कि टोटल कितना पैसा दिया गया।

श्री रामपाल माजरा : जब प्रकाश जी, थैंक्स कर रहे थे कि सारी साफ़के बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से साल्हावास की मायना साहब को बड़ी धिन्ता है। मैं विशेष रूप से बहन जी को बताना चाहता हूँ कि भजनलाल जी के राज में 1991 से 1996 तक साल्हावास की गलियों और नालियों, चौपालों और फ्लॉट रिलोफ के लिए 58 लाख रुपये मिले। बहन जी, आप कान खोलकर सुनें कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला के राज में साल्हावास को 5 करोड़ 55 लाख रुपये मिले हैं, यह तो आपका दिल भी गवाही देगा कि आपके साल्हावास की गलियों के लिए 3 करोड़ 71 लाख रुपये और स्कूल रूप्स बनाने के लिए 13 लाख रुपये दिए गए, बाउंडरी वाल के लिए 7 लाख 68 हजार रुपये, रिपेयर आफ स्कूलस के लिए 2 लाख 78 हजार रुपये, वैटरनी डिस्पैसरीज के लिए 7.22 लाख रुपये दिए गए। नई हरिजन चौपालों, बैकवर्ड चौपालों के लिए 19 लाख रुपये दिए गए, धी.सी. चौपाल और एस.सी. चौपालों की रिपेयर के लिए 95 हजार 50 रुपये दिए गए। हरिजन धौपाल की बाउंडरी वाल के लिए 77 हजार रुपये, पंचायत घर की बाउंडरी वाल के लिए 2 करोड़ 33 लाख रुपये दिए गए। वेस्ट बाटर की निकासी के लिए नाला बनाने के लिए 39 लाख रुपये और दिए गए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शमशान घाट के लिए 19 लाख 86 हजार रुपये दिए गए, शैड आम शमशान घाट के लिए 10 लाख 36 हजार रुपये दिए गए। इस प्रकार टोटल 5 करोड़ 55 लाख 99 हजार रुपये बनता है। बहन जी, साल्हावास की चिन्ता मायना साहब को है। चौ० बंसीलाल जी के राज में मात्र 96 लाख रुपये मिले थे गलियों के लिए 92 लाख रुपये और स्कूलों के कमरों के लिए 4 लाख 26 हजार रुपये मिले। (विधा) इसलिए ऐसे विरोध करने से नहीं चलेगा, ये गांव के लोग बोल रहे हैं।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक साल्हावास की बात आई और जहां तक माननीय मंत्री जी ने मेरा नाम लिया, मंत्री जी हमारी धिरेंसिज के मंत्री हैं, हम इनका मान करते हैं। जहां तक हरिजन चौपालों की बात है।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप गांव के बारे में न पूछें, पैसे लगे हैं या नहीं यह पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, कुछ पैसे लगे होंगे और कुछ ज्यादा दिखा दिए होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब बहुत लम्बा है। बंसी लाल जी के समय में बेरी हल्के को विकास के लिए 33 लाख 32 हजार रुपये दिए गए और भजनलाल जी के समय में बेरी को विकास के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपये दिए गए और श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में 4 करोड़ 61 लाख 94 हजार रुपये बेरी हल्के को मिले हैं। बेरी की गलियों के निर्माण के लिए इस बक्स में 2 करोड़ 61 लाख 46 रुपये और स्कूलों के कमरों के लिए 24 लाख 66 हजार रुपये मिले हैं। स्कूलों की बाउंडरी वाल के लिए 7 लाख 46 हजार रुपये और वैटरनी डिस्पैसरीज के लिए 3 लाख 57 हजार रुपये मिले हैं। नई हरिजन चौपाल बनाने के लिए 13.25 लाख रुपये, नई धी.सी. चौपाल बनाने के लिए 1.25 लाख रुपये, बाउंडरी कम्पलीकेशन आफ हरिजन चौपाल के लिए 24 हजार रुपये, बाउंडरी वाल आफ हरिजन चौपाल

के लिए 83 हजार रुपये, बाउंडरी वाल आफ थी०सी० चौपाल के लिए 59 हजार रुपये, गन्दे यानी के नाले के लिए 32.49 हजार रुपये, शमशानघाट के लिए 4.98 लाख रुपये, शमशानघाट में शैड बनाने के लिए 2.96 लाख रुपये, रिटेनिंग वाल के लिए 43.49 हजार रुपये, गफ घाट के लिए 90 हजार रुपये और कामन स्थानों के लिए 95 हजार रुपये दिए गये हैं। स्पीकर सर, किलोई के बारे में बसाना बाहुगां कि किलोई हल्के में 1998 से 1999 के दौरान 57 लाख रुपये और चौधरी भजन लाल जी के समय में 124 लाख रुपये दिए गये थे लेकिन चौटाला साहब ने किलोई हल्के के विकास के लिए 1 करोड़ 94 लाख 49 हजार रुपये दिए हैं। किलोई से हुड्डा साहब विधायक हैं लेकिन हमारे मुख्यमन्त्री महोदय ने किसी भी हल्के के साथ भेदभाव नहीं किया और पूरे हरियाणा प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं।

कैटन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कैटन साहब नेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं इसलिए इनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) जो भी माननीय सदस्य थे-थे बोल रहे हैं। उनकी बात भी रिकार्ड न की जाये।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, बहारदुगङ्ग हल्के का नफे सिंह राठी जी प्रतिनिधित्व करते हैं। चौधरी भजन लाल जी के समय में बहारदुगङ्ग हल्के के विकास के लिए 44 लाख रुपये दिए गये और चौधरी बंसी लाल जी के समय में 24 लाख रुपये दिए गये लेकिन चौटाला साहब ने बहारदुगङ्ग हल्के के विकास के लिए 468.73 लाख रुपये दिए हैं। स्पीकर सर, चौधरी धीरपाल जी पिछली कई योजनाओं से बाथली हल्के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चौधरी भजन लाल जी ने और चौधरी बंसी लाल जी ने इस हल्के के विकास की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया और इस हल्के के साथ भेदभाव होता रहा। इस हल्के के विकास के लिए चौधरी भजन लाल के समय में 22 लाख रुपये दिए गये और चौधरी बंसी लाल जी के समय में 17 लाख रुपये दिये गए थे जबकि चौटाला साहब ने बादली हल्के के विकास के लिए 564.86 लाख रुपये दिये हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से हसनगढ़ हल्के का प्रतिनिधित्व मायना साहब कर रहे हैं और इस हल्के के साथ भी दूसरी सरकारों के समय में काफी भेदभाव हुआ है। चौधरी बंसी लाल जी के समय में इस हल्के के विकास के लिए 24 लाख रुपये और चौधरी भजन लाल जी के समय में 50 लाख रुपये दिए गये थे और चौटाला साहब ने हसनगढ़ हल्के के विकास के लिए 459.18 लाख रुपये दिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप हसनगढ़ हल्के के गांठों की गलियां पकड़ी बनी और स्कूलों में कमरे भी बने। स्पीकर सर, महम हल्के के विकास के लिए चौधरी बंसी लाल जी के समय में 36 लाख रुपये और चौधरी भजन लाल जी के समय में 1.17 करोड़ रुपये गिले जबकि चौटाला साहब ने 466.41 लाख रुपये दिये, यही कारण है कि चौटाला साहब की सरकार आने के बाद महम हल्के के गांठों का भी काफी विकास हुआ। स्पीकर सर, इसी तरह से कलानीर हल्के के विकास के लिए चौधरी भजन लाल जी के समय में 42 लाख रुपये और चौधरी बंसी लाल जी के समय में 5.99 लाख रुपये खर्च हुए जबकि चौटाला साहब ने कलानीर हल्के के विकास के लिए 432.58 लाख रुपये दिए हैं। रोहट हल्के में चौधरी भजन लाल जी के राज में केवलमात्र 15 लाख 33 हजार रुपये विकास के कामों पर खर्च हुए क्योंकि रोहट भी इनकी ओर रुक़ता था जब कि चौधरी ओर प्रकाश चौटाला जी

*चेयर के आवेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री राम पाल माजरा]

के राज में 2 करोड़, 35 लाख, 62 हजार रुपये खर्च हुए। स्पीकर साहब, इसी प्रकार से राई हल्के में चौधरी बंसी लाल जी के राज में 13.31 लाख रुपये विकास के कामों पर खर्च हुए और चौधरी भजन लाल जी के राज में 25.18 लाख रुपये खर्च हुए जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में 3 करोड़, 54 लाख 53 हजार रुपये खर्च हुए हैं। स्पीकर सर, अभी तो हमारे अद्वाई साल ही पूरे हुए हैं (विद्वन)। पाई का जिक्र नहीं है, कैलाना का जिक्र है। स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी के टाईम में कैलाना में विकास के कामों पर 33,32,000/-रुपये भात्र खर्च किए गए और चौटाला साहब के राज में 4, 56,87,000/-रुपये खर्च हुए हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। किलोई हल्के के विधायक यह कह रहे हैं कि हाँ हुए हैं उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया है। स्पीकर सर, चौधरी शेर सिंह जी जुलाना के बारे में कह रहे हैं। जुलाना हल्के में चौधरी भजन लाल जी के टाईम में 30,54,000/- रुपये विकास के कामों पर खर्च हुए और चौटाला साहब के राज में 2,25,41,000/-रुपये खर्च हुए हैं। (विद्वन)

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, *** ***** *****

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, आप बैठिए। (शेर एवं व्यवधान) आप इनकी बात सुनिए (विद्वन) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। आप पैरेंस से सुनिए और जरा धैर्य रखिए (विद्वन)। शेर सिंह जी की कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, जय प्रकाश जी बीच में बार-बार खड़े हो रहे हैं। अगर ये कांस्टीट्यूरेंसी वाईज़ भारे क्षेत्रों की डिटेल आहते हैं तो मैं वह रिपोर्ट भी इनके समक्ष रख देता हूँ। इस छोटे से शासनकाल में बहुत काम हुए हैं। (विद्वन) चौधरी भजन लाल जी का 5 साल का राज रहा और उसमें विकास के कामों पर 177 करोड़ रुपये खर्च हुए और इस सरकार के छोटे से शासनकाल में 400 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए हैं और 436 करोड़ रुपये की मन्जूरी दे दी गई है। स्पीकर सर, इसके अलावा माननीय चौटाला साहब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने गांधी में विकास के कामों का रंग ला दिया और गांधी में फुलगाढ़ी सी खिला दी।

Construction of 33KV Sub. Station Sisai.

*1222. **Shri Puran Singh Dabra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 33 KV Sub-station at Sisai in District Hisar ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हाँ श्रीमान्, जिला हिसार में सिसाय में 1.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 33 के०वी० उपकेन्द्र, सम्प्रेषण लाइन सहित निर्माण करने का प्रस्ताव है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सिसाय में 33 के०वी० ए० के सब-स्टेशन का नींव पत्थर रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इस सब-स्टेशन से कितने और लोगों को फायदा होगा, इसके विषय में बताने की कृपा करें।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, माननीय मुख्य मंत्री चौटाला साहब जी ने एक सितम्बर, 2002 को उसका नींव पत्थर रखा है और वर्ष 2003 में यह सब-स्टेशन काम करना शुरू कर देगा। इस सब-स्टेशन से सिसाय, जमावड़ी, कुम्बा, राजपुरा पाली, गगनखेड़ा, खेड़ी ढाणी ब्राह्मण, ढाणी सोवा, कुम्बा खेड़ा, बारा गुजरां, ढाबा खेड़ा, दारीपाल आदि गांवों को फायदा होगा और यहां के लोग इससे लाभान्वित होंगे।

चौ० नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, मैं माननीय सी०पी०एस. महोदय से जानना चाहूँगा कि इस फाईरैंशियल इयर में कितने नये सब-स्टेशन बनावे का कार्य सुल हो जाएगा ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने गांवों में विजली के भावत्रे में विपक्ष के लोगों की तसल्ली कर दी है। हरियाणा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। आज हरियाणा प्रदेश की सड़कें चमचमाती हैं, इस बात की गवाही विपक्ष के साथी खुद दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा विधान सभा में इनका कोई भी सवाल सड़कों के बारे में नहीं है। असल में तो इनका कोई भी सवाल नहीं है। स्पीकर सर, विजली के मामले में हरियाणा प्रदेश की सरकार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और हरियाणा प्रदेश में अनेकों विजली के नए सब-स्टेशन बनाने जा रही हैं। स्पीकर सर, वैसे तो मैं पिछले सैवान में भी इस बारे में पूरी बात बता चुका हूँ। (विष्णु) विपक्ष वालों के राज में निर्सिंग में, टोहाना में, नारनील में, जारनींद में, लाखड़ा में, सतनाली में, मंडयाली में भी गोलियां चली थीं उसके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। (विष्णु) स्पीकर सर, छाज तो बोले बोले, छलनी भी बोले। स्पीकर सर, जिन्होंने हमेशा किसानों के विरुद्ध कार्यवाही करी, आज वे इस तरह की बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आप इस तरह से बीच में न बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता थीं से टोका रहे हैं जबकि अब मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। इनको पहले रिप्लाई सून लेनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप पहले यहां पर सवाल लो करें। आपका कोई सवाल तो है नहीं और न ही आप कोई सवाल पूछ रहे हैं। आप पूरी तरह से सन्तुष्ट हैं। हमारे माननीय सदस्य ने विजली के बारे में सवाल पूछा है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, कृपया आप सुनें। स्पीकर सर, अम्बाला में 220 के०वी० एप्ला में, 66 के०वी० मुलाना में और 66 के०वी० दुखेड़ी में नए स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा अम्बाला में जो सब-स्टेशन आगमेंटेशन किये जा रहे हैं वे हैं, 66 के०वी० का आजादपुर में, 66 के०वी० का बरनाला में और 66 के०वी० का चौडमस्तपुर में हैं। इसी प्रकार से पंचकुला में 66 के०वी० का कालका में, 66 के०वी० का मंसादेवी में नए सब-स्टेशंज बनाए जा रहे हैं। पंचकुला में 220 के०वी० की आगमेंटेशन होने जा रही है। इसी प्रकार से श्रमना नगर में 66 के०वी० का तालकौर में और 66 के०वी० का गुलाब नगर में नए सब-स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा 220 के०वी० की यमुना नगर में, 66 के०वी० की मुस्तफाबाद में, 66 के०वी० की रादौर में, 66 के०वी० की गोविन्दपुरी में, 66 के०वी० की लाडों में आगमेंटेशन होगी। स्पीकर सर, इनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से स्पीकर सर, 220 के०वी० का चीका में, 132 के०वी० का चकुलदाना में, 132 के०वी० का पाडला में, 132 के०वी० का कर्सली में, 132 के०वी० का भागल में, 33 के०वी० का थौकड़ में नये सब-स्टेशंज बनाये जाएंगे। 220 के०वी० कैथल की, 132 के०वी० बांद की, 132 के०वी० थाना की, 33 के०वी० राजांद की आगमेंटेशन की जाएगी। स्पीकर सर, इन सब-स्टेशंज की क्षमता बढ़ाई

[श्री राम पाल माजरा]

जाएंगी। (विधन) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि राठी साड़ब ने सवाल पूछा है कि कितने नए सब-स्टेशंज बनाए जा रहे हैं। इन्होंने प्रश्न पूछ लिया और अब मैं उसका जवाब दें रहा हूँ। इस बारे में पिछले संघर्ष में भी बता चुका हूँ। अब भी बता रहा हूँ। स्पीकर सर, विपक्ष के साथियों का तो विकास से कोई मतलब ही नहीं है, इनका तो विनाश से मतलब है। विनाश की कहानी सुना दो तो यह बहुत खुश होंगे। आज बिजली के इतने बढ़िया काम हो रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं इसलिए इनको बड़ा दर्द हो रहा है। स्पीकर सर, इसी तरह से कुरुक्षेत्र में 66 के०वी० का कलाना में, 66 के०वी० का यारा में, 33 के०वी० का मुरथली में, 33 के०वी० का मैंसी में, 33 के०वी० का दुश्ला में, 33 के०वी० का सैसा में और 33 के०वी० का ढीक में, नए सब-स्टेशंज बनेंगे। स्पीकर सर, इसी तरह से 220 के०वी० का पेहवा में, 66 के०वी० का नलदी में और 33 के०वी० का बाड़ना में, आगमेंट किए जाएंगे। स्पीकर सर, नफे सिंह राठी जी बैठे बैठे कह रहे हैं कि झज्जर के बारे में भी बता दिया जाए। (विधन) 33 के०वी० का मछरीली में और 33 के०वी० का बहारदुगड़ में आगमेंट किए जाएंगे। स्पीकर सर, अगर सभी माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो गए हों और राठी साड़ब भी सन्तुष्ट हो गए हों तो ठीक है बर्ना में और भी बता दूँगा कि कहाँ-कहाँ पर नए बनाएं जाएंगे और कहाँ पर आगमेंट किए जाएंगे। वैसे सर, मैं यह डिटेल पिछले सैशन में भी बता चुका हूँ।

Construction of a Bye-pass at Gohana

*1212. Shri Ramesh Kumar Khatak : Will the Chief Minister be pleased to state—

- whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye-pass at Gohana; and
- if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) :

- नहीं, श्रीमान जी।
- प्रश्न ही नहीं उठला।

श्री कर्ण सिंह चलाल : * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आपका तो सवाल ही नहीं है। (विधन) इसमें विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। जो मस्तीका थीरे उसी पर तो डिस्कशन होगी। कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) यह अवैश्वन ऑवर है, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। इनका कहा हुआ कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। रमेश खटक जी, आप अपनी स्पलीमेंटरी पूछें।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि गोहाना में पहले शूगर मिल नहीं थी और अब वहाँ पर 56 करोड़ रुपये की लागत से शूगर मिल लगाई गई है। स्पीकर सर, उस शूगर मिल में किसान गन्ना डालने के लिए जुलाना रोड, जीन्स रोड, पानीपत और सोनीपत रोडज से आते हैं। उस शूगर मिल को नेहम रोड से होकर आना पड़ता है और इन पांच रोडज से जो कि किसान अपना गन्ना लेकर जाते हैं उनको उस

* देश के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

शहर से होकर जाना पड़ता था, जब गत्रा पिराई का समय आता है तो किसानों को शहर से ही होकर जाना पड़ता है तो क्या सी०पी०एस० महोदय इस बारे में बातएंगे ? अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से भी रिक्वेस्ट है कि वहां किसानों की सुविधा और शहर की सुविधा को देखते हुए क्या ये गोहाना में बाईपास बनवाएंगे ?

*
श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, 13 बाईपास बनाने की ऐलिनिएस्ट्रेटिव एम्युल पहले मिली थी जिनका काम जारी है। सिरसा में, ऐलनाबाद में, ढांड में, जीम्ब सिरसा रोड पर और सोनीपत झज्जर रोड पर बाईपास बनानी ये चार बाईपास बनाने का काम जारी है। बाकी जहां तक गोडाना बाईपास बनाने का मामला है, मैं इनको धेताना चाहूँगा कि यह मामला भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है और जब भी भारत सरकार से मंजूरी मिल जाएगी तो वह काम हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के
लिखित उत्तर

Improvement In Power Generation

*1208. Ch. Ram Phal Kundu : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any improvement in power generation by H.P.G.C.L. during the last three years; if so, the details thereof ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान ! हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत केन्द्रों का उत्पादन 1998-99 के 3783.54 मिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2001-02 में 5310.94 मिलियन यूनिट हो गया अर्थात् गत तीन वर्षों के दौरान विजली उत्पादन में यह 40.36 प्रतिशत की वृद्धि है। इस वर्ष अप्रैल-सितम्बर 2002 के दौरान विजली उत्पादन पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान हुए विजली उत्पादन की अपेक्षा 31.81 प्रतिशत अधिक रहा।

Up Gradation of Sub- Depot of Dabwali

*1213. Dr. Sita Ram : Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Sub-depot of Haryana Roadways, Dabwali ?

परिवहन मन्त्री, (श्री अशोक कुमार) : नहीं, श्री मान जी,

Government Polytechnic College, Pabnawa

*1223. Shri Tej Vir Singh : Will the Chief Minister be pleased to State—

- (a) the present position of the setting up of Government Polytechnic College, Pabnawa, District Kaithal ; and
- (b) whether Government intends to start Guest Classes in the Government Polytechnic, Nilokheri for the next academic session ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

- (क) ग्राम पंचायत से 20 एकड़ 1 मरला गूमि ली जा चुकी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से भंजूरी ली जा चुकी है। निर्माण कार्य धन राशि उपलब्ध होने पर शुल्कर दिया जायेगा।
- (ख) नहीं, श्री मान् जी।

Supply of Additional Electricity to Agriculture Sector

*1225. **Shri Rajinder Singh Bisla** : Will the Chief Minister be pleased to state —

- (a) the steps taken or proposed to be taken by the Government to meet the increased electricity requirement in the Agricultural Sector due to drought in the State ; and
- (b) the extra/addition power supplied to the Agricultural Sector from 1st July to 30th September, 2002 as compared to the same period of preceding year ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

- (अ) अप्रैल-सितम्बर 2002 की अवधि के दौरान सूखे की स्थिति के कारण बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा बिजली कम्पनियों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6351 लाख थूनिट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जोकि पिछले वर्ष औसत बिजली आपूर्ति से 16 प्रतिशत अधिक है। साथ ही हाल ही के सूखे की स्थिति के कारण किसानों को विभिन्न रियायतें दी गई हैं। इन कदमों तथा रियायतों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।
- (ख) गल वर्ष के इसी अवधि के दौरान 299 लाख थूनिट प्रतिदिन बिजली आपूर्ति की तुलना में जुलाई-सितम्बर, 2002 के दौरान 336 लाख थूनिट प्रतिदिन बिजली आपूर्ति ग्रामीण उपभोक्ताओं को दी गई जोकि 36 लाख थूनिट प्रतिदिन बढ़ोतरी है।

विवरण

कृषि-क्षेत्र की बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्य में बिजली उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाये गए प्रमुख कदम :

(क) खरीफ मौसम :

1. राज्य के निजी थर्मल स्टेशनों अर्थात पानीपत, फरीदाबाद तथा यमुनानगर से अतिरिक्त उत्पादन करना जिन्होंने अप्रैल-सितम्बर 2002 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 31.81 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली उत्पादित की।
2. जुलाई 2002 से आगे की अवधि के दौरान पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मलाना जलीय परियोजना की सम्पूर्ण बिजली की खरीदना तथा

नाफ़था को ईंधन के रूप में प्रयोग करके राजस्थान अटोमिक पावर प्लांट, फरीदाबाद गैस पर अधारित पावर प्लांट तथा पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन/राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र से अतिरिक्त बिजली खरीदना।

3. क्षेत्रीय ग्रिड से अतिरिक्त मांग करना तथा ग्रिड से अधिक बिजली लेना।
4. उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों अर्थात् उच्चोग तथा घरेलू/वाणिज्यिक बिजली की आपूर्ति को नियमित करके कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराइ गई।

(ख) चालू रबी मौसम :

1. पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन तथा उत्तरी ग्रिड के माध्यम से अतिरिक्त बिजली खरीदी जा रही है।
2. राज्य के निजी पानीपत थर्मल स्टेशन से बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 110 मैगावाट यूनिट 2 का भारत हैवी इलैक्ट्रीकलज लिमिटेड से नवीनीकरण कराया जा रहा है तथा यह यूनिट नवम्बर 2002 के अन्त तक तैयार होनी सम्भावित है। इसके साथ ही 110 मैगावाट यूनिट-3 जो वर्तमान समय में पूर्ण मरम्मत के अन्तर्गत है वह भी नवम्बर 2002 के मध्य तक उत्पादन के लिए तैयार हो जाएगी। ये दोनों यूनिटें 40-50 लाख यूनिट प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से उत्पादित करेगी।

हाल के सूखे की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को दी गई राहत :

(क) जिन किसानों की खरीफ की फसल विशेष गिरदावरी के अनुसार 50 ग्रतिशत या इससे अधिक खराब हो गई है उनके बिलों की वसूली दिनांक 1-6-2002 से 30-9-2002 तक 6 मास के लिए आगे बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में कुल बकाया धन राशि बिना अधिभार के अप्रैल 2003 तक स्वीकार किया जाएगा।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आपूर्ति, और घरेलू आपूर्ति तथा कृषि पर्याप्त सैटस श्रेणियों के लिए अधिभार माफी योजना दिनांक 31-10-2002 तक दी गई जिनके अन्तर्गत उन उपभोक्ताओं के अधिभार माफी की सुविधा है जो सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कर दें। यह सुविधा स्थाई रूप से कर्नैवशन कर्दे उपभोक्ताओं के लिए भी बढ़ा दी गई है।

(ग) सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत नलकूप कर्नैक्षन शीघ्र देना।

(घ) एच०एस०एम०आई०टी०सी० नलकूपों को पुनः कर्नैक्षन, पुनः कर्नैक्षन जोड़ने के प्रभारों को लेकर ही ग्रामीण सहकारी समीक्षियों/धाटर यूजर संगठनों को देने की स्वीकृत दी गई है। एच०एस०एम०आई०टी०सी० के बकाया देय राशि सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ङ) वर्तमान नलकूप उपभोक्ताओं के अनधिकृत लोड (भार) को नियमित करने की सुविधा मीटर लगे ट्यूबवैलों के लिए 1500/- रुपये प्रति बी०एच०पी० तथा बिना मीटर लगे ट्यूबवैलों के लिए 2000 रुपए प्रति बी०एच०पी० के डिपोजिट के पूर्व प्रावधान के विरुद्ध 100/- रुपये प्रति अतिरिक्त बी०एच०पी० तथा 30 रुपए प्रति बी०एच०पी० के अधिक उपभोग डिपोजिट का भुगतान करने पर दी जाएगी।

(च) लक्षित कोर्ट के मामलों को कोर्ट के बाहर निपटान करना।

Self Finance Scheme

***1211. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start Self Finance Scheme for the introduction of new subject in Private Colleges in the State; if so, the object thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौंद बहादुर सिंह) : हाँ श्रीमान् जी। उच्चतर शिक्षा को रोजगारोन्मुखी तथा बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से निजी महाविद्यालयों को स्व वित्त पोषण आधार (सैलर्क फाईनेंसिंग बेसिस) पर नये पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

Amount Spent under Sarv Shiksha Abhiyan

***1233. Shri Nafe Singh Jundla :** Will the Minister of State for Education be pleased to state —

- (a) whether any amount has been sanctioned under Sarv Shiksha Abhiyan during the current financial year, if so, the details thereof; and
- (b) the item on which the amount referred to in part 'a' above is to be spent during the aforesaid period?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौंद बहादुर सिंह) :

- (क) जी हाँ, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 81.38 करोड़ रुपए की राशि रखीकृत की गई है।
- (ख) भाग (क) में वर्णित राशि निम्न मर्दों पर खर्च की जानी है।
 - (i) नए खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों व स्तरोन्नत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन।
 - (ii) वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
 - (iii) निर्माण कार्य।
 - (iv) स्कूल भवनों की मरम्मत व रखरखाव।
 - (v) बालिकाओं/ अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें।
 - (vi) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री।
 - (vii) प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए स्कूल ग्रान्ट।
 - (viii) प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने थाले अध्यापकों के लिए अध्यापक ग्रान्ट।
 - (ix) प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने थाले अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण।
 - (x) समुदाय सदरम्भों के लिए प्रशिक्षण।
 - (xi) अनुसंधान एवं मूल्यांकन।

- (xii) खण्ड तथा संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना।
- (xiii) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा।
- (xiv) प्रबंधन।

Opening of Schools under Sarv Shiksha Abhiyan

***1228. Shri Padam Singh Dahiya :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to open new schools under Sarv Shiksha Abhiyan during the current financial year; if so, the number thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (वौं वहांदुर सिंह) : जी हाँ, वर्तमान वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 83 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

Construction of Mundhal and Dhani Hari Singh Minors

***1210. Shri Shashi Parmer :** Will the Cheif Minister be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following new minors in Mundhal Constituency :—
 - (i) Mudhal Minor; and
 - (ii) Dhani Hari Singh Minor
- (b) if so, the time by which the aforesaid minors are likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ, श्री मान् जी।

(ख) मुंदाल माइनर और ढाणी हरि सिंह माइनर के निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा इस परियोजना के वर्ष 2004 में पूरी होने की सम्भावना है।

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने सधन के पट्टल पर जो विलज की कॉफीज भिजवाई हैं उनके धारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर ये 15 दिन पहले ही ऐम्बर्ज को दिलवा दी जाएं तो ठीक रहेगा। निधमों के मुताबिक भी ऐसा ही है कि अगर सदन के अन्दर सरकार कोई बिल लाती है तो उसको 15 दिन पहले ही ऐम्बर्ज को दे देना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि हमने आपकी सेवा में दुलीना में जो हत्याकांड हुआ उसके धारे में कास रोको प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ? यह प्रस्ताव मैंने और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आपकी सेवा में दिया है। लों रंड आर्डर के नाम पर और दुलीना हत्याकांड के धारे में हमारा यह प्रस्ताव है। इसी तरह से सूखे की स्थिति से निपटने में भी सरकार विफल रही है।

Mr. Speaker : Are you speaking on behalf of Congress Party also?

Shri Karan Singh Dalal : No Sir, I am speaking on behalf of my self. मैंने खुद ने लिखकर दिया है। आप चाहें तो डाकुमैन्ट्स मंगाकर देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव के बारे में बोलिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं अपने ही प्रस्ताव के बारे में बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछले सैशन में भी मैंने अपना एक अतारंकित प्रश्न किया था जिसमें मैंने हरियाणा भूमि भगोड़ों की जिलेवाइज नामों की स्थिति पूछी थी। उस समय आपने कहा था कि आपको इस बारे में जावाब लिखकर मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आपने जो अपना व्यानाकर्षण प्रस्ताव पेंडी के बारे में दिया है वह मैंने एडमिट कर लिया है इसलिए अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, अगर आपने मेरा प्रस्ताव एडमिट किया है तो आपका धन्यवाद। सर, मेरे एक और सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आज हरियाणा प्रदेश बहुत ही गंभीर हालात से गुजर रहा है। दुलीना कांड की वजह से हमारे प्रदेश की पूरे नेशन में शोम हुई है और आज पूरा राष्ट्र हरियाणा प्रदेश की ओर और हमारी ओर देख रहा है। जिस प्रकार से पुलिस कस्टडी में वहाँ दलित लोगों की हत्या हुई है, उसकी वजह से पूरा प्रदेश शर्मसार है और हमारा सिर शर्म से झुक रहा है। हमने इस बारे में आपकी सेवा भूमि रोको प्रस्ताव दिया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हमारा यह प्रस्ताव टेकअप किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव मुझे पिल गया है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बैठें।

चौंठ बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी इस बारे में प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, पहले तो आपका ही प्रस्ताव है बाद में श्री हुड्डा एंड अदर्स का है।

चौंठ बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, हम सो इस बारे में बोलने के लिए तैयार हैं। दुलीना कांड की वजह से सारे हिन्दुस्तान में शोर भर रहा है। पब्लिक भीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा था कि दलितों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है? इस चौंज के ऊपर फौरी तौर पर बहस करायी जाए। हमारा इस बारे में ही एडजर्नमैन्ट मोशन था।

श्री अध्यक्ष : बंसीलाल जी, आप बैठिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक प्रस्ताव सूखे के बारे में था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : सूखे के बारे में पिछले सैशन में भी एक व्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था। वह डिस्कस हो चुका इसलिये भूखे के बारे में जो एजर्नमैन्ट मोशन है डिसअलाउ कर दिया गया है। इसलिए आप बैठिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में सूखे के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं था। (विच्छ) अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक सरकारी एजेंसियों द्वारा पैडी की परवेज के बारे में श्री कर्ण सिंह दलाल का कालिंग अटेंशन मोशन था वह एडमिट कर लिया गया है और इसी संबंध में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री भजन लाल, कैप्टन अजय सिंह और जीतेन्द्र भलिक का जो एडजर्नमेंट मोशन था वह कालिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर लिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, हमने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा देने में सरकार की असफलता के संबंध में एक और एडजर्नमेंट मोशन दिया था उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : वह डिसअलाइट कर दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह थारू : अध्यक्ष महोदय, आज सारा प्रदेश सूखे के बारे में चिंतित है और आपने सूखे के बारे में जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन था, वह डिसअलाइट कर दिया है। सूखे का तो बहुत ही इम्पॉटेंट मैटर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, हमने आपकी सेवा में एक और एडजर्नमेंट मोशन हरियाणा राज्य में जुए के स्थान कैसिनो-खोलने के मामले पर सरकार के निर्णय के संबंध में दिया था, उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : वह भी डिसअलाइट कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : मैं आपको आपकी सभी मोशंज के बारे में पोजीशन बता देता हूँ।

I have received notices of calling attention motion from Shri Bhupender Singh Hooda and three M.L.A.s regarding retrenchment of the employees, the same has been disallowed on the grounds that terms and conditions of service of the employees do not form the subject matter of a calling attention notice. Moreover, the matter is not of a recent occurrence.

I have also received notice of calling attention motion from Shri Bhupender Singh Hooda and four other M.L.As regarding supply of power to the farmers, the same has been disallowed on the grounds that the adequate power supply is available to the farmers, for rabi crops. Moreover, in comparison to last year, there is increase in the supply of power to the farmers.

Hon'ble members I have received a calling attention notice from Capt. Ajay Singh and other M.L.As regarding in-equal distribution of water from Bhakra and Yamuna Canal, the same has been disallowed on the grounds that the matter is not recent occurrence, that the dharmas and protests etc. do not form the subject matter of calling attention notice and that the matter is of a continuing nature.

अल्प अवधि चर्चा की सूचनाएँ

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैंने अंडर रूल 73A शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए कंस्ट्रक्शन आफ बिल्डरज बाई वायलेटिंग बिल्डिंग बाई-लाज के बारे में एक नोटिस दिया था, उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष : वह डिसअलाइक कर दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : इसके अलावा स्पीकर साहब मैंने अंडर रूल 73A रिगार्डिंग ओपरेशन आफ ए कैसिनो इन हरियाणा पर एक और शार्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए नोटिस दिया था, उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष : वह कर्मेंट्रेस के लिए गवर्नर्मेंट को भेज दिया गया है।

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ (पुनरारम्भ)

चौंठ बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने ला एंड ऑर्डर के बारे में जो ऐडजर्नर्मेंट मोशन दिया है, वह बहुत ही जरूरी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है और अब भी बता देता हूँ। मूँझे आज दिनांक 30-10-2002 को दो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक स्थगन प्रस्ताव श्री बंसीलाल व अन्य सदस्यों से तथा दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व अन्य सदस्यों से। इन दोनों स्थगन प्रस्तावों के नोटिस व एक्सप्लोनेटरी मैगारेन्डम की भाषा तथा तथ्य एक ही है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने जो भी तथ्य इन प्रस्तावों के द्वारा प्रस्तुत किए हैं वे निम्न आधार पर मान्य नहीं हैं, यह मैटर सड़मली अराईज नहीं हुआ है। प्रभावित पार्टी यदि कोई है तो वह कोर्ट ऑफ ला से रैमेडी प्राप्त कर सकती है। इन तथ्यों से कोई इमरजेंट सिचुरेशन क्रियेट नहीं होती।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत्त सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरी विपक्ष के साथियों से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जब आप बोलें तो ये बीच में इन्ट्रोट न करें। आपके रूलिंग देने के बाद यह बोल सकते हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करूँगा कि वे अपने विधायकों को कानून कायदे समझाएं, थोड़ा सा उनको बताएं कि किस तरह से रहना चाहिए। जो ये भाइक सोडा है इनको आदमियों का डॉक्टर कहें था पशुओं का डॉक्टर कहें। कौन सी संज्ञा में इनको गिना जाए। इसका फैसला मैं अजन लाल जी पर छोड़ता हूँ कि ये डॉक्टर आदमियों का है या डॉक्टरों का है। (विळ)

चौंठ बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने सबसे पहले ऐडजर्नर्मेंट मोशन दी है उसका क्या किया है, रिजैट किया है या क्या किया है, केट बताएँ ?

श्री अध्यक्ष : यह आई०पी०सी० की धारा 228-ए जो कि रेप के ऑफिस में प्रभावित हों, उनकी आईडैटिटी को डिस-व्लोज करना प्रभावित करता है। यह मैटर अपेक्ष कोर्ट के जजमैट in CW(CRI No. 362 of 1993) Delhi Domestic Working Women Forum Vs. Union of

India & others में 19-10-1994 को डिसाइड हुआ था जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अभी केसों में जो रेप के विकिट्स हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाये, की भावनाओं के विपरीत है।

अतः भाननीय सदस्यों ने महिलाओं का ध्यान न रखते हुए अपने स्थगन प्रस्तावों के नोटिस के साथ लिखे एक्सप्लेनेटरी ऐपोर्ट्स में ऐसे कई तथ्य उजागर किये हैं जो महिलाओं की जाति के सम्मान व भावनाओं के विपरीत हैं।

उपरोक्त आधारों पर भाननीय सदस्यों द्वारा दिए गए दोनों स्थगन प्रस्ताव डिस-अलाऊ किए जाते हैं। (विध्वन) चौधरी बंसी लाल जी आप बोलें।

चौ० बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, आप तो कहते हैं कि ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसके लिए यह एडजर्नमेंट मोशन लाया जाये। सारा हिन्दुस्तान इन दलितों की हत्या से हिल गया है। सारे हिन्दुस्तान में कोलाहल भय गया है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि क्या हरियाणा में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि दलितों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि न तो दलित जिन्हा रह सकता है, न सदन में कोई बात कह सकता है और इससे ज्यादा सूटेवास एडजर्नमेंट मोशन क्या हो सकता है? इससे सीरियस बात, गम्भीर बात हिन्दुस्तान में और क्या होगी? (विध्वन)

श्री अध्यक्ष: मैं आई०पी०सी०की धारा 228 (a) पढ़ देता हूं।

चौ० बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। लेकिन यह बात ऐसी नहीं कि जिसे आप डिस-अलाऊ करें। डिसअलाऊ करने वाली बात नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहें तो आपकी भर्जी है। आपकी मर्जी के खिलाफ प्रस्ताव ला नहीं सकते। लेकिन इसको रिजेक्ट करना बिल्कुल सरासर गलत है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्लायॅट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप तो डिप्टी हैं अभी तो हुख्ता साहब थे तो हैं पहले आपके नेता को समय मिलेगा।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत्ति सिंह) : स्पीकर सर, अभी चौधरी बंसीलाल जी बोल रहे थे उन्होंने विविट्टम्ज का जिक्र किया और विशेषकर दलितों का जिक्र किया। स्पीकर सर, जिस बेस पर आपने इस मोशन को डिसअलाऊ किया है मेरे पास भी आई०पी०सी०की और सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट की कॉपी है और साथ में रिपोर्ट ऑफ दि रीजनल थक्काशाप ऑन जैनूडर एण्ड लॉ इन्फोर्मेंट की कापी है थे तीन रिपोर्ट्स हैं। चौधरी बंसीलाल जी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, उसके बाद आप बोल सकते हैं जो इन्होंने बोलना है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्लायॅट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मेरा प्लायॅट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे बाद इनको आप बोलने की इजाजत दे दें।
(शोर एवं व्यवहार)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं * * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें। दलाल साहब की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपने जो रॉलिंग दी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय * * * * *

श्री अध्यक्ष : रामकिशन फौजी की कोई बास रिकार्ड न की जाए।

प्रो० सम्पत्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, बंसीलाल जी एडवोकेट रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हुड्डा साहब भी एडवोकेट रहे हैं, पढ़े लिखे और तजुर्बेकार हैं, मेरे पढ़ने के बाद इनको कुछ कहना हो तो कह लें। अध्यक्ष महोदय, आपने IPC की धारा 228 (ए) का हवाला दिया है, इसको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। बंसीलाल जी, आप ध्यान से सुन लें उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ऐसीकर साहब ने जो इस भोशन को छिसआलाउ किया है, ठीक ही किया है, मेरे इस धारा को पढ़ने के बाद इनको कुछ कहना हो तो कह लें। IPC की धारा 228 (ए) में लिखा है—

“Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence u/s 376, Section 376-A, Section 376-B, Section 376-C or Section 376-D, is alleged or found to have been committed (hereafter in this Section referred to as the victim) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine”.

अगर ऐप विविट्म जिसका ऐप हुआ है उसकी आईडैटीटी बाय वे आफ पब्लिशिंग या बाय वे आफ प्रिंटिंग डिस्ट्रिब्यूशन कोई करता है तो इसमें लिखा है कि उसको 2 साल तक की सजा इस सैक्षण के अंडर ही सकती है। विधान सभा में इहोंने एक्सप्लेनेटरी मैमोरांडम दिया है, उसमें पूरा प्रैक्चर पूरा नाम, पिता का नाम, बीबी०ओ० और जिला सारी चीजें देने के बाबजूद ये कहते हैं तो यह ऑफिशियल ऑफिन्स है और कानून के अंगेस्ट आप एडमिट करते हैं तो जो माननीय सदस्य चाहेंगे वह जँचता नहीं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आई है उसमें लिखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा धांयट आफ आर्डर है। *****

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल की कोई बास रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप कैप्टन साहब को बिठाएं। कैप्टन साहब, आपके लीडर को बोलने का समय दिया जाएगा।

*धेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्र० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की यानि सुप्रीम कोर्ट की जजमैट आई है उस केस का नाम है Delhi Domestic Working Women's Forum Versus Union of India and others. यह 1994 की जजमैट है और 1993 में यह केस किया गया था। इन्होंने निर्देश दिए हैं कि बलात्कार से सम्बन्धित मामले में बलात्कार की शिकायत महिला की पहचान गुप्त रखी जाए। IPC की धारा 228 (ए) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एकमात्र उद्देश्य और उसमें निहित भावना यही थी कि बलात्कार की शिकायत महिला को सार्वजनिक उपहास का कारण बनने से बचाया जाए और उसकी मान मर्यादा सुरक्षित रखी जाए। दोनों पार्टियों की तरफ से जो एडजर्नमैट मोशन दी गई है उसमें बलात्कार की शिकायत बच्चियों का पूरा नाम, पता और पहचान दी गई है जो कि IPC की धारा 228 (ए) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध जाती है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सीमीनार का जिक्र किया In the report of the Regional Workshop on Gender and Law Enforcement held at Chandigarh on 23-24 February, 2001, it is mentioned—

“Sensitization in dealing of rape cases: The Police should take legal action against those who publicize the name of the rape victim without her permission, as it is already cognizable offence and sensitization of the press.”

अब आप बतायें कि इसके बावजूद भी क्या यह मोशन डिस्कशन के लिये अलाउ बनता है ? ओफेस की बात, इल्लीगल बात और अन-कान्ट्रीचूशनल बात को स्पीकर साहब क्या आप डिस्कशन के लिए अलाउ कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसे डिस्कशन के लिए अलाउ नहीं कर सकता।

चौधरी बंसी लाल : चौधरी सम्पत सिंह जी इण्डियन पीपल कोड पढ़ रहे हैं। इन्होंने तो एक ही दफा पढ़ी है, इसमें 511 दफा हैं। इनकी इत्तला के लिए बता दूँ एक दफा नहीं है। हमारा जो एडजर्नमैट मोशन है, स्पीकर साहब, regarding break down of law and order and failure of constitutional machinery in the State. Not only about five killings; five killings, is one of the main things, but there are others also, जो Rule 66 and 67 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly के लहरा हमने दिया है। And Rule 66 says:

“66. Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker.”

इसमें हमारे एडजर्नमैट मोशन में क्या लेकूना है, लो बता दें आप अध्यक्ष महोदय, अगर यही मानला अर्जेट इम्पोर्टेस का नहीं है, जब प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि क्या दलितों को जिन्दा रहने का अधिकार नहीं है, लो और कौन सा है ? उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इच्छाखाली करवाओ और मेहम के पास खरकड़ा गांव में दिन के 10.30 बजे गोली मारी जाती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी किलिंग्ज की बुज्ज कर रखे हैं और इन्होंने जो मोशन दिया है उसमें रेप का जिक्र किया है। स्पीकर साहब, इनको आईपीओकी

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

सैक्षण 228 (ए) भी पढ़कर सुनायी गयी है लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी बदकिस्ती से लोंगेजुएट हैं। इनको यह किसाब पढ़नी चाहिए।

चौ० बंसी लाल : बूट मजोरिटी के दम पर जो मर्जी कहें। कोई डैमोक्रेटिक प्रिस्टीपल, कोई पालियामेंटरी प्रिस्टीपल इस मोशन को डिस-अलाउड नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, प्लीज आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी बंसी लाल से अनुरोध करूँगा कि यह किसाब इनके पास भिजवा दी जाये। ये इसको पढ़ लें। ये किलिंग पर जा रहे हैं या रेप, प्लीज ये इस बारे में सधन को बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठिये। लीडर ऑफ दी फ्राउस थोल रहे हैं। उनकी बात सुनें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने अभी किलिंग का जिक्र किया है और इन्होंने आपको जो मोशन दिया है उसमें इन्होंने रेप का जिक्र किया है और उसमें विकिट्स्ज के नाम भी लिखे हैं। जो आई०पी०सी०का सैक्षण 228 (ए) पढ़कर सुनाया गया है वह इनकी समझ में नहीं आ रहा। (शोर एवं व्यवधान) क्या उस सैक्षण के तहत इनका मोशन अलाउ होगा, ये इस बारे बता दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मोशन में दोनों का जिक्र किया गया है, इसमें किलिंग की भी बात है और रेप की भी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब बे-वजह ही मुझे टोक रहे हैं। मैं इनसे बात नहीं कर रहा। मैं तो लोंगेजुएट से बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की परमिशन दी है फिर भी कैप्टन साहब मुझे बोलने नहीं दे रहे और मुझ से आपकी परमिशन के बगैर ही सीझी बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब जो कुछ भी मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह कावियान : अध्यक्ष महोदय, ****

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : देयर की परमिशन के बगैर जो भी माननीय सदस्य थोल रहे हैं। वह रिकार्ड न किया जाये। हुड़डा साहब, प्लीज आप अपने सदस्यों के बैठायें।

डा० रघुबीर सिंह कावियान : अध्यक्ष महोदय, ****

*देयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Prof. Sampat Singh : Sir, this is a very derogatory remark to the Chair.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप चेयर की इजाजत के बगैर न बोलें। आप सीट पर बैठे-बैठे बोलते रहते हैं, यह गलत है। (शोर एवं व्यवधान) चेयर की परमिशन के बगैर जो भी भाननीय सदस्य बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जायें। आप सभी बैठ जाएं। सदन के नेता बोलने के लिए खड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सर्व-प्रथम मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से और विपक्ष के सदस्यों से खासतौर पर कहूँगा कि बिना चेयर की परमिशन के बीच में खड़े हो कर नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिये (विध्वन) आपका तरीका भी ऐसा ही है वर्तोंकि आप भी बिना परमोशन के खड़े हैं। (विच्छ.) चौधरी साहब, आपको किसने इजाजत दे दी। (विच्छ.) सारे एक जैसे ही हैं। (विच्छ.) गुप्ता जी, आप बैठिए आपको भी समय देंगे (विच्छ.) लीडर ऑफ दि हाउस जब खड़े होते हैं तो दूसरे मैंबर्ज बैठ जाते हैं, यह परम्परा रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक फैक्सला किया है कि अगर मैं सीखूँगा तो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान शख्स कोई नहीं होगा। (विच्छ.) लेकिन मैं चौधरी बंसी लाल जी की बात कह रहा था। उन्होंने दूसरे मुद्दे को उठाया है और सम्पत्ति रिंग जी ने दूसरे का जिक्र किया है। अब आप फिलिंग्ज की बात करें। चौधरी बंसी लाल जी उतावले हो रहे हैं हालांकि यह बात अभी कहने की नहीं थी लेकिन चौधरी बंसी लाल जी, दुलीना काण्ड पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। 19 अक्टूबर को श्री बंसी लाल जी ने विश्वाम गृह हासी में पत्रकारों को सम्बोधित किया और कहा था कि जिला झज्जर में मारे गए पांच व्यक्तियों के बारे में सरकार ने कमीशन नियुक्त कर दिया है मैं इसमें राजनीतिक रोटियां संकना नहीं आहता। (विध्वन) एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। इनकी पार्टी के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। चौधरी मनफूल सिंह, जो इनके समधि भी हैं। 19 अक्टूबर को श्री मनफूल सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, हुशिरा ने गांव दुलीना, जिला झज्जर में कहा था कि वहां पर जो कुछ हुआ, वह गलत है और अगर वहां पर पुलिस फायरिंग होती तो ज्यादा नुकसान होता। इस भाष्टों में जांच सीठबींआर्हो से करवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार से पहले जांच करवाई जानी चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी को आज यह काण्ड दिखाई दे गया है। 19 अक्टूबर को आप कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वह टीक हो रहा है। पहले आप सोच तो लिया करें कि आपने पहले क्या कहा था और आज क्या कहने जा रहे हैं। आप थोड़ा सोचा करें।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने मुझे यह बात बाद दिलाई कि मैंने क्या कहा था। (विच्छ.) मेरी पर्सनल एक्सलेनेशन है और मेरा प्वायट भी है।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, सुनिये रिस्ट्रिक्शन्ज भी हैं। (विध्वन) एडजर्नमेंट सोशन में रिस्ट्रिक्शन्ज भी हैं।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी बंसी लाल : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बंसी लाल ने यह कहा है कि मैं इसमें राजनैतिक रोटियां सेंकना नहीं चाहता। जब तक मेरे पास फैक्ट्स नहीं थे तब तक मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोला। जब सरकार के खिलाफ फैक्ट्स मेरे पास आ गए हैं, तो मैं बोला हूँ। मैंने रुल 66 और 67 का हवाला दिया है जिसके तहत हमने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। हमने यह लिखा है

“The Law and Order situation in the State is deteriorating day by day and the graph of heinous crime has gone up due to which the people of Haryana are feeling insecure and their lives and properties are at stake. The incidents of murders, rapes, decoits, robberies, thefts, burglaries, extortions, kidnapping for ransom, car snatching in day light (interruption) looting of passengers in the trains”
(interruption)

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ? आप अभी बैठें। (विछ.)

चौ० बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप पहले मेरा प्रायोगिक सुनिये (विछ.)। आप मेरी बात भी सुनिए। मेरी पर्सनल एक्सप्लोनेशन भी सुनिए (विछ.) ***

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनिये अब आप बैठिए। (विछ.) मैं रुल 68 पढ़ता हूँ आप सुनिये। (विछ.)

प्र० सम्पत्ति सिंह : सर, चौधरी बंसी लाल जी ने चेयर के प्रति जो कहा है वह रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए। ये एक्सपंज करिये।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी ने चेयर के प्रति जो कहा है वह रिकार्ड न करें। (दोष एवं व्यववान) चौधरी साहब, मैं आपको रुल 68 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly में से पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है—

- (iii) the motion shall restricted to a specific matter of recent occurrence;
- (xi) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a Court of Law; ”

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर सर, मैंने भी तो रुल का ही हवाला दिया है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, कोल एण्ड शक्थर की बुक में भी यही लिखा हुआ है। This is a matter of Law and Order in the State. Strike, Lock-outs, fasts and agitations and matter of day to day administration do not constitute the Adjournment Motion.

This is a day to day administrative matter. (interruption) Moreover, more than one notice of Adjournment Motion cannot be raised in the house in a single sitting. जहां कुछ अधिकार हैं वहां कर्तव्य भी हैं। You know the rights and duties are co-related (interruption) You have the right to move the Adjournment Motion, but there are some grounds on which the Adjournment Motion can be withheld. (interruption) अब आप बैठिए (विछ.)

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमें यहां पर 16.00 बजे खोलने का राईट है। लेकिन मेरा मार्ईक टूटा हुआ है इसमें कहीं करंट तो नहीं है। इस बारे में थीक कर लिया जाए। इस मार्ईक के टूटे होने की बजाए से मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच पा रही है। (विच्छ.)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अगर भजन लाल जी का राज छोता तो इस मार्ईक के टौड़ने पर आप पर प्रिवलेज बन जाता। आप एक नेक हन्सान हैं इससिए आप पर बीच ऑफ प्रिवलेज का मामला नहीं बनाया जा रहा है।

डा० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि इन मार्ईक के लगाने में कहीं कोई कमिशन बरोरह तो नहीं खाई गई।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी आप इस बात का शुक्र मनाओ कि खौदरी भजन लाल जी का राज नहीं है नहीं तो आप पर बीच ऑफ प्रिवलेज बन जाता। (शोर एवं व्यवधान) आप सम्पत्ति सिंह जी से इस बारे में थूँथ सकते हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (इस समय श्री रघुबीर सिंह कादियान बोलते बोलते बैल में आ गए।) आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। आप पर बीच ऑफ प्रिवलेज नहीं बनाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रोटैक्शन चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको प्रोटैक्शन निलेगी। (विच्छ.) पैडी परचेज के बारे में। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के नेता समय पर बोलने से चूक जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब समय आता है तो थे बोलने के लिए खड़े ही नहीं होते हैं। जब थे बोलने के लिए खड़े ही नहीं होते हैं तो दूसरे सदस्य बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपने आई०पी०सी०भी नहीं मांगा था फिर भी मैंने आपके मांगे थिना ही खुद आपके पास आई०पी०सी०भिजवा दिया। आप इसमें 22४-ए पढ़ लें। रघुबीर सिंह को भी पढ़वा लेना। मैंने तो यह खुद भिजवा दी है। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप बैठ जाएं। आपको बोलने का समय नहीं दिया गया है। आप थिना इजाजत के ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने रूलिंग दे दी है और आपकी एडर्जनर्मेंट मोशन फिसअलाऊ ही चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) राम किशन जी आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) खौदरी भजन लाल जी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : * * * * * * * |

चौ० भजन लाल : * * * * * * * |

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * * * |

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप बैठ जाएं। इनका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। आप सब बैठ जाएं सदन के भेता बोलेंगे।

*चैयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने इनके एडजर्नमेंट मोशन को डिसअलाउ कर दिया है लेकिन किर भी विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी और विपक्ष के सदस्य आई०पी०सी०की धारा 228 (ए) पर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं तो सोला सकते हैं। स्पीकर साहब, आपने इनके एडजर्नमेंट मोशन आई०पी०सी०की धारा 228(ए) के अनुसार डिसअलाउ किया है और ये आई०पी०सी०की धारा 228(ए) पर बोलना चाहें तो उसी पर क्षी बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र सिंह जी, आपने आई०पी०सी०की धारा 228 (ए) को पढ़ा है और आप इसी पर थोलें। (शोर एवं व्यवधान) आप इसकी इन्टरप्रेटेशन कर दीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन दी थी और हम यहां पर उस पर बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर हैं जोकि दुलीना में हुआ है। हम दुलीना कांड पर बोलना चाहते हैं। हमारा एडजर्नमेंट मोशन है जो लॉ एण्ड आर्डर के बारे में था उसको आपने डिसअलाउ कर दिया है, उसमें दुलीना कांड की भी चर्चा है और मुख्य रूप से उसमें मैंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी हमें वात करनी है और प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। पूरा देश आज हरियाणा की त्रिरफ्त देख रखा है। (शोर एवं व्यवधान) यहां तक आई०पी०सी०की धारा 228 (ए) में कहा है और उसमें चर्चा है, मंत्री जी ने भी कहा है कि यह आई०पी०सी०की धारा 228(ए) में यह होगा। इसमें एफ०आई०आर० भी दर्ज है। ***

श्री अध्यक्ष : आप आई०पी०सी०की धारा 228(ए) पर बोलना चाहते हैं तो बोल लें। अगर ये उसके अलावा कुछ और थोलें तो वह रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ***

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं हो रहा है। हुड्डा साहब, आप आई०पी०सी०की धारा 228-ए के बारे में अगर कहना चाहें, तो कहें। (शोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बाल रिकार्ड न करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ***

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मैंने इस बारे में रूलिंग दे दी है इसलिए आप बैठें। आप धारा 228-ए के बारे में बोलना चाहें तो बोलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं हिन्दुस्तान के कानून की और संविधान की उल्लंघना नहीं कर सकता। आप चाहें उल्लंघना करें लेकिन मैं नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : ***

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप महिलाओं की भावनाओं के बारे में कुछ भी न कहें तो ही अच्छा होगा।

*व्येचर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री० सम्पत्ति सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरे चेत्र की परमिशन के बगैर बोल रहे हैं इसिलए इनकी बात को एकसंपर्ज करवाएँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : * * *

श्री अध्यक्ष : बगैर परमिशन के जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न करें। हुड्डा साहब, आप बैठिए। दलाल साहब, आप पैठी परवेज के बारे में अपना कालिंग अंटेशन मोशन पढ़ें।

(इस समय इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी के श्री रघुबीर सिंह कादियान,

श्री धर्मबीर एवं हरियाणा विकास पार्टी के श्री रामकिशन फौजी सदन

की वैल में आ गए और जोर जोर से बोलने लगे।)

शौ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, यह कांस्टीच्यूशनली मशीनरी का ब्रेक डाउन है। सरकार को कुर्सी पर रखने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह ब्रेक डाउन नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। जो खुद ब्रेक डाउन करते हैं। वे क्या ब्रेक डाउन की बात करेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : स्पीकर साहब, पांच दलितों को बहां पर मारा गया है। (शोर एवं व्यवधान) पांच दलितों को मौत के धाट उतारा है। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट्स

वौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमें बोलते ही नहीं दे रहे हैं तो हम यहां पर बैठकर क्या करेंगे? हम इसके विरोध में वाक आउट करेंगे।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप वाक आउट करेंगे या बैठेंगे?

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, आई०पी०सी० की बारा 228-ए पर क्या मुझे आप बोलने का मौका दे रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राव साहब, आप बैठ जाएँ। (शोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे आई०पी०सी०की बारा 228(ए) के बारे में कुछ कहने की हजाजत देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राव साहब, मांगेशम जी भी वाक आउट करके जा रहे हैं क्या आप भी वाक आउट कर रहे हैं इस बारे में आपकी क्या सलाह है? यदि आप वाक आउट नहीं कर रहे हैं तो बैठ जाएँ। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आवेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

**(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य
सदन से बाक आउट कर गए।)**

चौ० बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : बंसी लाज जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौ० बंसीलाल : अध्यक्ष जी, आप हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम भी ऐज
ए प्रोटैस्ट सदन से बाक-आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य सदन से बाक-आउट कर गए।)

चौ० जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : जगजीत सिंह सांगवान की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

चौ० जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं
भी ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से बाक आउट करता हूँ।

**(इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से बाक-
आउट कर गए।)**

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्लाइट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल आप थैठ जाइए। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत्त सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने और
बौद्धिरी बंसी लाल जी ने विद हिंज फौजी बॉडी गार्ड बाक आउट किया है और इन्होंने बाक-आउट
यह कहकर किया है कि आई०पी०सी०की धारा 228(ए) जो है हम उसको नहीं मानते हैं। अध्यक्ष
महोदय, ये माई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब फैसला आया है।
आजकल तो स्पीकर सर, भीड़िया आपके सामने बैठा है ईवेन भीड़िया भी अखबार में नाम नहीं
देता। चाहे एफ०आई०आर० दर्ज भी है तो भी भीड़िया मैं पूरा ऐड्रेस नहीं आयेगा, नाम भी नहीं
आता। काल्पनिक नाम देते हैं कि फलां नाम काल्पनिक। उसकी आइडेंटिटी भीड़िया भी डिसक्लोज
नहीं करता। क्यों नहीं करता क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की लॉटिंग आई हुई है। वह 228(ए)
के अंगेस्ट है अदरवाइज भीड़िया भी करता और किए भी यह कहना कि सरकार अपनी जिम्मेदारी
नहीं निभा रही है सरकार बाकायदा जिम्मेदारी निभा रही है। जिम्मेदारी अपोजीशन नहीं निभा रहा
है। लीडर ऑफ दि अपोजीशन के कहने पर सैशन कॉल किया गया। इन्होंने कहा था कि पैडी
प्रिक्योरमैंट के लिए सैशन बुलाओ। मुख्य मंत्री जी ने नैकर्ट डे कह दिया कि हम सैशन बुलाते हैं
हम लीडर ऑफ दि अपोजीशन की कद्र करते हैं। ये जो बात बाहर करते हैं वही आकर अंदर करते
हैं। असैंबली सैशन खत्म हुए कोई 15 दिन नहीं हुए हैं जो महीने हो गए हैं एक तो अपोजीशन का
सवाल नहीं है ये दोनों अनलिस्टिङ नहीं हैं दोनों डेट्स के अंदर हैं और इनकी सीरियसनैस इस
बात से नजर आ रही है कि इन्होंने एक भी सवाल नहीं दिया। रॉइट विक्टिम के नाम को गायब कर
रहे हैं। अबर विक्टिम का नाम ले रहे हैं। उसको अवाइड नहीं किया जा सकता है। वह भी पार्ट

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

एण्ड पार्सल था इसलिए वह अवैध थीज थी और किसी अवैध थीज को विधान सभा के अंदर लोक्या बाहर भी डिसकास नहीं किया जा सकता है वह कानून चुम्ह है और ऐसा करने पर दो साल की सजा हो सकती है। स्पीकर सर, इन लोगों को मालूम नहीं है। They should know the rules, they should know the Constitution and they should know the Indian Penal Code. (विच्छन) अध्यक्ष महोदय, इनको बताएं कि असेंबली में क्या बोलना है। क्या मैटर इंट्रोड्यूस करना है। क्या कर्टेंट्स होने चाहिए तो Speaker Sir, they should be taught. इनको ऐसी कोई शिक्षा दें, कोई कांफ्रेंस करें, कोई सम्मेलन बुलाएं, कुछ ऐसा करें, ताकि गैर जिम्मेदाराना लरीके से इस तरह के ऐजोल्यूशन न दिये जाएं जिससे विशेषकर औरत जाति को कलंक लगे। ये लोग औरत जाति को इस किस्म का कलंक लगा रहे हैं। इन लोगों ने यह बात कह कर यह सावित कर दिया कि ये महिलाओं की कितनी कदम करते हैं। ये महिला विरोधी हैं, व्यव्ये विरोधी हैं। ये अलितों के विरोधी हैं, समाज के विरोधी हैं, कानून के विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं, ये क्या बात कर रहे हैं इनकी सारी बातें कन्डमनेबाल हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने आई०पी०सी०की धारा 228(ए) के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी * * *

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब जो कह रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

कैटटन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इसमें माईनर का दिया हुआ कि माईनर का गारड़ियन अप्यायंट हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : गारड़ियन अप्यायंट करने में आठ महीने लग जाते हैं आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आई०पी०सी०की धारा 228(ए) का जिक्र किया है मैं उसके बारे में उसका ध्यान धिलाना धारणा हूँ उसकी Sub Clause (2) में लिखा हुआ है कि ‘Nothing in sub-section (1) extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is—

(a) by or under the order in writing of the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation; or

(b) by, or with the authorisation in writing of, the victim; or”

श्री अध्यक्ष : एथोराइज किसने किया है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उसके मां-बाप ने एफ०आई०आर० दर्ज करवायी है और पुलिस आफिसर ने दर्ज की है।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Police Officer has the direct power. You are not a Police Officer.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस क्लॉज को पूरा तो पढ़ने दें इसके पार्ट सी में लिखा है कि “where the victim is dead or minor or of unsound mind, by or with the authorisation in writing of, the next of kin of the victim; (interruption). She is dead. She is minor.”

Mr. Speaker : Have you some authorization to disclose the identification?

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, please ask him whether he is having any authorization to disclose the identifications? He is a Law Graduate and after that he is talking without authorization.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में एक लड़की की हत्या हो चुकी है।

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, without any authorization he can not disclose the identification.

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठिये।

प्रो॰ सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माइनर के नैक्सट किन की एथोरिटी चाहिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी इस बाल से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने सदन के हित की बात की है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : जो हुड्डा साहब कह रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

प्रो॰ सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या विधानसभा में इल्लीगल, अनकांस्टीट्यूशनल बात को टेक अप किया जा सकता है? Sir, whether unconstitutional things or unconstitutional papers can be discussed in the House. (Interruption)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या इनकी सारी बातें लीगल हैं और हमारी सारी बातें इल्लीगल हैं? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Karan Singh Dalai, please sit down. It is irrational thing; we should not discuss such type of matters in the House.

Prof. Sampat Singh : We are already protesting against Section 228-A.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे अर्ज है कि IPO की धारा 228 ए पर व्यर्थ करने का समय दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश बरदाला : अध्यक्ष महोदय, * * * *

*चैयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठें, आप बिना परमीशन के बोल रहे हैं। जय प्रकाश जी, जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने जो इंटरप्रिटेशन दी है उसके बारे में आप अपनी रुलिंग हैं।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में मैं अपनी रुलिंग दे चुका हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कोई बात रिकार्ड न की जाए। जो भी सैम्बर बिना परमीशन के बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

Prof. Sampt Singh : Sir, you have already disallowed their resolution that was against the advice of the Hon'ble Supreme Court, against the IPC and against the Hon'ble Supreme Court's Judgement of 1994. The matter is closed.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यण, IPC की धारा 228 (ए) में साफ लिखा है कि जिसका रेप हुआ है, हम उसका नाम यहां डिसकस नहीं कर सकते। आपने नाम दिए हैं और IPC की धारा 228 (ए) में यह साफ लिखा हुआ है कि यह पनिशेबल है। यह सब्जैक्ट विधान सभा में डिसकस करने का नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, किसी का मर्डर हो जाए तब भी कथा हम यहां उस मामले को डिसकस नहीं कर सकते ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, आप अपना कालिंग अटेंशन भोजन पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अखबार में नाम दर्ज होता है और बाइंगेस एफ०आई०आर० दर्ज हुई है।

ग्रो० सम्पत्त सिंह : अखबार में काल्पनिक नाम होता है।

श्री अध्यक्ष : नाम से एफ०आई०आर० दर्ज हो सकती है लेकिन नाम पब्लिश नहीं कर सकते।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, धड़े ताज्जुब की बात है कि आपने जो निर्णय ले लिया, जो एडजनर्मेंट मोशन डिसअलाउ कर दिया गया, उसके बारे में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। (विधि) जब ये बोल रहे थे तब आप सदन में नहीं थे, आप बाक आउट कर गए थे, आप तो बाथरूम में चले जाते हैं, आपका आका जाना लगा रहता है। आपको जब बुलाते हैं तो आते नहीं और नहीं बुलाते तो आ जाते हैं। ये भूपेन्द्र सिंह हुड्डा थोड़ी हैं जो भाग जाता है। (विधि) मैं यहीं बैठकर छाती पर भूंगा दलूंगा और 8 साल तक दलूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से नाम से रहे हैं *****

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र सिंह हुड़डा जी जो कुछ कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

1994 की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमैट है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा जिसमें लिखा है।

"Rape is an experience which shakes the foundations of the lives of the victims. For many, its effect is a long term one, impairing their capacity for personal relationships, altering their behaviour and values and generating endless fear. In addition to the trauma of the rape itself, victims have had to suffer further agony during legal proceedings."

Further, it is mentioned—

"In all rape trials anonymity of the victim must be maintained, as far as necessary."

द्रायल के अंदर भी गुप्त रखना पड़ता है। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। We should abide by the law. (Interruptions)

च्यानाकर्षण प्रस्ताव - राज्य में विशेषकर जिला फरीदाबाद में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान न खरीदने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members I have received a calling attention notice from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding the non-purchasing of paddy by the Government Agencies in the State especially in Faridabad district. I admit it. Sarvshri Bhupender Singh Hooda, Bhajan Lal, Capt. Ajay Singh Yadav and Jitender Singh Malik have also given a notice of adjournment motion on the similar subject which has been converted into Calling Attention Motion and they can raise questions. Shri Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस राज्य में विशेषकर जिला फरीदाबाद में सरकारी एजेंसियों द्वारा धान नहीं खरीदा जा रहा है तथा इसके परिणाम रवरूप किसान अपना धान सरकार द्वारा निर्भारित किए गए भूल्य से कम कीमत पर निजी व्यापारियों को बेचने को भजबूर हो रहे हैं।

मामले के अत्यावश्यक लोक महत्व के दृष्टिगत में सरकार से इस संबंध में सदन के पटल पर एक चक्कत्वय देने का निवेदन करता हूँ।

चक्कत्वय

उपरोक्त च्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी मुख्यमंत्री द्वारा।

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य की मण्डियों में दिनांक 28-10-2002 तक 19.87 लाख टन धान की आदेत हुई जिस में 15.47 लाख टन लैविएबल सथा 4.40 लाख टन बासमती किसी का धान था। लैविएबल पैडी की कुल

आवक में से सरकारी एजैन्सियों ने दिनांक 28-10-2002 तक 12.86 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीद किया है जो कि कुल आवक का 83 प्रतिशत है और अब तक की सार्वाधिक खरीद है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। प्राइवेट व्यापारियों ने केवल 2.61 लाख टन धान, जो कि कुल आवक का 17 प्रतिशत है, खरीदा है और अधिकतर यह धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर खरीदा गया है। अतः माननीय सदस्य का यह कहना कि सरकारी खरीद एजैन्सियां राज्य में धान की खरीद नहीं कर रही। ठीक नहीं है।

2. भारत सरकार के निर्णय अनुसार इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद दिनांक 1-10-2002 से आरम्भ हुई। भारत सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिनांक 28-9-2002 को घोषित किए गए जो कि गत वर्ष के समर्थन मूल्य ग्रेड-ए 560/- रुपये तथा कोमन 530/-रुपये प्रति किंवद्वय के बराबर रखे गये। किसानों को धान के उचित दाम दिलाने हेतु आदरणीय प्रधान मन्त्री जी के साथ दिनांक 30-9-2002 को बैठक की गई जिसमें माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा ने धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जोर दिया और अन्ततः नियंत समर्थन मूल्य पर 20/-रुपये प्रति किंवद्वय की बढ़ातरी विशेष सूचा राहत के रूप में की गई। यद्यपि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से औपचारिक पत्र दिनांक 12-10-2002 रो प्राप्त हुआ परन्तु राज्य सरकार ने किसानों को 20/-रुपये प्रति किंवद्वय की अदायगी सीजन के आरम्भ से ही करने का निर्णय लिया तथा किसानों को इस की अदायगी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ की जा रही है। भारत सरकार ने दिनांक 24-10-2002 को लैंची आवल के मूल्य भी घोषित कर दिये हैं जो कि ग्रेड-ए चावल के 1022.80 रुपये प्रति किंवद्वय हैं और यह गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 33.70 रुपये व 35.20 रुपये प्रति किंवद्वय अधिक हैं।

3. राज्य सरकार ने धान की खरीद हेतु व्यापक प्रबन्ध किये हैं। धान की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु इस वर्ष 220 मण्डियों खोली गई हैं जो कि 6 खरीद एजैन्सियों में उन के हिस्से के अनुसार आर्थिक गति की गई हैं। जिन में खाद्य विभाग 20 प्रतिशत, हैफेड 33 प्रतिशत, हरियाणा वैयर हाउसिंग 9 प्रतिशत, हरियाणा एग्रो 9 प्रतिशत, कानफेड 9 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम 20 प्रतिशत हैं। पर्याप्त मात्रा में बारदाना तथा पैकिंग मैट्रिक्युल, परिवहन तथा मजदूरी इत्यादि के प्रबन्ध समय पर किये गये हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि धान की फैसियों की बोली दिन में कम से कम दो बार 11.00 बजे व दोपहर बाद 3.00 बजे प्रतिदिन हो तथा यह व्यवस्था सभी राज्यों और छुट्टी वाले दिन भी की जाये। मण्डियों में खरीद सम्बन्धी सूचना एकत्रित करने हेतु राज्य व जिला स्तर पर 24 घण्टे कार्यरत सूचना कक्ष खोले गये हैं।

4. खरीद एजैन्सियों की निर्देश दिये गये हैं कि वे उनको आवंटित मण्डियों में धान की खरीद निर्धारित माप दण्डों के अनुसार करें और यह सुनिश्चित करें कि किसान को किसी प्रकार की कठिनाई न आये और उन्हें मजदूरी में अपनी उपज औने-पौने दामों पर न बेचनी पड़े। भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्डों के अनुसार धान में नभी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी आदिक जबकि क्षतिग्रस्त, रंगहीन, हरे कच्चे, संकुचित तथा सुकड़े दानों की मात्रा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और निम्न श्रेणी के दानों का मिश्रण 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी खरीद एजैन्सियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यदि कोई धान की क्षेत्री निर्धारित माप दण्डों के अनुसार न हो तो किसानों को इसे साफ करने तथा सुखाने की सलाह दें जिस के लिए विजली के पंखों व झारनों इत्यादि की सुविधा प्रत्येक आढ़ती के पास उपलब्ध करवाई गई है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

सरकार ने यह प्रयास किया है कि किसानों को अपनी उपज सूखी और साफ सुथरी लाने वारे शिक्षित किया जाये और इस प्रयोजन हेतु सीजन के प्रारम्भ में हिन्दी के सभी प्रमुख अञ्चलों में विड़ापत्र भी दिये गये।

5. खरीद प्रक्रिया के सम्बन्ध और इसे सुचारू बनाने हेतु राज्य के विभिन्न अधिकारियों, प्रशासनिक सचिवों, खरीद एजेन्सियों के प्रमुखों, मण्डल आयुक्तों, उपायुक्तों और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमन्त्री नंदोदय, मन्त्रीगण एवं विद्यायकों द्वारा मिडियों का लगातार दौरा किया जा रहा है। इसी प्रकार आयुक्त खाद्य, निवेशक खाद्य और खरीद एजेन्सियों के प्रमुखों और उपायुक्तों के स्तर पर धान की खरीद की विवरण समीक्षा की जा रही है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई शिकायत अथवा कठिनाई नोटिस में आती है तो उस का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। किसानों को उन की उपज की अवायगी 48-72 घण्टे के बीच की जा रही है और इस बारे में कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

6. यह बात भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998-99 तक सरकारी एजेन्सियों ने लैविल धान की खरीद केवल 5 से 7 प्रतिशत तक ही की है। परन्तु इस वर्ष सरकारी एजेन्सियों द्वारा रिकार्ड तोड़ 83 प्रतिशत धान की खरीद की गई है। वास्तव में यह सरकार के सत्ता में आने के पश्चात ही सरकारी एजेन्सियों द्वारा लैविल धान की खरीद में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ सालों के धान की खरीद से सम्बन्धित आंकड़े नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं :--

क्रं सं०	वर्ष	कुल खरीद	सरकारी एजेन्सियों द्वारा खरीद की भावना	(आंकड़े लाख टनों में)	
				कुल का प्रतिशत	खरीद कीमत
1.	1992-93	17.10	0.43	3 प्रतिशत	12.47 करोड़
2.	1998-99	17.19	1.12	7 प्रतिशत	52.24 करोड़
3.	2000-01	26.29	13.62	52 प्रतिशत	736.56 करोड़
4.	2001-02	23.36	15.75	67 प्रतिशत	882.00 करोड़
5.	2002-03	15.47	12.86	83 प्रतिशत	745.00 करोड़

(28-10-02 तक)

7. सरकार द्वारा धान की खरीद बारे पुरका प्रबन्धों के कारण खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। कहीं से भी किसानों की किसी कठिनाई अथवा डिस्ट्रीब्युशन सेल वारे शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लैविल धान के अतिरिक्त किसानों को बासमती एवं अन्य अच्छी किस्मों के धान के भी उचित मूल्य मिल रहे हैं। बासमती धान 1500/- रुपये प्रति किंवदल तक, पूसा बासमती (मुच्छल) धान 1100/- रुपये प्रति किंवदल और चाशवती धान 700/- रुपये प्रति किंवदल तक बिक रहा है।

8. जहां तक फरीदाबाद जिले का सम्बन्ध है, दिनांक 28-10-2002 तक इस जिले की मण्डियों में 25199 टन धान की आवक हुई है जिस में सरकारी खरीद एजेन्सियों ने 4663 टन धान की खरीद की है और बाकी धान प्राइवेट व्यापरियों ने खरीदा है। वास्तव में मण्डियों में आने वाला धान निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप नहीं है। इस धान में नमी की मात्रा 20 से 25 प्रतिशत के बीच है और क्षतिग्रस्त व हरे दानों की मात्रा 10 से 20 प्रतिशत है जो कि सफाई आदि के बावजूद भी निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप नहीं लाया जा सकता। मण्डियों में आने वाले धान की लगभग 60 से 70 प्रतिशत आवक यूपी० से हो रही है और इस धान की क्षालिटी हरियाणा के धान के मुकाबले में निम्न स्तर की है। गत वर्षों में फरीदाबाद जिले की मण्डियों में धान की आवक व खरीद का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	वर्ष	कुल आवक	सरकारी एजेन्सियों द्वारा की गई खरीद
1.	1998-99	59379	465 (0.8 प्रतिशत)
2.	1999-2000	90198	6268 (7 प्रतिशत)
3.	2000-01	126987	9384 (7 प्रतिशत)
4.	2001-02	140675	17051 (12 प्रतिशत)
5.	2002-03 (28-10-02 तक)	25199	4663 (19 प्रतिशत)

9. यहां पर सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद एवं खरीद प्रतिलिपि को और अधिक सुव्यवस्थित करने हेतु उठाये गये विशेष पर्यामों का भी वर्णन करना उचित होगा जो कि इस प्रकार है :—

- (क) वर्ष से प्रभावित चमक रहित गेहूं की खरीद— किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकारी एजेन्सियों द्वारा 2001-02 में वर्ष से प्रभावित व चमक रहित 64.11 लाख टन गेहूं की खरीद की गई जोकि अपने आप में एक रिकार्ड है। सरकार के प्रयासों से इस गेहूं में से लगभग 54.00 लाख टन गेहूं का प्रेषण भी किया जा चुका है।
- (ख) भण्डारण क्षमता में वृद्धि— धूंकि खाद्यान्नों की खरीद में लगातार वृद्धि हो रही है इसलिए वर्तमान सरकार ने भण्डारण की व्यवस्था पर विशेष बल दिया है। गोदाम क्षमता में वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :—

1990-91 से 1998-99 की अवधि में — 0.77 लाख टन

1999-2000 से 2000-01 की अवधि में — 1.48 लाख टन

2001-02 की अवधि में — 12.80 लाख टन

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

(ग) खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा -- सरकार के विशेष प्रथाओं से हैफेड को खाद्यान्नों की निर्यात संस्था घोषित किया गया है। हैफेड ने वर्ष 2002-03 में 1.00 लाख टन चावल व 1.00 लाख टन गेहू का निर्यात किया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्नों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो कि निम्न प्रकार से है :—

(लाख टन में)			
वर्ष	चावल	गेहूं	कुल
2000-01	1900	6935	8835
2001-02	4,90,823	93,489	5,84,312
2002-03	11,36,532	2,08,871	13,45,403

(घ) सरसों की खरीद के विशेष प्रबन्ध — यह देखने में आया था कि सरसों की खरीद के समुचित प्रबन्ध नहीं थे। वर्तमान सरकार ने किसानों की कठिनाई के दृष्टिगत सरसों की खरीद पर विशेष ध्यान दिया और प्रति वर्ष सरसों की खरीद में निरन्तर वृद्धि हुई है जिस का उल्लेख में निम्न प्रकार से करना चाहूँगा :—

क्र०	वर्ष सं०	खरीद की मात्रा (टनों में)	(लाख टन में)	
			कीमत (करोड़ में)	
1.	1991-92	4335	2.82	
2.	1998-99	2333	2.29	
3.	2000-01	30443	33.48	
4.	2001-02	36030	43.24	
5.	2002-03	75361	97.97	

(ङ) खाद्यान्नों का प्रेषण — पिछले कई सालों से राज्य में खाद्यान्नों के भण्डारण की समस्या रही है और राज्य से खाद्यान्नों का अर्थात् भान्ना में प्रेषण नहीं हो रहा था। पिछले 5 वर्षों में राज्य से औसतन केवल 30 लाख टन प्रति वर्ष प्रेषण हुआ था। वर्तमान सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और पिछले केवल 6 मास की अल्प अवधि में अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, 2002 में 41 लाख टन खाद्यान्नों का प्रेषण किया गया जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

(च) बासमती धान के विजाई क्षेत्र में चृद्धि -- वर्ष 1997-98 में बासमती धान का विजाई क्षेत्र 38 प्रतिशत था। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद इस ओर विशेष ध्यान दिया गया और बासमती धान का विजाई क्षेत्र इस वर्ष 38 प्रतिशत से बढ़कर 43 प्रतिशत हो गया है। इस में पूरा बासमती और शरबती किस्म के धान के क्षेत्र में चृद्धि उल्लेखनीय है जो कि किसानों को बाजार में अच्छे दाम दिला रही है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस पैडी की खरीद के मामले में सरकार ने पूरी तरह से सतर्कता बरती है। किसी भी मण्डी से सरकार के नोटिस में कोई शिकायत नहीं आई कि जहां सरकारी खरीद में कोई थेकाथदगी की गई हो बल्कि सरकार की तत्परता का परिणाम यह निकला कि सरकार ने जो खरीद मूल्य निर्धारित किया था उससे 40 रुपये अधिक में व्यापारियों ने धान खरीदी है और दूसरी वैराघ्यटीज पिछले साल के मुकाबले ज्यादा महंगी बिकी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि किसान का एक-एक दाना हरियाणा सरकार ने खरीदा है। हर रोज दिन में दो दफा घोली मण्डियों में लगी है और पानी तथा लाईट का सरकार की तरफ से समुद्धित प्रबन्ध किया गया। सिक्योरिटी भी पूरी तरह से परवान की गई और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, घोषणा भजन लाल जी स्वयं छः मण्डियों में गये थे और इन्होंने वहां पर शामियाने लगाये, पानी का छिल्काय करवाया तथा कुर्सियां भी लगवाई लेकिन एक भी आदमी नहीं आया। पूछा गया कि क्या कारण है कि एक भी आदमी नहीं आया जिस दुकान के आगे इनका शामियाना लगा था वह बेचारा इनकी पार्टी का ही था उसने कहा घोषणा साहब साच्ची पूछो तो पिछले 50 वर्षों में ऐसी खरीद नहीं हुई जैसी अबकी दफा हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

घोषणा भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्लाइट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : घोषणा भजन लाल जी, प्लीज आप बैठें आपको क्वैश्चन मूछने का अवसर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : चेयर की अनुमति के बगैर डॉक्टर साहब जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड में किया जाये। डॉक्टर साहब प्लीज आप बैठें। आपकी पार्टी को इस कार्लिंग अटैशन मोशन पर चार दबैश्चन पूछने का अवसर दिया जायेगा। डॉक्टर साहब, वह कल हो जाएगा अब आप बैठें। (विष्णु एवं शोर) कादियान साहब, सदन के नेता खड़े हुए हैं इस तरह से खड़े नहीं होते हैं इसलिए अब आप बैठें। (विष्णु)

श्री ओम प्रकाश घोटाला : अध्यक्ष महोदय, शायद सम्भानित सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरे रिप्लाई के बाद यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति देंगे तो निश्चित रूप से ये बोल सकेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं कृपया वह सुनिये। अगर कोई अनर्गत बात लगे तो खड़े होकर ये उसको बता सकते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय इजाजत देंगे तो बाद में इनकी अपनी बात कहने

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

अवसर मिलेगा। मेरे कहने का भाष्य यह है कि हमने बहुत अच्छे ढंग से खरीद की है। किर भी अगर कहीं पर कोई शिकायत रही है तो बताइये। सात तारीख को भूपेन्द्र सिंह हुड़डा जी का व्यास था कि अब की बार पैड़ी की खरीद में बहुत बेकायदगियां हुई हैं, किसान बर्बाद हो गया है। मैंने उस वक्त एक व्यान देकर सदन में विपक्ष के नेता को कहा कि आप तारीख तय कर दीजिए इन सदन का इजलास बुलाया लेंगे। हुड़डा साहब आपने व्यान दिया था कि हाउस कब बुलाएंगे, आपने यह व्यान दिया था या नहीं दिया था (विच्छ.) मैं आप से पूछ रहा हूं। हमने उस वक्त आपकी बात मान कर यह कह दिया था कि आप तारीख बता दीजिए और आपने कहा था कि मुख्य मन्त्री जो तारीख तथ करेंगे वे कर लें। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का अधिवेशन बुलाया गया और सात तारीख को अधिवेशन की सांग करने वाले विपक्ष के नेता ने 16 तारीख को अखबार में किर व्यान दे दिया कि पैड़ी तो सब खरीदी गई है अब इस अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। (विच्छ.) हुड़डा साहब, आपका व्यान अखबार में छपा।

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : धर्मबीर जी, आप बैठें। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाएगी आप बैठिए। (विच्छ.) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विच्छ.) आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है, इसलिए आप बैठें। (विच्छ एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किर वही बात, हर बात की कोई सीमा होती है। (विच्छ.) अध्यक्ष महोदय, इनको काशू में रखिए इस तरह से नहीं चल पाएगा कि जब जी में आए कोई भी खड़ा हो जाए, क्या यह कोई बात है ? (विच्छ.)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। (विच्छ.)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण यह है कि ये लोग किसी भी मामले पर सीरियस नहीं हैं। जैसे अभी चौधरी सम्पत्ति सिंह जी ने बताया कि इनका एक भी क्षेत्र नहीं आया है। जब कभी ये नो कान्फिडेंस मोशन लाते हैं तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि किसान के दुख दर्द की बाल तो बोट बटोरने के लिए करते हैं लेकिन इन लोगों को उनकी पीड़ा का कोई अहसास नहीं है। भूपेन्द्र सिंह हुड़डा तो कभी खेत में गया ही नहीं इसको खेत का कुछ पता ही नहीं। यह जब मणियों में जाते हैं तो शामियाने लगवाते हैं, कुर्सियां लगवाते हैं और पानी छिड़कवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं लगभग आधी मणियों में गया हूं, मेरे बजार सारी मणियों में गए हैं, हमारी पार्टी के सारे विभायक गए हैं, हम लोग ढेरी पर ही गए हैं जहां पर पंखे चलते हैं वहां पर ही हम ढेरी पर खड़े हो कर लोगों से पूछते हैं कि उनकी दिक्कत और कठिनाई क्या है। अब भजन लाल जी की बात तो समझ में आ सकती है यह तो इनको बरगलाने का काम करते हैं इनको तो चिन्ता है ही नहीं। इन्होंने तो 15 तारीख को दशहरे बाले दिन हरिद्वार में जा कर कोठी का उद्घाटन किया है। ये तो सन्धास लेने जा रहे हैं इनका जिक्र कहां है। भजन लाल जी, दशहरे के दिन आपने हरिद्वार में अपनी कोठी का उद्घाटन किया कि नहीं किया। (विच्छ.)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मैं लो बता रहा हूँ आप बता दीजिए कि किया कि नहीं किया (विच्छ)। जो आदनी हंरिद्वार जाएगा साफ जाहिर है कि वह सन्यास लेगा। आप तो राजनीति से ऊब गए हैं और इनका कहीं अवसर आना नहीं है। (विच्छ) दूसरे के झगड़े के थीच में आप क्यों आ रहे हैं। जो बात कही है उसको मान लेना चाहिए। हमारी एक सोच है और हम डैमोक्रेटिक सेट अप में यकीन रखते हैं। मैंने खुल कर एक बात सदन में कही थी और सदन के बाहर भी कही है आज किर उस बात को दौहरा रहा हूँ कि विधायकी भूमिका निभाते हुए आप हेल्पी क्रिटिसिज्म करें हम उसका पूरा जवाब देंगे। आप कोई अध्यात्मक सुझाव दें हम उन पर अमल करेंगे सदन का बहुमूल्य समय बिना वजह खराब करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले थात को समझ लिया करें सारी कार्यालयी के लिए रल्ज रेगुलेशन्ज भी बने हुए हैं। आपके बहकावे में घोषणी बंसी लाल जी भी लों येजुएट होते हुए आ गए हैं इनको भी सुप्रीमकोर्ट के फैसले का कोई शान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज भी कोई यह नहीं कह सकता है कि हमने खरीद में बेकायदगी की है। इनकी सरकार के बक्त में कांग्रेस की जब सरकार थी और मजन लाल जी मुख्य मंत्री थे पैडी की खरीद 3% होती थी बल्कि तीन परसेंट से भी कम 2.1% ही होती थी जब घोषणी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे तब 7% और हमारी सरकार में 85% पैडी की खरीद हुई है। (इस समय में थपथपाई गई) हमने किसानों को लाभप्रद भूल्य दिया है। चाहे वह गेहूँ की खरीद रही है, चाहे वह पैडी की खरीद रही है। हमने गोदामों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की है और तो और हमने किसानों का गीला अनाज भी खरीदा है और हमें खुशी इस बात की है कि 68 लाख भीट्रिक टन भीगी हुई गेहूँ खरीदी थी और उसमें से 58 लाख नीट्रिक टन अब तक रीलिज हो चुकी है। हमने किसानों का नुकसान नहीं होने दिया है। आपको इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि हमने स्वयं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करके किसानों को 20 रुपये प्रति विंगटल की दर से भाव फ्रालेट दिलाए हैं। आपकी पंजाब की सरकार ने तो अब तक नहीं दिया है। पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अब तक कुछ नहीं दिया है। (विच्छ) आपको ज्ञान की जरूरी है। हम तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं। (विच्छ) अध्यक्ष महोदय, हमने एक तारीख से ज्यों ही खरीद शुरू की उसके साथ-साथ ही किसानों को 20 रुपये प्रति विंगटल के हिसाब से बोनस दिया है। (विच्छ) इन्द्रजीत सिंह जी आप एक सैकिन्ड लंके। आप किर गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे। भजन लाल जी ने जो व्याप दिया है वह तो नासमझी में दिया है कि पंजाब की सरकार 30 रुपये दे रही है। इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सरकार बनने से पहले लोगों में यह कहा था कि ऐ किसानों पर्वी सम्पादन कर रखना। जब हमारी सरकार आएगी तो 30 रुपये प्रति विंगटल के हिसाब से बोनस देंगे। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने सर्वदलीय भीटिंग बुलाई थी तो उस भीटिंग में कुछ विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि 30 रुपये पिछले साल आपने घोषित किए थे वे देओ। विरोधी पक्ष वालों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया और तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 रुपये इस सीजन में देंगे, 10 रुपये गेहूँ के सीजन में देंगे और 10 रुपये पैडी की सीजन में देंगे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि यह भी उन्होंने कहा है अभी तक दिए नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, हम 20 रुपये साथ के साथ देते जा रहे हैं। हमारी खरीद में किसी प्रकार की बेकायदगी नहीं है इसलिए मैंने सदन में लिखित जवाब पढ़ने की बजाए जो प्रत्यक्ष रूप में भर्ती आंकड़े हैं। वही प्रस्तुत किए हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं इस सदन में कहता हूँ कि आप मुझे किसी एक भी किसान की शिकायत दे दें कि किसी किसान ने कहा हो कि उसकी निर्धारित सूल्हों से कम दाम में पैडी बिकी है। हम उसके घाटे को पूरा करने के पक्षधर हैं। (इस समय भेजे थपथपाई गई।)

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें। फर्स्ट प्रश्न पूछें। (विज्ञ) चौधरी भजन लाल जी आप बैठिए। आप तीसरे नम्बर पर हैं। कर्ण सिंह जी, आप अपना सवाल पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार मुझे दो प्रश्न पूछने का अधिकार है। क्या आप मुझे दो प्रश्न पूछने का भीका देंगे या एक में ही काम चलाएंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न एक बार में ही पूछ लें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में जवाब दिया है और जो लिखित व्यौरा सदन के पट्टल पर रखा है दोनों में अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने व्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वह धान की, पैडी की समस्त हरियाणा में खरीदारी नहीं कर रही है और विशेषकर हमारे फरीदाबाद में नहीं कर रही है। अगर आपकी सरकारी एजेंसियां किसानों का धान नहीं खरीदती हैं तो स्पीकर सर, किसान को मजबूर ढोकर अपनी पैडी व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब व्यापारी यह देख लेता है कि सरकारी एजेंसियां नहीं खरीद रही हैं तो वह मन माने दाम पर किसान की फसल की लागत लगाता है। स्पीकर सर, आज ऐसे हालात सारे हरियाणा में हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई सावित कर दे कि सरकार द्वारा किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है तो मैं वही सावित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, सरकार जो वैरायटी खरीदती है, वही वैरायटी ही खरीद सकती है और उस वैरायटी का मूल्य तय है। जैसे वासनती है और मुच्छल है ये वैरायटीज़ सरकार नहीं खरीदती है। आपके एरिया में हो सकता है यही वैरायटी ज्यादा पैदा होती हो परमल न होती हो। जिसकी वजह से आपको यह लगता हो कि सरकार खरीद नहीं रही है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, परमल वैरायटी ही हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है। मैंने सारे हरियाणा की बात कही है। स्पीकर सर, इन्होंने अपने जवाब में माना है कि 2002-03 में 25199 भीट्रिक टन पैडी का अराईवल दुआ है और जो सरकारी एजेंसिज ने परचेज की है वह मात्र 4663 भीट्रिक टन की है। यह जो बाकी भण्डियों में किसानों का काफी भीट्रिक टन माल आया हुआ है वह तमाम माल व्यापारियों ने औने पीने दामों पर खरीदा है। उन्होंने किसानों का शोषण किया है। स्पीकर सर, इसी तरीके से पूरे हरियाणा में सरकारी एजेंसियां किसानों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर रही हैं। सिरसा जिले के अन्दर सरकारी एजेंसियों की खरीद सबसे ज्यादा है। सिरसा जिले के किसानों की पैडी सरकारी एजेंसियां खरीदती हैं इसलिए वहाँ के किसानों को अपनी फसल व्यापारियों को सस्ते दामों पर थेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि दूसरे जिलों में खास करके हमारे फरीदाबाद जिले में ऐसा नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप प्रश्न पूछें। यह तो खुशी की बात है कि जहाँ धान खरीदने के काथिल है वहाँ खरीदी जाएगी। यह तो अच्छी बात है। आपकी बात पूरी हो गयी है इसलिए अब आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने इसका ब्यौरा दिया है अगर इसमें कोई सच्चाई है। तो हमें ये यह ध्यौष। भी दे दें कि सरकारी एजेंसीज ने सिरसा जिले में कितनी पैडी खरीदी ? स्पीकर साहब, वहां पर पंजाब तक के किसानों का धान सरकारी एजेंसीज ने खरीदा है जबकि दूसरे जिलों में सरकारी एजेंसीज द्वारा ऐसा न करने की वजह से प्राइवेट ट्रेडर्ज सनमाने दामों पर धान की खरीद कर रहे हैं। मैंने खुद भी भण्डियों का दौरा किया है। भैंसे वहां पर अखबार वालों को भी बुलाया था। भैंसे पलवल की भण्डियों का दौरा किया है।

*
श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप किशी किसान का नाम तो बताएं किसकी अंडरवेट पैडी गयी है। (शोर एवं व्यवधान) अब आप बैठिएगा।

4
श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, बैठिएगा का कथा मतलब, मैं सप्लीमेंट्री यूज रहा हूँ लेकिन ये लोग धीमे में ही खड़े हो जाते हैं। आप अपने इन को समझाईये।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, वे कृषि मंत्री हैं और इनकी ही इस बारे में सारी जिम्मेदारी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं भी भूतपूर्व कृषि मंत्री हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कृषि मंत्री भगवान होता है। वह भगवान नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, भूत तो भूत ही होता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक तो यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपने जिले में सरकारी एजेंसीज के द्वारा तमाम धान की खरीद करवाने का आदेश दे रखा है क्या उसी तर्ज पर पलवल, होडल और थल्लभगढ़ की भण्डियों में भी सरकारी एजेंसीज द्वारा धान खरीदने का आदेश उन्होंने दे रखा है ? इनको वहां पर भी ऐसा ही प्रबन्ध करना चाहिए। *****

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न करें।

5
श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई अन पार्लियामेंट्री बात नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरी बात गलत हो तो आप सदन की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा लें। अगर मेरी बात साधित नहीं होगी तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा नहीं तो ये ऐसा करें। सर, इस तरह से नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, आप अलग अद्वाद देंगे या इकट्ठा ही देंगे।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरी भी सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपका तो तीसरा नम्बर है। आपके लौडर तो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हैं। आप तो उनके बाद ही हैं और आपके बाद जिलेन्द्र सिंह मलिक का नम्बर है। मैं तो सियरेन्स से ही नाम लूँगा। अगर हुड्डा साहब चाहें तो भूजे बता दें मैं आपको बोलने के लिए पहले समय दे दूँगा। मैं आर्डर ऑफ प्रिफरेन्स से नाम बोलने के लिए देखा चाहता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप भैंसे सप्लीमेंट्री तो पूरी हो जाने थे।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है। आप भाषण न दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, आप मुझे सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत दें। सर, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ कि इन्होंने आपने जवाब में जो कहा है कि किसानों की पैडी और गेहूँ की खरीद के बांद उसके रख-रखाव और स्टोरेज का बहुल बढ़िया इन्तजाम किया गया है। लेफिन्न स्ट्राई यह है कि हरियाणा की तमाम मंडियों में गेहूँ लदा पड़ा है और धान को डालने की कोई जगह ही नहीं है। किसानों को धूसुत परेशानी हो रही है। गेहूँ का उठान भी नहीं हो रहा है। यह इन्होंने अपने जवाब में कहा है मैं अपनी लारफ से नहीं कह रहा हूँ। मेरा इनसे सवाल यह है कि तमाम हरियाणा का और खासकर हमारे फरीदाबाद जिले के किसान का धान 560 रुपये प्रति बीस रुपये बोनस देकर खरीदेंगे? क्या थह इतना रेट किसानों को दिलवाएंगे? इसके अलावा इनसे मेरा सवाल यह भी है कि जो पिछले साल के गेहूँ का उठाव नहीं हो रहा है क्या ये उसको भी उठाने का इंतजाम करवाएंगे ताकि किसानों को राहत मिल सके?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने आज जो धान के बारे में चर्चा की तो मैं कहना चाहूँगा कि इसमें दो तीन किस्म की धाने हैं। एक तो प्रोक्योरमैन्ट प्राइस की बात है। दूसरे किसान को लागत के हिसाब से उचित दाम गिला है या नहीं यह देखने वाली बात है। पूरे प्रदेश में किसान को लागत के हिसाब से उचित दाम नहीं मिला है। किसान की लागत दो हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये से भी ज्यादा आयी है। दिन रात मेहनत करके वह अपनी फसल पैदा करता है। इसके अलावा किसानों ने अपना द्रूष्यवैल भी लगाया और विजली भी उपलब्ध नहीं थी इस तरह से उसकी यील्ड घटी है। ऊंचाल के रेट कितने बार बढ़े हैं। केवल 20 रुपये जो बोनस दिया है वह उचित है या अनुचित है यह अलग बात है। उभारी जो भाग है वह पैडी का रेट 700 रुपये प्रति विचंटल करने की है। दूसरी धर्वा खरीद की है। (विच्छ.) पैडी का 560 रुपये प्रति विचंटल का रेट केन्द्र सरकार ने आनाउंस किया है। मंडियों में खरीद कब से शुरू हुई। एक अवस्तुवर से शुरू हुई और किसानों द्वारा मंडियों में धान कब से ले जाना शुरू हुआ वह 15 सितम्बर से शुरू हुआ। 15 सितम्बर से किसान मंडियों में धान लेकर आया उस टाइम किसान की क्या स्थिति थी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है अंगर ये बात करें तो यह बाक़ एप्रीसिएबल होगा और इनके बहुत धन्यवादी होंगे। अंगर आप कहें तो मैं नाम भी बता देता हूँ कि किस किसान का क्या है? आप उन किसानों के नाम नोट भी कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। 21 तारीख को फतेहाबाद मंडी में ढाई ईश्वर सिंह के गांव के श्री हरी सिंह, गुरुभीत सिंह लथा शेखुपुरा के लखविन्द्र सिंह व बलकार सिंह धान बेधने गये तो उनको उनकी धान का भाव 50 से 100 रुपये कम मिला, 560, 530 भी नहीं मिला। अंगर आप उनको जिनिमम स्पोर्ट प्राइस देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। इसी प्रकार से रतिया अनाज मंडी का पता कर लें। रतिया मंडी में किसानों को जो दिक्कत आई है वह भी आप पता कर सकते हैं वहां 21 तारीख को 2.30 बजे धान की बोली शुरू हुई और 5 बजे खल द्वारा इसका मतलब यह है कि बेचने वाले बहुत थे और बोली वाला एक रड गया। ग्राइवेट आदती जो थे उन्होंने आपस में मिलकर किसानों को दाम कम दिया क्योंकि सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी! भेरे कहने का मतलब यह है कि एक तारीख से पहले जिस गरीब किसान ने दिन रात मेहनत की और किसान तो डिस्ट्रीस सेल काफी हद तक कर चुका था उसका क्या

कसूर था। इसी प्रकार से जुँडला अनाज मंडी में देवन्द्र नामक किसान और दूसरे किसानों ने सरकारी ऐजेंसियों द्वारा पैडी की खरीद में धांधली का आरोप लगाया। 6 अक्टूबर को धान उत्पादक किसानों ने धांधली के आरोप में असंधि में 5 बंटे रोड पर जाभ लगाया जिसके रिजल्ट में उनका एक ऐग्रीमेंट हुआ इसमें एक तो ऐग्रो इंडस्ट्रीज का और दूसरा भार्किटिंग बोर्ड का चेयरमैन था उनके बीच में और किसानों के बीच में ऐग्रीमेंट हुआ कि इस प्रकार की लूट और धांधली बंद की जाए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) इसी प्रकार से कुरक्केत्र मंडी में पी०आर० 13 की खरीद नहीं हुई। यह मैं एक लारीख से पहले की बात बता रहा हूं और उसकी भरपाई की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है इसलिए बता रठा हूं। किसान जितनी पैडी की डिस्ट्रैस सैल कर गया, सरकार उसकी भरपाई करेगी या नहीं करेगी, सबाल इस बात का है। मैं स्वयं मंडियों में गया था। खारबान गया, छछरौली, मुस्तफाबाद, जगाघरी, बिलासपुर और लाडला इन भंडियों में मैं खुद गया था। वहां कथा तरीका था यह बताना चाहता हूं। (विघ्न) एक तरफ तो यह कहते हैं कि विपक्ष के लोग कहेंगे तो हम सदद करेंगे, आप तो सुनने को ही तैयार नहीं हैं। बोली पर किसान अपनी धान ले गया। वहां खोली लगी और दाख लग गया। बाद मैं कह दिया कि आपकी धान में मॉइश्चर है इसको आप दो दिन सुखा ले और दो दिन सुखाने के बाद तोल हुई दो दिन के बाद वजन कितना घटा है इस बारे में आप किसान से पता कर सकते हैं। उसकी भरपाई कौन करेगा इसके अलावा जो किसान को लकलीक हुई है वह छलनी की हुई है। पहले आम तौर पर परम्परा थी कि मज़दूर एक बार छलनी से छान देते थे और उसकी जो लागत थी वह किसान को देनी पड़ती थी अब आपने कह दिया कि पंखा भी लगाओ अथ किसान को दो धीजों की लागत देनी पड़ती है। एक तो मज़दूर की छलनी की और दूसरे पंखे की। जबकि होता सिर्फ पंखे से है।

ग्राम एवम् नगर आयोजन मन्त्री (श्री धीर पाल सिंह) : धान कभी छलनी से नहीं निकलता है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अरोड़ा साहब, ऐसा है मैं खुद धान पैदा करता हूं उसको हल्का उड़ाया जाता है पहले उसको मज़दूर काटते थे और हाथ के पंखे से उड़ाते थे। पैर से भी चलते थे।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बैठें। आप क्या कह रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंखे की बात कर रहा हूं। सफाई की बात कर रहा हूं। (विघ्न) अब दो-दो बार सफाई की लागत किसानों से कटती है। ढेर की सफाई तो शास को हुई और उसकी बोली लगी दो दिन बाद।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप चेयर को एक्सेस करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तथ्य कई भंडियों में देखने को मिले। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस बात की छानबीन कराये और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि वे जो किसानों को धाटा हुआ है। उसकी भरपाई करेंगे। सरकार इस कार्य को करे तो बाकी में यह अच्छा कार्य होगा और इस बात के लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। सरकार यह कार्य करके दिखाये। लेकिन ऐसा कहना कि इस बार किसानों का सब कुछ ग्रोवर कर लिया। अब की बार वैसे ही शील्ड कम हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, थार्ड अप करें। क्या आप वैश्वचन पूछ रहे हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल वैसे भी यील्ड बहुत कम हुई है क्योंकि जो किसान पहले दस एकड़ धान बोता था उसने इस साल पांच एकड़ में ही धान की बिजाई की है। यील्ड कम हुई है और प्रति एकड़ एवरेज भी कम आई है। (विच्छ) हम मुख्यमंत्री जी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, वे एक प्रोग्राम बनायें और जो किसानों को सही भाव नहीं भिला उसके लिए वे संघर्ष करें। सरकार ने जो 20 रुपये बोनस दिया है वह बहुत कम है। कम से कम 100 रुपये प्रति एकड़ देंना चाहिये। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 30 रुपये प्रति विंचेटल इंस्टालमेंट में देने की आत्म कही है। इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी 20 या 30 रुपये प्रति विंचेटल जरूर किसानों को देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप क्वैश्चन पूछें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री भी पूछूँगा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है उसका जवाब भी देंगा।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, आप बहुत सीनियर मैम्पर हैं। जबाब सो सरकार देंगी आप अपना प्रश्न पूछें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलते हुये दो तीन बारें कहीं हैं जो याजिब नहीं हैं वे कहना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने कह दिया कि भजन लाल 6 मण्डियों में गया बंधां शामियाने लगे हुये थे और पानी का छिड़काव हो रहा था। सरकार तो आपकी है शामियाने और छिड़काव तो आपके लिए होना चाहिये हमारे लिये कौन करेगा। (विच्छ)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप क्वैश्चन पूछें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है आप निकलवाकर देख लें। इन्होंने छिड़काव की बात कही है। व्यापारी तो बेचारा सरकार से इतना डरता है और कुछ नहीं, तो सरकार उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना देती है।

श्री उपाध्यक्ष : भजनलाल जी, आप क्वैश्चन पूछें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि मैंने लोगों से पूछा। ये कहते हैं एक एक जगह एक आदमी भी नहीं या जाकिं भी कहला हूँ कि एक एक जगह एक हजार आदमी हर मंडी में थे। परशों श्रीमान जी रोहतक में थे, 4 अलग-2 मीटिंग कर रखी थी, इनकी मीटिंग में 400-400 आदमी होते हैं और भजनलाल की एक मीटिंग में 70-80 हजार आदमी होते हैं, यह रिकार्ड की बात है। (चौर एवं व्यवधान) यह सही बात है। (विच्छ) उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं कहेंगे, रोहतक हरियाणा में है, पाकिस्तान में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप पैडी पर बोलें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने बताया है कि धान का 560 रुपये का भाव है। पहली बात तो मैं इनकी कमजोरी कहूँ और कुछ कहूँगा लो, फिर कहेंगे ऐसी बात यहाँ मत कहो। किसान की मांग थी कि कम से कम 100 रुपये प्रति विंचेटल के हिसाब से धान का भाव बढ़ना चाहिए था। ये किसान को 20 रुपये प्रति विंचेटल बोनस देकर बाह बाही ले रहे हैं। (विच्छ) कहते हैं कि बड़ा भारी काम हमने कर दिया कि 20 रुपये किसान को फालतू दे दिए। (विच्छ) एक रुपया

तो चौ० देवीलाल और चौ० चरण सिंह के समय में थिया गया था, हमने तो 50 रुपये किंवद्वय दिया था। दूसरी बात में यह कहूँगा कि ये मंडी में 30 से 35 प्रतिशत धान लेते हैं और 65 से 70 प्रतिशत जो धान किसान को भजायूँगी में 520, 530 रुपये किंवद्वय देयना पड़ता है, उस पर ये 20 रुपये किंवद्वय मुआवजा नहीं देते हैं जबकि इनको 20 रुपये प्रति किंवद्वय बोनस देना चाहिए। 560 रुपये से कम जो धान प्राइवेट बिकती है उस पर भुआवजा या बोनस किसान को नहीं निलता है। आम किसान की यह शिकायत थी इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। पैडी 15 तारीख से आनी शुरू हो गई और इन्होंने अगले महीने की एक तारीख से खरीदना शुरू किया। 15 दिन बीच के चानि 15 सितम्बर से लेकर 30 सितम्बर तक जो पैडी बिकी उसका 20 रुपये मुआवजा या बोनस कीन देगा। किसान का क्या बनेगा, सरकार उसका जबाब दे। जो 15 सितम्बर से पहले पैडी बिकी है उस पर भी 20 रुपये किंवद्वय बोनस सरकार को जरूर देना चाहिए। एक बात और इन्होंने कह दी कि 15 तारीख को भजनलाल हरिद्वार में था तो मैं आस्तिक आदमी हूँ आपकी तरह नास्तिक नहीं हूँ, मैंने वहाँ स्नान भी किया और कुटिया का उद्घाटन भी किया, आपको उस कुटिया में ठहरना हो तो ठहरा देंगे इसमें कोई बुरी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह काम आस्तिक आदमी का है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब आप सन्यास लेकर जा रहे हैं। आप प्रोक्योरेंट पर बोलें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको कहें ये मुझे बीच में टोके न। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 16 तारीख को आपके शहर में गया, आपके गांव में गया और आपके इलाके में गया, ये 10 दिन तक भी नहीं गए।

श्री उपाध्यक्ष : वहाँ बहुत लोग आए हैं और कई बार गए हैं। भजनलाल जी, आप धान पर बोलें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसान की बहुत बुरी हासित है, सूखा पड़ गया, पानी पूरा नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, भाव ठीक नहीं मिला, झाड़ कम है। डीजल का रेट रोज बढ़ जाता है, ये डीजल के बारे में एक भिन्न भी नहीं बोलते, किसान को डीजल कितना महंगा लेना पड़ता है, किसान का कितना खर्च बढ़ जाता है, डीजल महंगा, भजदूरी महंगी इन सारी बातों को देखते हुए किसान को कम से कम जीरी का भाव 650 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन जो जीरी कम रेट में बिकी उसका किसान को बोनस मिलना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना 17.00 बजे कि जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने अपने रुरल डिवैल्पमेंट फंड में से 30 रुपये किसानों को बोनस देने की बात की है, उन्होंने पिछली सरकार के भभथ का भी 10 रुपये पर ईयर के हिसाब से बोनस अन्वांस किया है। क्या उसी तरह हरियाणा सरकार भी अपने यहाँ किसानों को अपने रुरल डिवैल्पमेंट फंड में से राष्ट्रत देने का काम करेगी क्योंकि किसानों को जो 20 रुपये बोनस दिया गया है यह बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि 560 रुपये किंवद्वय के रेट से कम पर जिन किसानों की धान बिक गई उस पर बोनस नहीं दिया गया, उन्हें भी बोनस दिया जाना चाहिए। 15 सितम्बर से 1 अक्टूबर के बीच में जो धान मंडी में आई है उसका भी किसानों को बोनस मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद के बारे में मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में ही रखा है कि टोटल 25199 मिट्रिक टन पैडी 28-10-2002 तक भण्डियों में आई और केवल 4663 मीट्रिक टन पैडी सरकार ने खरीदी तथा बाकी की पैडी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

च्यापारियों ने खरीदी। उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारियों ने मिनिमम रेट 560 रुपये से कम में जिन किसानों की धान खरीदी क्या उन किसानों को मुख्यमंत्री महोदय मिनिमम रेट 560 रुपये प्रति विंचल देने का आश्वासन on the floor of the House थेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी साईन कर रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, मेरे पास जिक्ष सीनियरटी से नाम आये हैं, मैं उसी हिसाब से सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहा हूं, जब आपका नम्बर आये तब आप बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को गश्तीर मण्डी में किसानों की फसल की खरीद पूरे दिन रुकी रही और 1500 मीट्रिक टन धान मण्डी में बगीर बोली के पड़ी रही। वहाँ पर नरेला और सोनीपत के खरीद माफिया जबरदस्ती करते हैं। उन्होंने गश्तीर मण्डी के मार्केटिंग अधिकारी श्री दौलाराम बिशनोई को घमकाकर मण्डी से बाहर निकाल दिया और किसानों की धान बिना बोली के सस्ते रेट पर खरीदने की कोशिश की गई। इस कारण वहाँ के किसानों और व्यापारियों में तनाव बना और किसानों ने यह घमकी दी कि वे मण्डी में लाला लाला देंगे उसके बाद प्रशासन-थोड़ा बहुत हरकत में आया तब जाकर 26 तारीख को खरीद हो पाई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय 25 तारीख को जो कुछ हुआ उसके लिए स्वयं इन्वेन्यारी करवायें कि वे कौन-कौन हैं जो किसानों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार अपने लैवल पर उन लोगों की पहचान अस्ती है सो बहुत अच्छी बात है, वरना हम भी बताने को सेखाएँ हैं कि वे कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही किसान की धान की फसल से अधिक मुनाफा नहीं हो रक्षा और उसके बाधजूक किसानों पर धकाव लाला जाये या उन्हें किया जाये यह अच्छी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी प्रश्न पूछने का समय देने की कृपा करे।

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आपकी पार्टी के पांच सदस्यों को बोलने का अवसर भिलास था और जिन सदस्यों का नाम दिया गया था उनमें से मैंने पहले पांच सदस्यों को बोलने का अवसर दे दिया है।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साईन किए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठें। साईन करने वाले सभी सदस्यों को बोलने का अवसर थोड़े ही मिलेगा। पांच सदस्यों को अवसर दिया जाना था और आपकी पार्टी के पांच सदस्य बोल चुके हैं। अब प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) हुड़डा साहब, आपके पांच स्पीकर्ज को बोलने का अधिकार दिया गया था। एक ईशू पर कॉलिंग अंटीशन मोशन पर जितने वर्षे इच्छने पूछे जा सकते हैं, वह अलॉउन किये हैं। कम से कम जब आप खड़े हैं तो आपकी पार्टी के दूसरे मैम्बर्ज को लो बैठना चाहिए। अब आप बताइये। (यिधन) मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी सीट पर बैठें। (विच्छ) जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको बांट करता हूं, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

चौंठ जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं ऐसे ही प्रोटोकॉल वाक आउट करता हूँ।

(इस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य चौंठ जय प्रकाश बरदाला छाउस से वाक आउट कर गए)

वक्तव्य-

उपरोक्त व्याख्यानकर्त्तण प्रस्ताव मुख्यमंत्रीद्वारा (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : आप वाक आउट कर जाएं पांच आदिगियों को बोलने के लिए अलाउं किया है सब को मौका दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, कॉलिंग अटैंशन मौजूदान के हिसाब से इन लोगों की तरफ से डिमांड होती है। इन्होंने खुल कर प्रश्न पूछे हैं, मैं खुल कर जवाब दूंगा और इनकी पूरी तस्वीर करवाऊंगा। पांच से ज्यादा मैम्बर्ज नहीं बोल सकते हैं। चौधरी साहब, इनको तो कोई ज्ञान नहीं है लेकिन आप तो लों घेजुऐट हैं। (शोर एवं व्यवधान)

विजय मन्त्री (प्रो० सम्पत्ति सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, ये फिर वही बात करते हैं अब फिर रुल की बात आ गई। ये लोग यह कर तो आते नहीं Rule 73 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, is regarding the Calling Attention on Matters of Urgent Public Importance. In this Rule, it is mentioned-

“73(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.

(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question;

Provided that names of not more than five members shall be combined or bracketed.”

पांच से कालतू मैम्बर्ज उस पर नहीं बोल सकते हैं चाहे 20 मैम्बर्ज से साईन किए हुए हों पांच को ब्रैकेटिड करेंगे और वही पांच मैम्बर्ज बोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब लीडर आप दि अपोजीशन कह रहे हैं कि ज्यादा मैम्बर्ज बोलेंगे। (विजय) अपडर डिफरैट सैक्षण्य नोटिसिज होते हैं और उसके बाद चेयर की अपनी रॉलिंग आती है कि वह कॉलिंग अटैंशन मौजूद बनता है या ऐडजनर्मेंट मौजूद बनता है या छाफ एन आवर डिस्क्षन बनती है। यह क्या बनता है इस पर चेयर

[प्रौ० सम्पत्त सिंह]

की रॉलिंग आ गई कि यह कालिंग अटैंशन मोशन बनता है। डिएटी स्पीकर साहब, आपने इसको फॉलिंग अटैंशन मोशन मान लिया और एडमिट कर लिया। जब कालिंग अटैंशन मोशन ऐडमिट कर लिया है और कालिंग अटैंशन मोशन पर ही डिस्क्सन चल रही है तो इस पर कालिंग अटैंशन मोशन का रूल ही लागू होगा, न कि एडजन्मेंट मोशन की बात आएगी। यह धीरे इसमें ऑलरेडी मैंशन्ड है। इसमें साफ लिखा है यह रूलज ऑफ प्रोसिजर एण्ड कपडबट ऑफ बिजनैस इन हरियाणा लैजिस्लेटिव असेम्बली है जिससे इस हाउस को गवर्न किया जाता है इसके अगेन्स्ट हम नहीं चल सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने धृत क्रांतिकारी विचाराई है। आपने इस मुद्दे पर सवाल की बजाए पूरी डिबेट करवा दी जब कि डिबेट नहीं हो सकती है केवल सवाल ही पूछ सकते हैं। इस पर डिबेट हो गई क्योंकि इधुँ इम्पोटेंट था। पांच लोगों ने इस पर अच्छी तरह से बोल भी लिया और अपनी बात कह ली। मुख्यमंत्री जी अब उन बातों का रिप्लाई दे रहे हैं। तो उनका रिप्लाई सुन लें बजाए इसके कि छठा, सातवां आठवां भैम्बर इस पर बोले। इनके सारे के सारे सीमियर मैम्बर्ज बोल चुके हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लकीर के फकीर हो कर थलें तो यह ठीक नहीं होगा। मन्त्री महोदय ने बिल्कुल दुर्ज सात कही है लेकिन पिछले सेशन का रिकार्ड उठा कर देख लीजिए पांच की बजाए 7,8 और 10 व्यक्ति भी बोले हैं। अब इसमें ऐसी क्या जरूरत पढ़ गई है कि इसमें पांच की पाबन्दी लगा दी।

श्री उपाध्यक्ष : इन्द्रजीत सिंह जी, हाउस रूलज के अनुसार बदलता है कि आप इसको कन्वेशन बना लेंगे। अब आप अपनी सीट पर बैठें। भूपेन्द्र सिंह जी, आपके जो सबसे पहले पांच सिमेन्टरीज हैं हमने दे लिये हैं और उनको बोलने का पूरा भौका दिया है। (विचार) अगर इनको बुलाना था तो इनके सिमेन्टरी उपर करवा लेते। (विचार) जय प्रकाश जी, आप बैठें, मैंने नम्बर देखकर ही बोलने को कहा है। (विचार) भाई जी, क्या मैं कोई गलत कह रहा हूँ। मैंने देखकर ही कहा है। आप ऐगुलर व्यवहार लगाते हैं मैं तो कभी कभी लगाता हूँ।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : डिएटी स्पीकर साहब, *** *** ***

श्री उपाध्यक्ष : डा० साहब, अब आप बैठिए। (विचार) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विचार) आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिना इजाजत के मत बोलें, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात कहना चाहूँगा कि जिस मुद्दे को लेकर अधिवेशन बुलाया गया था उस बारे में सदन में खुले तौर पर चर्चा हुई है और उस पर पूरी बातें कही गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बीच में न बोलें। आप बिना इजाजत लिए मत बोलें।
(शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि जय प्रकाश ने जीरी काटी है देखी कोई नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह सेरा मेरा मामला है, इसको हम आपस में निपट लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बीच में न बोलें। आप बिना इजाजत लिए मत बोलें।
(शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कहा है इसलिए मेरा प्यार्ट आप आर्डर है और इन्होंने जो कहा है मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो आप अब बोल रहे हैं। आप प्यार्ट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं। लेकिन पहले तो आप बिना इजाजत के खड़े होकर बोलने लग गए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाएं। आप मेरे से पूछे बगैर नहीं बोलें। आप तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आपको मेरी परमिशन नहीं मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान) आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप बिना इजाजत लिए बोलने के लिए खड़े हो गए। यहां पर 90 के 90 मैट्वर्ज बराबर हैं और सधकों बोलने का बराबर का अधिकार है। आप बिना इजाजत के मत बोलें। (शोर एवं व्यवधान) आप बिना पूछे ही बोलने के लिए खड़े हो गए। (शोर एवं व्यवधान) आपने किस से पूछा हैं आप तो सीधा ही बोलने के लिए खड़े हो गए। यह तो आप अब बोल रहे हैं कि आप प्यार्ट आप आर्डर पर बोलना चाहते हैं। आप जो कुछ भी यिन्ह इजाजत के बोलेंगे तो वह रिकार्ड नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान) आप जो भी बोलना चाहते हैं वह एक मिनट में बोलें।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कहा कि जय प्रकाश ने जीरी काटी है देखी नहीं है। मैंने तो काट कर भी काम कर लिया है लेकिन *****।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह की बात न करें। इन्होंने जी भी बात कही हैं यष्ट कार्यवाही से निकाल दी जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाए। आप इस तरह की बात न करें मैं आपको वार्निंग देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठ जाए। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आव्यास से करना चाहूँगा और यहां पर यह भी कहना चाहूँगा कि कई ऐसे मामले हैं जिसके बारे में इनको ज्ञान ही नहीं है था कुछ लोग जानते हुए भी उस तरफ नहीं आ रहे हैं। मैं सदन में यह बताना चाहूँगा कि पैडी को केन्द्र की सरकार खरीदती है। भारत काम तो केवल किसानों का ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि हमारे यहां पर खरीदी ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूँगा कि जब कर्ण सिंह दलाल कृषि मंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त फरीदाबाद में 0.8 परसेंट जीरी खरीदी गई थी और अब की बात जीरी प्यार्ट 19 परसेंट खरीदी गई है। स्पैसीफिकेशन के हिसाब से खरीद की जाती है। केन्द्र सरकार की तरफ से कुछ नीतियां लय हैं उसी हिसाब से खरीद की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर 17 प्रतिशत या

*चैयर के आदेशानुभार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री औम प्रकाश थोदाला]

17 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो तो धान नहीं खरीदी जाती है। हरा धान, कच्चा धान या सुकड़ा धान अगर 3 प्रतिशत होगा तो उसे भी नहीं खरीदेंगे। अगर उसका मिश्रण 10 प्रतिशत होगा तब भी उसे नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन उसके बाबजूद भी यहां पर कह दिया कि सिरसा में ज्यादा खरीदी गई है। सिरसा में ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा खरीदते हैं, इसका मैं क्या इलाज कर सकता हूँ। जिस एरिया में ज्यादा हुई है, उस एरिया में ज्यादा खरीदी गई है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले में कम खरीदी गई है, कम थील्ड हुई है। अब इनको इस बात का भी ध्यान नहीं है। यह ठीक है कि इस बार बारिश लेट हुई है, लेकिन थील्ड का जहां तक ताल्लुक है हुड्डा साहब, लेट बारिश की वजह से भड़ियों में फसल लेट आयी है। हुड्डा साहब, आपने जो भड़ियों में धान देखा है वह साठी वैश्यायी आयी है। इसी के मुताबिक आपने कह दिया कि इसने विषेटल धान खरीदा है जो सरकार धान खरीदती है वह समय के मुताबिक ही आयी है। (शोर एवं व्यवधान) उसमें छलनी नहीं लगते हैं। यह छलनी तो धायल में लगते हैं। पैदी में छलनी नहीं लगते हैं बल्कि इसमें झरने लगते हैं। सरकार ने हर दुकानदार को, हर आढ़त पर काम करने वाले आढ़तियों को यह शर्त लगायी है कि वह झरना लगाकर पंखे से धान साफ करें। इसके मुताबिक हमारे पास कहीं से कोई शिकायत नहीं आयी है। पता नहीं आप कहां से नाम लिखकर आ जाते हैं। अगर आपसे इस बारे में कोई शिकायत करता भी है तो वह मुझों की दुनिया में बसता है। सरकार के पास तो कोई शिकायत नहीं है। सरकार लो शिकायत का इलाज कर सकती है। लेकिन आपकी शिकायत का इलाज भजन लाल जी के पास है। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, मैं आपको बताऊं कि कहीं से भी किसान की इस बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है। इस वर्ष बारिश लेट हुई है इस वजह से धान लेट आयी है। एक अक्टूबर से पहले ही धान भड़ियों में आया है, आपके पास इस बारे में यह गलत हफ्तोंमेशन है। 1 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर पिछले वर्ष साढ़े बीस लाख टन धान की आवक हुई और अबकी बार इसी दौरान में सधा बीस लाख टन धान आयी है। यानी फालतु आयी है। अगर ये थील्ड की बात करते हैं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले में थह इस वर्ष ज्यादा है। जब सारा धान आ जाएगा तो हम आंकड़े आपको प्रस्तुत कर देंगे आपको यह पिछले वर्ष के मुकाबले में ज्यादा मिलेगी। पता नहीं आप शिकायत की बात कैसे करते हो। हुड्डा साहब, आपकी एक स्टेटमेंट आयी है कि यमुनाभगार में और अम्बाला में फल्ड आ गया था। (थिधन) आपका तो फल्ड की बाल कर रहे हैं। आप सारी बात को सोचकर कहा करें क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहां की बातें कोट की जाती हैं। सदियों तक यहां पर एक दूसरे की बात कोट की जाती हैं। आगे कोई इस तरह की बातें कोट करने वाला सदस्य न आ जाए इसलिए आप जरा सोचकर बात किया करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं व्यावर्ट ऑफ आर्डर हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बार बार धर्वा की। जब जिस इलाके में फल्ड आया और जहां पानी की दिक्कत थी, वह बात हमने कही। यह बात सबको मालूम है कि शिकायत सरकार को होनी चाहिए क्योंकि काम तो सरकार छी करती है और सारी शिकायत दूर करती है लेकिन जब सरकार शिकायत दूर न करें तो लोग हमारे पास आते हैं अगर उस समय लोग हमारे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह विसला : उपाध्यक्ष महोदय, भाई दलाल साहब ने जो कालिंग अंटेक्षन मोशन मुद्रा किया है और जिस पर सदन ने काफी मूल्यवान् समय चर्चा पर बिताया है उसके बारे में मैं अवगत करना चाहूँगा कि कम से कम फरीदाबाद जिले में ऐसा नहीं है। यहाँ चर आजे से पहले हमें पता था कि पैडी से संबंधित प्रश्न या चर्चा सदन में जल्द उठायी जाएगी। सारे जिलों की नंडियों में हम ही नहीं बिल्कु दूसरे साथी भी धूमकर आये हैं। मैं भी फरीदाबाद जिले के सबसे ज्यादा धान, गेहूँ और गन्ना पैदा करने वाले किसानों में से एक हूँ। पहली दफा पैडी के बारे में एक भी किसान से सिंगिल शिकायत भी नहीं आयी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि फरीदाबाद जिले में किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्लायांट ऑफ आर्डर है। विसला जी ने मेरा नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : जर, मैं भलत बात नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे बोलने का समय तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : अगर इस इश्यू पर दलाल साहब जो बोलने का भीका नहीं मिलेगा तो किर किसी को नहीं मिलेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * *

श्री उपाध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने किसान के लिए 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भांग की थी। आप जो कुछ बोलते हो वह इस कार्यवाही में हाथ के हाथ लिखा जाता है और भजन लाल जी ने 100 रुपये प्रति किंवद्दन के हिसाब से मांग की थी।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपसे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, जाप सान लें इसमें कोई बात नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है। कहते हैं कि क्लासी से दूसरा कोई लड़ा करता था तो उसका बल आधा रह जाता था ये आप पर हाथी हो गए हैं। आपकी उकड़ सुकड़ जाती है। इसका इलाज करना पड़ेगा। (विच्छन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यभ्रंती जी हमेशा अक्षित्प्रति-चौटाकशी की बात करते हैं। मेरे बुजुर्ग और समाज के लोग यह कहते हैं कि बिन पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए जो बिना पूछे सलाह देता है वह मूर्ख कहलाता है। (विच्छन)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी ने कह दिया कि जो बोनस दिया गया वह थोड़ा है हम यह मानकर चलते हैं कि इन परिस्थितियों में 20 रुपये पर किंवदल के हिसाब से इनारे लिए लाभप्रद हैं और इससे किसान संतुष्ट है। हमारी जिम्मेदारी केवल एक थी कि किसान का दाना दाना ठीक तरीके से खरीदा जाए। जो किसान की पैडी सरकार खरीदती है वह सरकार की तरफ से निवारित मूल्य से भी ज्यादा पैसे पर, जब हमने उनकी रखबाली पूरी की तो व्यापारियों ने खरीदी है। वह तथ्य की बात है आप मंडियों में जाकर पता कर सकते हैं। हमारी सरकार के पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है आगर इसके बाद भी आपके पास किसी किस्म की शिकायत आए तो आप इसको हमारे पास भेजें। आपने कह दिया कि वे लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप तो भुजे बता सकते थे। लेकिन आप तो भुजे और थीधरी भजन लाल को जो कुछ बताते हो वह अखबार के भाष्यम से बताते हैं। आपको केवल अखबार को आधार नहीं मानना चाहिए। (विच्छ.)

चौंठ भजनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने गवर्नर साहब को बाकादा लिखकर भेजा है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह ठीक है कि आपने लिखकर भेजा है लेकिन कोई स्पेसिफिक शिकायत नहीं है। आपने कोई नाम नहीं देताथा आपको तो इस सरकार की दाद देनी चाहिए कि हमने 83 परस्टेंट खरीद की है और पूरी तरह से धान खरीदी है। इन्होंने कह दिया कि गोदामों से बाहर धान सड़ रहा है। आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि जहां 68 लाख मीट्रिक टन फसल थी और उसी दौरान में बारिश हो गई थी। बारिश से भीगी हुई फसल हमने अपने ऐफटेंस से 58 लाख मीट्रिक टन, अब से पहले रिलीज करवा दी है। वह रह जाती तो किसानों का बड़ा भारी नुकसान हो जाता। बाकी भी रिलीज हो जाएगी। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। (विच्छ) यह यील्ड के हिसाब की बात नहीं है बल्कि हमने पर्याप्त भाक्त्रा भें बिजली उपलब्ध कराई है और पिछले साल के मुकाबले में 56 प्रतिशत अधिक बिजली दी है और पिछले साल के मुकाबले में पानी भी ज्यादा दिया है जो किसान की पैदाबार बढ़ने का मुख्य कारण था। इसलिए मैं पूरे सदन को आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कहीं कोई बेकायदगी नहीं है और कहीं किसी के पास कोई शिकायत है तो वह लिखित रूप में भिजवायें उस पर गैर करवायेंगे।

श्री मांगेशम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, बोनस के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आपका पर्सनल नहीं है।

श्री मांगेशम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो सानगीय मुख्यमंत्री जी ने जदाब दिया है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बगैर इजाजत के थोल रहे हैं मैंने आपको परमिशन नहीं दी है आप दैठ जायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने बोनस दिया है लेकिन यहां बोनस के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप थैठिये।

चौंठ जयप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस इश्यू पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हों।

चौं० जयप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने जो 20 रुपये प्रति किंवद्दल पैडी पर बोनस दिया है, इस सरकार ने वह कितने किसार्वों को दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, यह सप्लीमेंट्री का टाइप नहीं है। आप बैठ जाइये।

चौं० जयप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

बाक आऊट

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मुख्यमंत्री जी के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूँ इसलिए मैं सदन से बाक आऊट करता हूँ।

(इस समय सदन में उपस्थित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के भाननीय सदस्य

श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से बाक आऊट कर गये।)

निमय 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 30.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move —

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 31st October, 2002.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 31st October, 2002.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 31st October, 2002.

The motion was carried.

घोषणाएँ

(क) उपाध्यक्ष द्वारा —

(i) चेयरपर्सन के नामों की सूची

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly,

[Mr. Deputy Speaker]

the Hon'ble Speaker nominated the following members to serve on the Panel of Chairpersons :—

1. Shri Balwant Singh Maina, MLA
2. Shri Rajinder Singh Bisla, MLA
3. Shri Ajay Singh, MLA
4. Smt. Sarita Narain

(ii) याचिका समिति

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, under Rule 303 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the Hon'ble Speaker nominated the following members to serve on the Committee on Petitions :—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker | Ex- officio Chairperson |
| 2. Shri Lila Krishan | Member |
| 3. Smt. Veena Chhibbar | -do- |
| 4. Shri Rajinder Singh Bisla | -do- |
| 5. Shri Zakir Hussain | -do- |

(iv) सचिव द्वारा —

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए विलों संबंधी

Mr. Deputy Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

Sachiv : महोदय, मैं उन विधेयकों को घर्षणे वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2002 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

September Session, 2002.

1. The Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2002.
2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2002.
3. The Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2002.
4. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2002.
5. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2002.
6. The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2002.

विजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now I report the time-table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee meet at 11.00 A.M. on Wednesday, the 30th October, 2002 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in session, shall meet on Wednesday, the 30th October, 2002 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Thursday, the 31st October, 2002 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee after some discussion also recommends that the business on 30th & 31st October, 2002, be transacted by the Sabha as follows: —

Wednesday, The 30th October, 2002
(2.00 P.M.)

1. Obituary References.
2. Questions Hour.
3. Motion under Rule-30.
4. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
5. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
6. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
7. Legislative Business.

Thursday, The 31st October, 2002
(9.30 A.M.)

1. Questions Hour.
2. Papers to be laid, if any,
3. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting.
4. Motion under Rule-16 regarding adjournment of Sabha Sine-die.
5. Legislative Business.
6. Any other Business."

Mr. Deputy Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move —

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

डा० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, बी०ए०सी० की रिपोर्ट में 2 दिन का शिड्यूल दिया गया है और माननीय पार्लियार्मेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने मूव भी किया है। चर्चा थी कि सैशन जो बुलाया गया है विपक्ष की मांग पर बुलाया गया है, धान और सूखे पर डिस्कशन के लिए बुलाया गया है। आज मैं आपके माध्यम से सदन के साथियों की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि हर माननीय सदस्य को अपने हल्के की समस्याओं के बारे में, सूखे के बारे में और कानून और व्यवस्था के बारे में कहने का अधिकार है, इसलिए विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। इम्प्रत्यायज जो हरियाणा प्रदेश की रीड की हड्डी हैं। (विज्ञ)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बी०ए०सी० की रिपोर्ट पर कोई शंका है तो बोलें।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह दो दिन का सैशन रखा गया है। लेकिन डिस्कशन के लिए प्वायैट्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए सैशन की अवधि बढ़ाई जाए। यह हाउस कांस्टीच्यूशनल मशीनरी है जो दुनिया के अन्दर फेल हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : लीडर ऑफ अपोजीशन भी विजैनेस एडवाईजरी कमेटी की नीटिंग में थे; यह कोई नया इश्यू नहीं है, यदि आपने जो प्रस्ताव रखा था उस पर बोलना चाहते हैं तो बोलें।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में भी हमने यह बात उठाई थी।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब पिछले अधिवेशन के समय जिस बक्स में हाउस परीजाइड कर रहा था तथा मैंने आपकी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर दिया था। उस समय मैंने आपकी पार्टी के एक-एक माननीय सदस्य से पूछा था कि यदि कोई और बोलना चाहता है मुझे बताये उसे दोबारा टाइम दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि विजैनेस एडवाईजरी कमेटी की नीटिंग में यह तथा हुआ है कि हाउस दो दिन बतलाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, उस नीटिंग में सदन के नेता ने यह भी कहा था कि यदि काम अधिक होगा और कोई माननीय सदस्य चाहेगा तो हाउस आगे के लिए बढ़ा दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

नगर एवं ग्राम आयोजन मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंबर का मतलब यह नहीं था कि कोई भी मैंबर। उसका मतलब यह था कि विजैनेस एडवाईजरी कमेटी का मैंबर (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठ जायें। यथा आप अपने नेता को नेता नहीं मानते। डाक्टर साहब पहले आपको बोलने का समय दिया गया। लेकिन आप दूसरी ही बात करने लगे और उसके बाद आपके नेता को बोलने का समय दिया गया। प्लीज आप बैठें।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, 1995 की बाढ़ के बाद बेरी हल्के की सड़के दूटी हुई हैं लेकिन आज तक उनको ठीक नहीं करवाया गया है। वहां पर सड़कों पर थला नहीं जाता। (शोर एवं व्यवधान) बेरी हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठें।

डा० रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप इस हाउस के चार माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें। वह कमेटी थैक करके बता देगी कि मैं सही हूं था गलत। उपाध्यक्ष महोदय, वेरी हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, प्लीज आप बैठिये।

विज मंत्री (प्रो० सम्पत्ति सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मोशन मूव कर दिया है। जहां तक बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की भीटिंग की बात है, आपने ठीक फरमाया कि उस भीटिंग में लीडर ऑफ दि अपोजिशन भी मौजूद थे। उस भीटिंग में यह यूनानिमसली डिसाइड हुआ कि हाउस दो दिन का होगा और दो दिन के हाउस के बारे में माननीय भुख्यमंत्री महोदय ने बाकायदा लीडर ऑफ दि अपोजिशन से यह कहा था कि आप बता दें यदि आपको बिजनैस अधिक लगता है तो हाउस आगे के लिए बढ़ा दिया जायेगा लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से दो दिन के सैशन से संतुष्ट थे। उपाध्यक्ष महोदय, यूनानिमसली यह सारा काम हुआ है। अग्रिं कंग्रेस पार्टी का कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है तो हुड़डा साहब को कहें और बी०ए०सी० की रिपोर्ट आने से पहले कहना चाहिए था कि सैशन दो दिन का नहीं, आर दिन का होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह यूनानिमसली हुआ था, अब तो यह ध्वनि मत से पास होना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़डा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है यह ठीक है। मैं तब भी इस इम्परेशन में था और अब भी हूं कि यदि ज्यादा बिजनैस होगा तो हाउस आगे बढ़ा दिया जायेगा और मैंने हाउस को अधिक दिन चलाने वारे सुझाव भी रखा था। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कृपा करके राहीं तथ्य कहें, मिस-गाइड न करें। (झोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत्ति सिंह : हुड़डा साहब, प्लीज आप यह बात अपने सदस्यों को भी समझायें।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की बेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Deputy Speaker : Now a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/ Combined Examination (Amendment) Ordinance, 2002. (Haryana Ordinance No 2 of 2002).

[Prof. Sampat Singh]

Sir, I beg to relay on the Table—

The Education Department Notification No. S.O. 38/H.A. 12/1999/Ss. 8 and 24/2001, dated the 29th March 2001 regarding Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001 as required under Section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 169/H.A. 20/1973/S.64/2001, dated the 31st October, 2001 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 9/Constit./Art. 320/Amd. (1)/2002, dated the 30th May, 2002 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2002, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Animal Husbandry Department Notification No. S.O. 56/H.A. 6/2001/S. 17/2002/ dated the 10th July, 2002, as required under Section 17 (3) of the Haryana Murrah Buffalo and other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 58/H.A. 20/1973/S. 64/2002, dated the 22nd July, 2002, as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I beg to lay on the Table —

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 74/H.A. 20/1973/S.64/2002, dated the 17th September,

2002, as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 85/C.A.17/1998/ S. 12/2002, dated the 19th October, 2002, as required under Section 12 (3) of the Lotteries (Regulation) Act, 1998.

The 34th Annual Report of Haryana State Industrial Development Corporation for the year 2000-2001, as required under Section 619A(3) of the Companies Act, 1956.

The Grant Utilization Certificate and Audit Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1999-2000 as required under Section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agriculture Universities Act, 1970.

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the years 1998-99, 1999-2000 & 2000-01 as required under Sub- para (5) of Para II of the schedule appended with the Haryana Electricity Reforms Act, 1998.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2001-2002 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2001-2002 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Industries Department Notification No. 2/5/2-IIB-II-99, Dated 28th May, 2001 as required under Section 7C the Interest on Delayed Payments to Small Scale and Ancillary Industrial (Amendment) Act, 1998.

(1)78

हरियाणा विधान सभा

[30 अक्टूबर, 2002]

**विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन
प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना**

(i) जय प्रकाश बरवाला एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of Privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, MLA and Shri Padam Singh Dahiya MLA against Shri Jai Parkash Barwala, MLA regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the chair and challenging and protesting against the rulling of the chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee : Sir I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, MLA and Shri Padam Singh Dahiya, MLA against Shri Jai Parkash Barwala, MLA regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the chair and challenging and protesting against the rulling of the chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of Privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee

of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, MLA and Shri Ram Kuwar Saini, MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, MLA in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat-Chairperson Privileges Committee : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, MLA and Shri Ram Kuwar Saini, MLA against Shri Karan Singh Dalal, MLA for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, MLA in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session, thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Dalal, MLA on 5th March, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मबीर सिंह तथा जगजीत सिंह सांगवान एम०एल०एज० के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, MLA and Shri Pawan Kumar, MLA for coming to/remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch, and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary

[Mr. Deputy Speaker]

words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Shri Dharambir Singh, MLA and Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat-Chairperson, Committee of Privileges : Sir I, beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, MLA and Shri Pawan Kumar, MLA for coming to /remaining in the well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle the Watch and Ward staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA breaking a light box while rushing to well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, MLA and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, MLA, Shri Dharambir Singh, MLA and Shri Jagjit Singh Sangwan, MLA, on 5th March, 2002.

Sir I, also beg to move —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) श्री रघुवीर सिंह कदियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Deputy Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, MLA and Shri Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghbir Singh Kadian, MLA for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House breach of privilege etc. by Dr. Raghbir Singh Kadian, MLA on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extention of the time for the presentation of the final report to the House.

Shri Bhagwan Sahai Rawat—Chairperson, Committee of privileges : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, MLA and Shri Jasbir Mallour, MLA against Dr. Raghbir Singh Kadian, MLA for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House breach of privilege etc. by Dr. Raghbir Singh Kadian, MLA on 5th March, 2002.

Sir I, also beg to move —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

विधान कार्य —

1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Third Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That the Haryana Municipal (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौथे भजन लाल (आदमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे एक अर्ज करती है। जो विल आज सरकार पास करवाना चाहती है वे आज छोटी सैक्कर्ज को मिले हैं ऐसा आपसे निवेदन है कि आज आप ये विल पास न करें। रात को सभी मैम्बर्ज इनको पढ़ लेंगे। कल आप इन यर डिस्कशन करवा लें तो ठीक रहेंगा। मेरा आपको और सरकार को यही सुझाय है।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे यही अनुरोध है। इन बिलों को आज ही मैम्बर्ज को दिया गया है जबकि नियमों के मुताबिक इनको उभी मैम्बर्ज को कम से कम 15 दिन पहले के दिया जाना चाहिए ताकि वह इनको पढ़कर सदन में अपने सुझाव दे सके। ऐसी कोई बात नहीं है मैम्बर्ज रात को इनको पढ़ लेंगे और कल इस बारे में अपने अपने विचार शहर पर रख देंगे इसलिए आज पात्त न करें।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, सारे बिल आज ही नहीं थांटे गए हैं कुछ बिल कल भी मैम्बर्ज को दिए गए थे इसलिए अब आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप भी बैठिए।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal (Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—
कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास राज्य मंत्री जो हरियाणा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट विल लाए हैं जो वैत्यूएशन और असेसमेंट के लिए सुझाव रखा है कलेक्टर रेट का जिस तरीके से ये जिक्र कर रहे हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है उसके बारे में मंत्री जी पिछले दो साल में कई अमेंडमेंट लाए हैं। (विच्छन)

वित्त मंत्री (श्री संपत्ति सिंह) : इस विल में ऐसा कोई जिक्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : पारिंशार्मट्री अफेयर्ज मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस विल में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आप बैठ जाएं।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सैकिएड अमेंडमेंट) विल, 2002.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2002 प्रस्तुत करता हूँ—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कृष्ण पाल गुज्जर (मेवला महासाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन विल लाया गया है इसके बारे में हमें कुछ शोकाएं हैं भैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनका निराकरण करने का कष्ट करें क्योंकि हरियाणा में एक ही नगर निगम है और वहां पर पंचायती राज अधिनियम के द्वारा जो लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा चुनकर आया है उसी नगर निगम के साथ सरकार ने कैसा व्यवहार किया। (विच्छन)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उसका इससे क्या संबंध है।

श्री उपाध्यक्ष : इस अर्मेंडमेंट से रिलेटेड बात आप करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप इस बिल पर बात करें।

श्री कृष्ण पाल गुज्जर (मेवला महाराजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर बात कर रहा हूँ वह धारा 8 में वर्णित अधोग्रहणार्थी में से किसी से ग्रस्त हो जाता है अथवा उसने सदस्य के रूप में अपनी हैसियत का घोर दुरुपयोग किया है अथवा उपेक्षा अथवा कदाचार द्वारा नगर निगम के किसी धर्म अथवा सम्पत्ति की हानि अथवा दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी रहा है अथवा वह सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है (विज्ञ) तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्राइटरिया क्या रहेगा?

वित्त मंत्री (प्रो० संपत्ति सिंह) : यह 1994 का उद्धरण है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाए। इसमें भंग करने की बात नहीं है। आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं आप बैठ जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जब एक सदस्य बोल रहा है तो आप कैसे बोलेंगे। कैप्टन साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। आप बैठ जाइए। आपको भी मौका दिया जाएगा।

श्री कृष्ण पाल गुज्जर : उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद नगर निगम को अलोकतांत्रिक ढंग से भंग किया गया और पार्षदों को सर्वोंड किया गया। (शोर एवं विज्ञ) मैं यही कह रहा हूँ कि जो पंचायती राज अधिनियम के द्वारा नगर निगम का चुनाव हुआ। अब नगर निगम के नुमाइंदों के खिलाफ छोटी छोटी एक०आई०आर० लोकर सर्वोंड किया और वे हाईकोर्ट से बहाल होकर आए हैं। सरकार जब पार्षदों को नहीं तोड़ पाई तो सरकार ने नगर निगम को ऐसी तोड़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का इस बिल से कोई संबंध नहीं है। आप बैठ जाए।

श्री कृष्ण पाल गुज्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही बात कह रहा हूँ।

Mr. Deputy Speaker : Please take your seat. (Noises and Interruptions)

Question is—

That the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के बारे में कहना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप टाईटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की कलाज के बारे में कहना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, कलाज की स्टेज तो चली गई क्या आप टाईटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

Capt. Ajay Singh Yadav : No, Sir.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ—

कि विदेयक पारित किया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की बताज 2 में आप इनसर्ट कर रहे हैं। आपने इस बील के एक्स्रैक्ट के बिल में यह दे रखा है कि He has flagrantly abused his position as a member or has through negligence or misconduct been responsible for the loss. आप 'नैग्लीजैस' की परिभाषा डिटेल में हमें बतायें कि किस किस्म की नैग्लीजैसी हो। दूसरा 'निस्कंडक्ट' के बारे में कहा है मेरा मिस्कंडक्ट के बारे में यह कहना है कि कम से कम जब यह महत्वपूर्ण थिल इस सदन में आया है और जो कारपोरेशन के सदस्य हैं उन पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं जो कारपोरेशन के मैम्बर्ज हैं उनकी पार्वज पर एक तरह से सरकार का छण्डा लगा रहे हो जिसके तहत किसी को भी उठाकर निकाल सकते हो। मिस्कंडक्ट की जो बात की गई है यह बात मेरी समझ में नहीं आ पाई है। मिसाएप्रोप्रिएशन ऑफ फण्डज की बात तो तीक हो सकती है। लेकिन मिस्कंडक्ट और नैग्लीजैसी शब्द इसमें इन्सर्ट करना बिलकुल गलत है। अगर वह मिसाएप्रोप्रिएशन ऑफ फण्डज करता है कोई देराफेरी करता है तो उसके तो निकालिए लेकिन मिस्कंडक्ट और नैग्लीजैसी की जो शब्दावली इसमें ऐड की गई है उसके आधार पर आप किसी को भी निकालकर बाहर फेंक सकते हैं उसके में थिल्ड हूं। दूसरा आपने तीन दिन से लगातार एबसैट के बारे में कहा है। अगर कोई मैम्बर बीमार हो जाये तो उसके बारे में पता होना चाहिये इसके बारे में कोई एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बारे में यह पता होना चाहिये कि वह किस स्थिति में एबसैट रहा है। इसके बारे में कहीं भी आपके इस बिल में नहीं है। तीसरा सैक्षण 60 के बारे में कहा गया है He acts in contravention of the provisions of Section 60. अगर सैक्षण 60 के लिए जाना था तो इसको पढ़ने के लिए हमें यह बिल दो दिन पहले देने तो हम शैक्षण 60 को पढ़ते कि इसमें क्या है। आज सुबह आपने बिल दिया है और आज छोड़ इस बिल को पास कर रहे हैं ऐसे थिल पास करना है तो करिये आपकी हूट मैजोरिटी है। कम से कम विधान सभा इसलिए बनी है कि इसमें कोई भी बिल पास होता है तो उस पर शोरों डिसक्षण होना चाहिये। आप उठाकर बिल पास कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सैक्षण 60 को पढ़ने के लिए कम से कम दो दिन पहले देना चाहिये था ताकि उस पर फौरी तौर पर डिसक्षण की जा सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, Please take your seat.

चौंठ बंसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : किस चीज का जवाब मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए।

चौंठ बंसीलाल : बिल हमें आज ही मिलते हैं, ये हमें पहले क्यों नहीं मिले, इसका जवाब मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये बिल सब के रैंजीडेक्स पर भेज दिए गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (ग्रो० सम्पत्त सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, ये सब इनकी बहानेबाजी है, ये पढ़ते तो हैं नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

चौंठ भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल हमें आज 2 बजे के बाद यहाँ देवल पर मिले हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 2 वर्डस की छोटी-2 अर्मेडमैट्स हैं, इनको तो ये यहाँ भी पढ़ सकते थे।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि पंजाब पैरेंजर्ज एंड गुड्ज टैक्सेशन (हरियाणा सैकिष्ठ अमेंडमेंट) बिल, 2002

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill, 2002 and will move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -4**Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause -1****Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Deputy Speaker :** Now, a Minister will move that the Bill be passed.**Finance Minister (Prof. Sampat Singh) :** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा सिविल सर्विसेज (एग्जेक्युटिव ब्रांच) एंड अलाइड सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज कोमन/ कंवार्ड एंजामिनेशन (अर्मेंडमेंट) बिल, २००२

Mr. Deputy Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/ Combined Examination (Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/ Combined Examination (Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill be taken into consideration.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill be taken into consideration.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. दि हरियाणा अर्बन डिवेलपमेंट अथोरिटी (अमेंडमेंट) विल, 2002.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

ग्राम एवं नगर आधोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : डिप्टी स्पीकर, सर, मैं हरियाणा नगर प्रिकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि इस विधेयक पर तुरन्त विधार किया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मांगे राम गुप्ता (जीवंद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री हाउस में विल प्रस्तुत कर रहे हैं, वे एक लाइन पढ़ कर बैठ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जो भी विल प्रस्तुत करें, पहले उस विल के आब्लैकट्रॉट एंड रिजन्स पर हाउस को सैटीसफाई करना चाहिए। उसके बाद विल पास करवाना चाहिए। What are the objects ? What are the reasons उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री की यह ड्यूटी होनी चाहिए कि वह जो भी विल या अमेंडमेंट हाउस में रखना चाहते हैं उस पर हाउस को पहले सैटीसफाई करें। मंत्री एक लाइन पढ़कर विल प्रस्तुत कर दे और आप उसे पास कर दें, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी जब भी किसी सम्मानित सदस्य ने बिल पर बोलने के लिए सभ्यता मांगा है उसे समय दिया गया है। प्लीज आप बैठ जायें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री जी बतायेंगे नहीं कि किस लिए कोई बिल या अमैंडमेंट लाया गया है और उसके क्या आव्यैक्ट्स हैं तब तक मैंबरों को कैसे घटा लगेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी जो भी माननीय सदस्य जब भी बोलना चाहा है उसे समय दिया गया है। प्लीज आप थैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : जब कुछ बताएंगे तभी तो कोई मैम्बर ऑफिशल देंगा। कोई यह तो बताएगा कि किस लिए बिल या अमैंडमेंट लाए हैं। कोई प्रोसीजर लो एडॉप्ट करना चाहिए (विचल) हाउस में सरकार की यह डियूटी होनी चाहिए कि सरकार हाउस में बिल पास करवाना चाहती है उसको हाउस में बिल लाने का ऑफिक्ट देना चाहिए रीजन देना चाहिए और उसके बाद मैम्बर्ज से राय लेनी चाहिए (विचल)

श्री उपाध्यक्ष : वह बिल के साथ ही दिया होता है आप पढ़ें तो सही वह साथ ही दिया होता है। (विचल)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, एक जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट में दायर की गई उसका अध्ययन करने के बाद न केवल हरियाणा में बल्कि साथ में पंजाब और यूटी० को भी माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इसमें एक शब्द का संशोधन है 'सीवरेज' की जगह 'सीवरेज ट्रीटमैंट प्लॉट' किया है। हमारी सरकार ने माननीय चौधरी औम प्रकाश चौटाला जी ने यमुना के साथ लगते हुए इलाके को यमुना ऐवजन प्लान के साथ जोड़ा है (विचल) यह एक शब्द का संशोधन है यह हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कर रहे हैं।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill:

The motion was carried.

Clause -3**Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Clause -1****Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Deputy Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

*The motion was carried.***Mr. Deputy Speaker :** Now, the Town & Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवम् प्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ —

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

*The motion was carried.***6. दि पब्लिक गैम्बिंग (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2002****Mr. Deputy Speaker :** Now, a Minister will introduce the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.**Finance Minister (Prof. Sampat Singh) :** Sir, I beg to introduce the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move that—

The Public Gambling (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Public Gambling (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause -2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause -1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

7. दि हरियाणा कैसिनो (लाईसेंसिंग एंड कन्ट्रोल) बिल, 2002.

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अमीं जो बिल हाउस के सामने आने वाला है वह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। (विधान) यह कैसिनो का है। (विधान) आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इस बिल पर आज डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अल्कि कल डिस्कशन होनी चाहिए। (विधान) इस पर कम से कम सभी भैम्बर्ज को बोलने का सौका भिलना चाहिए अभी सदस्यों ने इस बिल को पढ़ा नहीं है। (विधान) आप किसे यह कहेंगे कि इस बिल को पास होने दें। (विधान) कृपा करके आप एक मिनट हमारी बात सुन लीजिये बाद में आपने जो भी करना हो, वह कर लीजिये। यह बिल बड़ा अहम बिल है। (विधान) क्या आप इस बिल को कल ले रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं अभी ले रहे हैं।

(इस समय श्री भूपिन्द्र सिंह हुड़डा श्री भजन लाल, कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री जय प्रकाश वरवाला सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन के बीच बीच और तेजी से बढ़े तथा इस विधेयक पर सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। प्रतिपक्ष के कुछ सदस्य भी सदन के बीच पालथी गार बैठ गए। परस्त विपक्षी सदस्यों के प्रबल विरोध के बावजूद उपाध्यक्ष महोदय, ने विधेयक को विचार-विमर्श के लिए ले लिया)

Now, a Minister will introduce the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Samapat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill, 2002 and will also move the motion for its consideration.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Casino (Licensing and Control) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

राव बुन्दजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बिल पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी सीट पर खड़े होकर बोलिये (शोर एवं व्यवधान)। कृपया सभी भैंसर्ज अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)।

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause-1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stand part of the Bill

That motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause-1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 3 of Clause 1 stand part of the Bill

That motion was carried.

Clauses 2 to 36

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 36 stand part of the Bill.

That motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause-1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill

That motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

(1)96

हरियाणा विधान सभा

[30 अक्टूबर, 2002]

Mr. Deputy Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 31st October, 2002.

18.28hrs.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 31st October, 2002).